खण्ड-377, अंक-2
गुरूवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(20 मार्च, 1986 ई0)

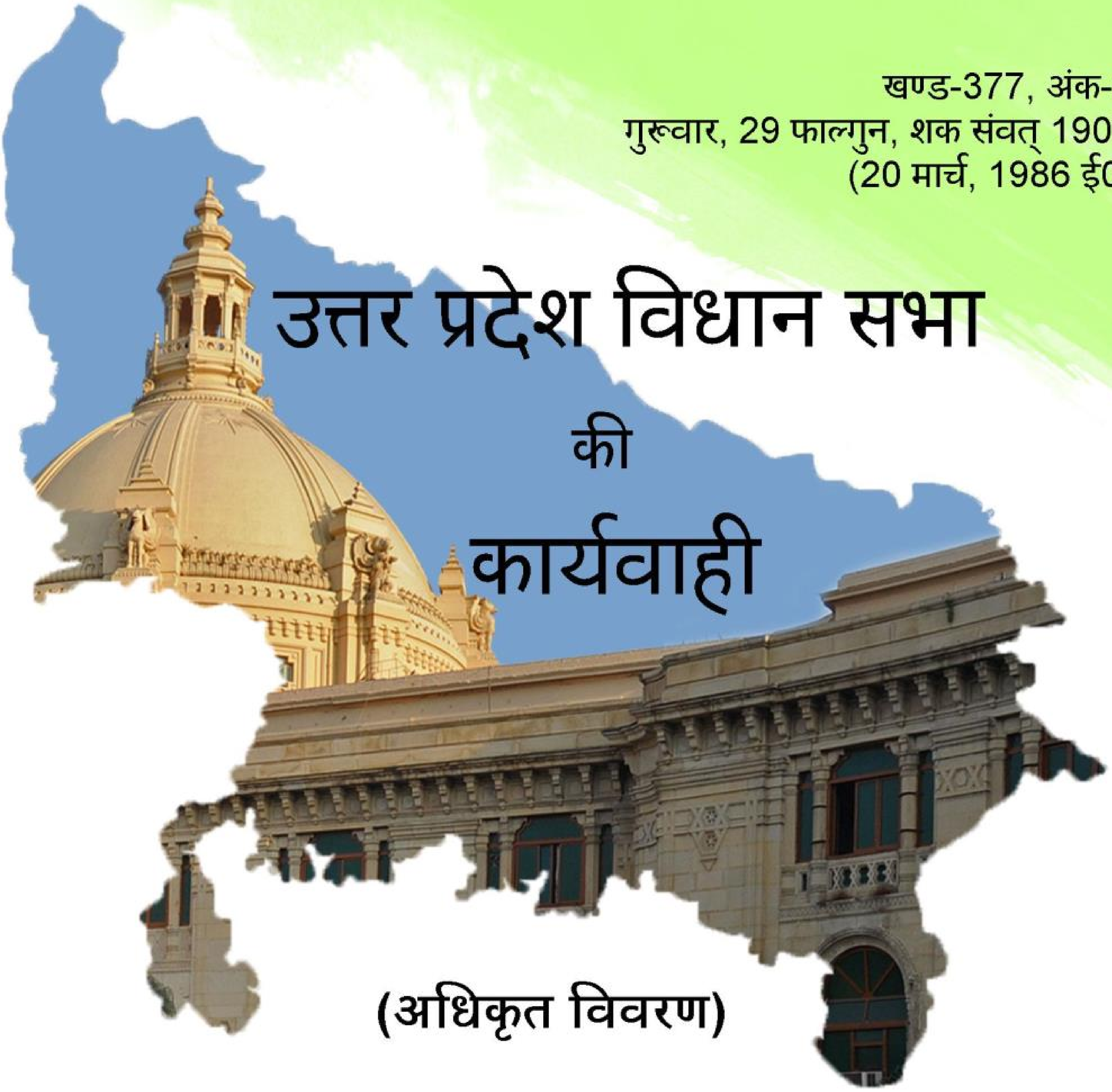

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 377 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
प्रश्नोत्तर	..	2-41
देहरादून जनपद के कतिपय ग्रामों में नदी व नालों की कटान से हजारों एकड़ भूमि की बर्बादी तथा तटबन्ध और वृक्ष लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	41
त्योहारों के अवसर पर चीनी व मिट्टी के तेल के अतिरिक्त कोटे की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	42
फैजाबाद जनपद के कतिपय क्षेत्रों में हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	42
विकास खण्ड भीटी, फैजाबाद में इटवा झील से विसुही नदी तक नाले की खुदायी की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	43
इलाहाबाद की शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत अध्यापकों के पदों पर अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	43-44
मजगवां शरीफ-लखनऊ मार्ग पर बस संख्या यू0 आर0 ए0 4545 की दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा एवं आर्थिक सहायता दिलाये जाने तथा खराब बसों को न चलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	44
साधन सहकारी समिति लि0 अलीपुरा, सहारनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	44-45
इलाहाबाद नगर में पशुओं की भयंकर बीमारी फैलने तथा मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	45
राजकीय कृषि महाविद्यालय वाराणसी में कृषि भूमि व्यवस्था एवं छात्रों के आवासीय व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	45
लखना, इटावा में सिंचाई नलकूपों की खराबी से फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	46
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	..	46
आबकारी अनुभाग-2 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	46

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	46–47
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का अड़तालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	47
जनपद मेरठ व गाजियाबाद में बसी नाले की खुदायी कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	47
पुलिस चौकी इन्चार्ज परेड कानपुर द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 17–3–86 को हुए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण ..	47–51
जनपद एटा के पटियाली थानान्तर्गत मूढ़ा गांव में डकैतों द्वारा हरिजन परिवार की सामूहिक हत्या किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 17-3–86 को हुए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण ..	51–52
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 (पुरः स्थापित किया गया). ..	52–53
जनपद लखनऊ में बिजनौर सिसेंडी मार्ग को पेन्ट किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	53
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	53–62
प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में ब्यौरेवार जानकारी न दिये जाने पर आपत्ति ..	62–64
1985–86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा ..	64–96
1985–86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग (स्वीकृत) ..	96
अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग (स्वीकृत) ..	96
अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) (स्वीकृत) ..	96–97
अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ..	97
अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ..	97
अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) ..	97
अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ..	97–98
अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग (स्वीकृत) ..	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत) ..	98
अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ..	98
अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ..	98-99
अनुदात संख्या 12—गन्ना विकास विभाग (स्वीकृत) ..	99
अनुदान संख्या 13—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ..	99
अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ..	99
अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ..	99-100
अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशनें तथा अन्य व्यय (स्वीकृत) ..	100
अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग (स्वीकृत) ..	100
अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत) ..	100
अनुदान संख्या 19—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	100
अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ..	101
अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ..	101
अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग (स्वीकृत) ..	101
अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ..	101
अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	102
अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग (स्वीकृत) ..	102
अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग (स्वीकृत) ..	102
अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग (स्वीकृत) ..	102
अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग (स्वीकृत) ..	103
अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग (स्वीकृत) ..	103
अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	103
अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग (स्वीकृत) ..	103
अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	103-104
अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	104
अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	104

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ..	104
अनुदान संख्या 46--वन विभाग (स्वीकृत) ..	104
अनुदान संख्या 47--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ..	105
अनुदान संख्या 49--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ..	105
अनुदान संख्या 50--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) ..	105
अनुदान संख्या 51--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) ..	105
अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ..	106
अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) ..	106
अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग (स्वीकृत) ..	106
अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	106
अनुदान संख्या 57--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) ..	107
अनुदान संख्या 58--श्रम विभाग (सेवा योजन) (स्वीकृत) ..	107
अनुदान संख्या 61--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) (स्वीकृत) ..	107
अनुदान संख्या 62--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ..	107
अनुदान संख्या 63--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ..	108
अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ..	108
अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग (स्वीकृत) ..	108
अनुदान संख्या 68--सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ..	108
अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) ..	108-109
अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ..	109
अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ..	109
अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत) ..	109

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) ..	109–110
अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण (संचार साधन) (स्वीकृत) ..	110
अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ..	110
अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग (स्वीकृत) ..	110
अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	110–111
अनुदान संख्या 80—स्पोर्टस विभाग (स्वीकृत) ..	111
अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	111
अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास (स्वीकृत) ..	111
उत्तर प्रदेश विनियोग (1985–86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 (पारित) ..	111–119
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	119
बांदा में भीषण ओलावृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	119–125
इलाहाबाद के मोहल्ला नया कटरा स्थित काष्ठ कला संस्थान की जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	125–130
प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत नहरों हेतु अध्याप्त भूमि के मुआवजों के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 14 मार्च, 1986 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या (नत्थी 'ख') पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	130–134
नत्थियां ..	135–139

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 20 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अफसर यू0 अहमद, श्री (बस्ती)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अरविन्द तिवारी, श्री (जालौन)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
कामेश्वर उपाध्याय, श्री (देवरिया)
किशन लाल, श्री (पीलीभीत)
किशन लाल बिलेर, श्री (अलीगढ़)
किशन सिंह तड़ागी, श्री (नैनीताल)
केशरी सिंह, कर्नल (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
जगवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री (गोरखपुर)
देव कुमार यादव, श्री (बांदा)
नरेश चन्द्र, श्री (लखनऊ)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
बसन्त सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
बालेश्वर, श्री (देवरिया)
बैजनाथ, श्री, (देवरिया)
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री (फर्रुखाबाद)
महाराज सिंह, चौधरी, (इटावा)
मुश्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
मोहम्मद हयात, हाजी (मुरादाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
राकेश धर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री (एटा)
राजेश कुमार खैरा, श्री (ललितपुर)
राम आसरे, श्री (सुल्तानपुर)
राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू) (शाहजहांपुर)
राम गोविन्द, चौधरी (बलिया)
राम पाल सिंह एडवोकेट, श्री (गोण्डा)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सोन, श्री (आगरा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिव बख्श सिंह राठौर, श्री (मैनपुरी)
संजय सिंह, डा0 (सुल्तानपुर)
सन्तन बड़थ्वाल, श्री (चमोली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (फैजाबाद)
सैयद अली अशरफी, श्री (पीलीभीत)
हर नारायण सिंह, श्री, (रायबरेली)

नोट---श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार दिनांक 20 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद झांसी के ग्राम गोरा मछिया में मेसर्स श्री श्रीनिवास फर्टीलाइजर लि0 द्वारा फैक्ट्री लगाये जाने पर आपत्ति

**1--श्री हर्ष वर्धन (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बतायेगी कि झांसी जिला अन्तर्गत गोरा मछिया में "श्री निवास फर्टीलाइजर लिमिटेड कम्पनी" द्वारा लगाए जाने वाले उद्योग का क्षेत्रीय जनता विरोध कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जनपद झांसी के ग्राम गोरा मछिया में मेसर्स श्री निवास फर्टीलाइजर लि0, द्वारा लगाई जा रही फैक्ट्री के सम्बन्ध में आमंत्रित आपत्तियों एवं सुझावों के सम्बन्ध में दिये गये समय के अन्दर कोई विरोध-पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स गोपीमल एण्ड कम्पनी, बुलन्दशहर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग

**2--श्री रमाशंकर कौशिक, श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री वीरेन्द्र सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, 1983 में बुलन्दशहर स्थित मेसर्स गोपीमल एण्ड कम्पनी के यहां एन0 पी0 के0 के खाद के नमूने एकत्रित करने पर केन्द्रीय टीम ने उन नमूनों को सब स्टैण्डर्ड घोषित किया था ? यदि हां, तो उक्त फर्म का लाइसेन्स निरस्त न किये जाने का कारण क्या है ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

जी हां । मेसर्स गोपीमल एण्ड कम्पनी, बुलन्दशहर के यहां से भारत सरकार की केन्द्रीय टीम द्वारा दिनांक 31 मई, 1983 को अन्य उर्वरकों के साथ एन0 पी0 के0 (15: 15: 7.5) का केवल एक नमूना लिया गया था जो विश्लेषण के बाद अमानक पाया गया ।

जिस उर्वरक का नमूना केन्द्रीय टीम ारा किया गया था वह विक्रय के लिए नहीं था । परिणाम स्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेश के किसी उपबन्ध अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन न होने के कारण लाइसेन्स निरस्त करने का प्रकरण नहीं बनता ।

श्री कौशिक रमाशंकर --

मान्यवर, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि जो नमूना कहां से लिया गया था वह अमानक पाया गया, "नाट स्टैन्डर्ड" पाया गया । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय टीम ने जिस उर्वरक को अमानक स्वीकार किया और वह खाद स्टाक में मौजूद थी और फर्टीलाइजर कन्ट्रोल आडर, 1957 की धारा 13(1) के अनुसार अमानक खाद को स्टाक में भी नहीं रख सकते हैं । तो जब स्पष्ट आर्डर में लिखा है अगर केन्द्रीय टीम ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि वह स्टाक में मौजूद थी तो फिर उसका लाइसेंस निरस्त न करने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, केन्द्रीय टीम जो आयी थी और नमूना लिये थे, तो उन्होंने भी कहा है कि जो उनके यहां से पत्राचार हुआ है उसमें जवाब में कहा है कि यह विक्रय के लिये नहीं था, ऐसी स्लिप उसमें लगी थी ।

दूसरे उसमें डी0 जी0 सी0 की राय ली गयी और उन्होंने कहा कि इसमें कोई किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता है । लिहाजा इस तरह का प्रकरण नहीं बनता है ।

श्री कौशिक रम[illegible]

मान्यवर, केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट की प्रति मेरे पास है, यदि आज्ञा दें तो

मंत्री जी के पास भेज दूं, जिसमें लिखा नहीं गया है कि वह बेचने के लिए नहीं था। दूसरी बात फर्टीलाइजर कंट्रोल आर्डर, 1957 की धारा 13 (बी) को भी देखें जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई ऐसा माल होगा तो उस पर लाल क्रास के निशान लगाये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यदि उनको इस ढंग की रिपोर्ट मिली जो लिखा था, तो क्या उस पर लाल क्रास का निशान लगा था ? दूसरे उस फर्म ने क्या फार्म-एफ, जो भरना पड़ता है इस आर्डर के मुताबिक, उसको भरा था ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मिस्टर त्रिपाठी, सीनियर एनालिस्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया के हैं, इनका एक पत्र 9 फरवरी, 1984 का है, जिसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर लिखा है, आप कहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा...

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

रिपोर्ट कब की है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैं तो यह कह रहा हूं कि भारत सरकार के एनालिस्ट ने भी अपने पत्र में यह लिखा है कि इसमें जो स्लिप लगी थी, उस पर लिखा था कि यह माल रेजेक्टेड है, बेचने का नहीं है। ऐसी स्लिप लगी हुई थी, जब वह मौके पर नमूना लेने के लिये गये थे और इस बारे में डी0 जी0 सी0 से भी राय ली गयी थी और उन्होंने अपनी लीगल राय में यह कहा कि इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 9 जुलाई, 1983 को वहां पर छापा मारा गया तो स्टाक रजिस्टर पर और स्टाक-बोर्ड में भी यह कट्टे शामिल थे और जो लाल निशान लगता है, उन कट्टों पर लाल निशान नहीं था, इसके पहले सब कट्टे बेचे जा चुके थे और जिस कागज को कौशिक जी ने कहा, मेरे पास भी मौजूद है और आपको सौंपूंगा, उसके बाद भी चूंकि वह बहुत बड़ा कैप्टलिस्ट है, लाखों का घोटाला करता है, उसने मिलकर एक फर्जी कागज भी सबमिट करा दिया रजिस्टर में। जब मंत्री जी वहां दौरे पर गये थे तब भी मैंने उन्हें जानकारी कराई थी। उन्होंने फर्जी कागज भी शामिल कराया कि उस समय स्टाक रजिस्टर व स्टाक बोर्ड में चेकिंग के समय यह नहीं था, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। फिर भी आपने ऐसी फर्म का 85 के लिये नवीनीकरण कर दिया, ऐसी फर्म को ब्लैक-लिस्टेड घोषित करना था। यदि उसने इतना बड़ा घोटाला किया है तो आगे के लिये क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जितने भी फर्जी नामों से उसने फर्म बना रखी है, उनको किसी भी एजेंसी से अब खाद नहीं मिलेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैंने निवेदन किया यह जो प्रकरण है, इसके सम्बन्ध में जांच हो चुकी है और सारी स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी है। अब इस बात को लेकर तो ब्लैक लिस्टेड करने का कोई सवाल नहीं है। अब सोलंकी साहब कुछ और जानकारी देंगे तो हम उसको भी जांच करा लेंगे। क्योंकि कोई भी खाद में गड़बड़ी करे, मिलावट करे तो उसको संरक्षण देने का, उसकी मदद करने का किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सब स्टैंडर्ड दवाइयां और खाद तथा कीट-नाशक दवाइयां प्रदेश में बेची जा रही हैं और उसी के चलते प्रदेश में आलू की फसल चौपट हो गई। मंत्री जी का उत्तर बड़ा दुखद है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान फर्टीलाइजर कन्ट्रोल आर्डर, 1957 की धारा 13-बी, क्लास-1 की तरफ दिलाना चाहता हूं यदि कोई सब

स्टैन्डर्ड सामान रखा हुआ है तो उस पर दो चीजें लिखी जायेंगी, नान स्टैन्डर्ड और रेड क्रास का निशान लगाया जायेगा। किन्तु मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है, यदि ऐसी चीज रखी थी तो यह दंडनीय अपराध है इस नियम के अन्तर्गत। यह कर्म जानती थी कि हमारा नवीनीकरण अब नहीं होगा, इसलिये उसके द्वारा रतनलाल के नाम से रुपया जमा हुआ।

मान्यवर, रिनूअल के लिये पैसा गोपीमल ने जमा किया था चूंकि वह डरते थे कि उनका लाइसेन्स रिन्यू नहीं होगा इसलिये पैसा रतन लाल के नाम से जमा कराया गया। ट्रेजरी अफसर ने भी रतन लाल के नाम से ही पैसा जमा किया है। तो पैसा रतन लाल के नाम से जमा कराया गया और बाद में चालान पर काटकर गोपीमल लिख दिया गया। तो इस प्रकार से फर्जी चालान लिखाकर लाइसेंस का रिनूअल कराया गया। तो क्या आप इस सारे मामले की जांच करायेंगे और जो गलत आदमी है जिससे तमाम किसानों के साथ धोखाधड़ी की है उसके लाइसेन्स को निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह नवीनीकरण का प्रकरण इससे वास्ता नहीं रखता है लेकिन फिर भी सिंह साहब ने जो कहा है मैं उसकी जांच करवा लूंगा कि हकीकत क्या है, क्या वास्तविकता है। मैंने आपको बताया है कि जो डी0 जी0 सी0 ने रिपोर्ट दी है तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई अवैधानिक चीज नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, जिस नेशनल फर्टीलाइजर कंट्रोल आर्डर का रिफरेन्स दिया गया है उसमें तीन बातों के बारे में कहा गया है। पहली बात यह है कि क्रास का निशान होना चाहिये लेकिन इसमें कागज की स्लिप लगी थी क्रास का निशान नहीं था। दूसरी बात बोरे बिना स्ट्रेच होने चाहिये लेकिन बोरे स्ट्रेच पाये गये। तो जो यह 20 हजार बोरों की लाट आयी थी सारी की सारी सब स्टैंडर्ड थी और उसकी बिक्री की गयी। केवल 11 बोरों में स्ट्रेचिंग नहीं थी। स्टाक रजिस्टर पर इंटरी थी। तो यह सारे तथ्य साबित करते हैं कि वह खाद बिक्री के लिये थी। तो इन 20 हजार बोरों को जो बेचा गया है उसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया कि सारे मामले में कानूनी राय डी0 जी0 सी0 ने दी कि इस तरह का कोई अवैधानिकता नहीं है।

मान्यवर, यह मामला 1983 का है, इसमें एक फैसला हो चुका है। अगर कोई नया तथ्य जैसा कि रामचन्द्र बख्श सिंह जी ने नवीनीकरण की बात कहीं तो इसकी जानकारी करा लेंगे कि वास्तविकता क्या है। अगर वास्तविकता पायी जाती है तो कार्यवाही की जायेगी।

एक सदस्य--

डी0 जी0 सी0 ने पैसा ले लिया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी और पूरा विभाग अवगत है कि आज पूरे प्रदेश में सब-स्टैंडर्ड खाद बिक रही है। डी0 जी0 सी0 जो जांच करायी है वह निष्पक्ष जांच नहीं थी। मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले की जांच विजीलेंस से करायेंगे और तब तक के लिए लाइसेन्स को निरस्त कर देंगे।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मेरे पास जो जानकारी है उसी जानकारी के आधार पर जो तथ्य मेरे पास हैं उनसे

आपको अवगत कराया है । जो कार्यवाही हो चुकी है उससे भी अवगत कराया है । आप अगर कोई नया तथ्य लायें तो इसकी जांच करवा लूंगा । यह प्रकरण समाप्त हो चुका है । अगर कोई नयी बात सामने आयेगी तो उसकी जांच करा लेंगे जिस एजेंसी से कहेंगे उससे जांच करवा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि राम चन्द्र बख्श जी ने जो तथ्य बताये हैं उनकी जांच करवा लेंगे । डी0 जी0 सी0 की जो रिपोर्ट है तो वह कोई ब्रह्म वाक्य नहीं होती है । सरकार को उसको स्वीकार करने की बाध्यता भी नहीं है । फर्टीलाइजर कंट्रोल आर्डर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो दोबारा जांच कराने की बात कही गयी है, तो जो लाल निशान और क्रास की बात कही गयी है क्या उन बिन्दुओं पर भी डी0 जी0 सी0 ने अपनी व्याख्या दी है ? हमारी जानकारी है कि जिन बातों को माननीय सदस्य श्री सिंह व अन्य माननीय सदस्यों ने उठायी है और उनका उत्तर आपके पास नहीं है तो क्या आप इन बिन्दुओं पर विजिलेन्स जांच कराने का कष्ट करेंगे और इस जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आये, उसके अनुसार कार्यवाही की जाये ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय रामचन्द्र बख्श जी ने केवल नवीनीकरण के सम्बन्ध में बात कही है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

नहीं मान्यवर इन्होंने कई बातें कहीं हैं, एक तो उस आर्डर पर रेड-क्रास होना चाहिए, स्टाक में भी होना चाहिए और भी कई बातें हैं, इन सारी बातों का जवाब आप कहां दे रहे हैं ? और उस फर्म ने कहा था या नहीं ? स्पष्ट रूप से आप किसी भी बात का जवाब कहां दे रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह जी ने विशेषतौर पर लाइसेन्स के नवीनीकरण के बारे में कहा था और दूसरी, तीसरी बात जो कही यह कि पैसा देर से जमा हुआ और दूसरे के नाम से जमा हुआ, तो मैंने केवल इस प्रकरण के जांच के लिए कहा था । वैसे मान्यवर, यह मसला तो 31 अक्तूबर, 1983 का है और इसमें फैसला हो चुका है । इसी पर मैंने बताया कि एनालिसिस रिपोर्ट व डी0 जी0 सी0 की रिपोर्ट पर ही फैसला लिया जा चुका है, इसलिए अब इस पर कोई फैसला नहीं करना है ।

श्री किरन पाल सिंह--

अभी तो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न करिये ।

श्री किरन पाल सिंह--

इतना स्पष्ट मामला है, परन्तु मंत्री जी इसका सही जवाब नहीं दे रहे हैं । हमारी जानकारी को सही मानते हुए और मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसी प्रकार से हमारे यहां की दो फर्में हैं बड़े-बड़े जिनके पास खुद की बोरी-बन्दी की मशीनें हैं और वह स्वयं बोरियां भरते हैं और काफी गड़बड़ी भी करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करिये ।

श्री किरन पाल सिंह--

प्रश्न मैं कर रहा हूं कि यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और तमाम तरह

की बातें जो विचार करने योग्य हैं, जिन्हें माननीय सदस्यों ने उठाया है, उनकी पुनः जांच कराई जाये और जिस डी0 जी0 सी0 से जांच करवाई गयी है, वह आपकी पार्टी द्वारा नियुक्त किया हुआ आदमी है, इसलिए इस गम्भीर मामले की जांच विजिलेंस द्वारा आपको कराने में क्या आपत्ति है और जिन फर्मों का मैंने उल्लेख किया है आप जांच करवा कर देख लीजिए कि उनके पास बोरी-बन्दी की मशीनें हैं या नहीं, इसकी भी जांच करा लीजिए ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

माननीय सदस्य, किरनपाल सिंह जी जिन फर्मों की बात कर रहे हैं, वह इनके नाम अगर लिखकर दे दें तो मैं दोनों की जांच करा लूंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर के विभिन्न भंडारों में करोड़ों रुपये का लोहा तथा इस्पात का डम्प होना

*1--श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर के विभिन्न भंडारों में विगत 4 माह से करीब 8 करोड़ रुपये का लोहे एवं इस्पात बिक्री के लिए डम्प पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? इस पर निगम द्वारा कितना लाख रुपया प्रति माह ब्याज दिया जा रहा है ? क्या सरकार इस नुकसान को रोकने के लिए तत्काल कोई प्रभावी कार्यवाही करने जा रही है ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अन्सारी)--

अक्तूबर, 1985 से जनवरी, 1986 तक निगम के विभिन्न भंडारों में 498.37 लाख रुपये से लेकर 659.81 लाख रुपये तक का लोहे तथा इस्पात का स्टाक रहा । इस अवधि में 365.95 लाख रुपये का नया स्टाक प्राप्त हुआ तथा 204.51 लाख रुपये के माल की बिक्री हुई । इस तरह स्पष्ट है कि लोहा तथा इस्पात डम्प नहीं रहा वरन् इसकी बराबर बिक्री होती रही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगम द्वारा उक्त माल के लिये बैंकों से लिये गये ऋण पर 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये के बीच प्रति माह ब्याज दिया गया है । निगम को माल क्रय करने के लिये कार्यशील पूंजी की पूरी व्यवस्था बैंकों से करनी होती है तथा इसके लिये प्रचलित बैंक दर पर ब्याज देय होता है । इसे हानि की संज्ञा नहीं दी जा सकती है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 204.51 लाख रुपये का लोहे एवं इस्पात जो बेचा गया, वह कब बेचा गया ? क्या यह सच है कि फरवरी, 1985 में जे0 पी0 सी0 (ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी) ने 15 फीसदी की दर से लोहे एवं इस्पात की जो दर बढ़ाई थी, उसके बावजूद भी यह 204.51 लाख रु0 के माल पुराने ही दर से बेचा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री निसार अहमद अन्सारी--

मान्यवर, यह अक्तूबर में 58.80 लाख रुपये का बिक्री हुआ । नवम्बर में 41.20 लाख रुपये का, दिसम्बर में 39.85 लाख रुपये का, जनवरी में 66.66 लाख रुपये का बिक्री हुआ । मान्यवर, 4 माह का मूल प्रश्न में पूछा गया है, 4 माह का मैंने ब्योरा दिया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि क्या यह सच है कि माह फरवरी 1985

में ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी ने पूरे देश में 15 फीसदी की दर लोहा एवं इस्पात में बढ़ाई थी ? यदि हां, तो इस आदेश के बावजूद भी यह जो 104.51 लाख रुपये में यह माल बेचा गया और 15 प्रतिशत दर बढ़ाकर नहीं बेचा गया, इसका क्या कारण है ?

श्री निसार अहमद अन्सारी--

मान्यवर, इसमें प्रश्न माल डम्प होने के सम्बन्ध में था, वह मेरे पास सूचना है कि माल डम्प नहीं हुआ, माल हर महीने बराबर आता गया और हर महीने बिकता गया। यह माल चार महीनों में अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में 204.51 लाख रुपये में बिका। इसमें माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था वह डम्प के बारे में था। माल हमारे पास आता गया और बिकता गया, माल कभी डम्प नहीं हुआ। निगम का यह आशय ही नहीं है कि माल डम्प हो। यूनिट्स की जब जरूरत होती है, तो उनको दिया जाता है, डिपार्टमेंट को भी दिया जाता है। माल को डम्प करने का इरादा निगम का कभी नहीं रहा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने उत्तर दिया कि सरकार का इरादा माल को वहां पर डम्प करने का नहीं था। लेकिन मान्यवर, जब वह माल बराबर बेचा जाता रहा, तो क्या यह सही है कि बिकने की दरें भिन्न-भिन्न थीं ? यदि भिन्न-भिन्न दरें थीं, तो किस-किस माल की भिन्न-भिन्न क्या-क्या दरें थीं ?

श्री निसार अहमद अन्सारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो माल चार महीने में बिका है, इसकी दर का निर्धारण भारत सरकार करती है। एक रेट भारत सरकार ने मुकर्रर कर दिया, तो उस रेट पर निगम को माल बेचना होगा। माल के रेट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, मान्यवर, माल के बहुत से मुखतलिफ आइटम्स हैं, जिनकी भिन्न-भिन्न दरें हैं, उसकी बहुत लम्बी सूची है। जिस माल का जो दाम है, वह माल उसी रेट पर बेचा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने सवाल यह पूछा था कि भिन्न-भिन्न माल किस दर में बेचा गया। क्या एक ही माल की इस अवधि में दो दरें रही हैं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री निसार अहमद अन्सारी--

ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग निगम भ्रष्टाचार का घर बन गया है।

श्री अध्यक्ष--

कौन घर ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है वह बताइये।

श्री मनोहर लाल--

5 मार्च को लघु उद्योग निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई, उसमें तय हुआ कि 6 हजार 916 रुपये का जो लोहा इस्पात है वह बेचा जाय और इसके लिये टेन्डर लिया जाय। उस बैठक के निर्णय के बाद भी वह बेचा नहीं गया और न टेन्डर लिया गया। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक के बाद वह क्यों नहीं बेचा गया और उस पर कितना रुपया ब्याज देना पड़ा। इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है।

श्री निसार अहमद अन्सारी--

हमारा निगम जानबूझ कर डम्प नहीं करता है। भारत सरकार से

हमको इस्पात आवंटित होता है और जितना आवंटित होता है उसको उठाना पड़ता है। बहुत से ऐसे आइटम हैं जो जल्दी बिक जाते हैं और कुछ ऐसे आइटम हैं जिनकी बाजार में कम मांग है, वह जल्दी नहीं बिक पाते हैं। इनके बिकने में 6-7 महीने लग जाते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरी आदत नहीं है कि सवाल करते समय विस्तार से बताऊं। मैं चाहता हूं कि सवाल निश्चित हो तो उसका उत्तर भी निश्चित होना चाहिये। यदि आप महसूस करें कि सवाल का उत्तर ठीक नहीं आ रहा है तो आप स्थगित करें या जो भी करें। मेरा आखिरी सवाल है, अब तक किसी सवाल का उत्तर नहीं आया है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में भारत सरकार ने कितना टन लोहा और इस्पात आवंटित किया था कितने लाख करोड़ रुपये का माल दिया। जितने का आवंटन किया गया था। यह साल 15 दिन में समाप्त होने वाला है। अभी तक जितना आवंटित किया गया था, उसमें से कितना उठाया गया और कितना बेचा गया उसके बेचने की दर क्या थी तथा कानपुर के विभिन्न भंडारों में कितना इस्पात अभी है ?

श्री निसार अहमद अन्सारी--

जो प्रश्न था वह 4 महीने के बारे में था। मैं पुनः बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

वह तो आप बता चुके हैं।

श्री निसार अहमद अन्सारी--

इसके आगे सूचना की आवश्यकता होगी।

*2--श्री अशोक बाजपेयी--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

दि प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया की उत्तर प्रदेश शाखा के सदस्यों को अल्प अवधि का प्रशिक्षण

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दि प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया की उत्तर प्रदेश शाखा के सदस्यों को अल्प अवधि प्रशिक्षण देकर उनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सूचीबद्ध चिकित्सकों के रूप में करने का विचार शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कब तक दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

दि प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया (अनक्वालीफाइड प्रेक्टिशनर्स) की मांग के अनुसार अनक्वालीफाइड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कतिपय प्रतिबन्धों के साथ सूचीबद्ध करने के प्रकरण पर विचार करने के लिये प्रदेश सरकार भारत सरकार तथा अन्य प्रदेशीय सरकारों से पत्राचार कर रही है। इस प्रकरण पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। अभी प्रशिक्षण का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि इनको केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय प्रतिबन्धों के साथ सूचीबद्ध करने के प्रकरण पर विचार किया जा रहा है, मैं जानना चाहूंगा कि ये कतिपय प्रतिबन्ध क्या हैं और शासन, जो पत्राचार कर रहा है, उसमें शासन की क्या नीति है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, सन् 1966 से यह प्रकरण भारत सरकार ने प्रारम्भ किया। तब से आज तक के बीच में 1966 में, 1972 में, 1975 में, 1978 में, 1979 में और 1982 में बार-बार भारत सरकार ने इस बात पर निर्णय लेने पर बल दिया कि इन्हें सूचीबद्ध किया जाय। प्रदेश सरकार उस समय भी सहमत नहीं थी और आज भी इससे सहमत नहीं है। अन्य प्रदेशों ने इस पर क्या किया, इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी--)

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस एसोसियेशन के सम्बन्ध में शासन ने जो कार्यवाही की है, उसके प्रमुख को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दायर करने की, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस सम्बन्ध में पत्राचार की सारी कार्यवाही को रोक दिया जायगा और सारे कागजात सील करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, पत्राचार का अर्थ यह नहीं है कि कोई कानून का उल्लंघन कर दे। जो उल्लंघन करेगा वह दण्डित किया जायेगा।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसियेशन अनक्वालीफाइड डाक्टरों की संस्था है और उसने प्रदेश भर में जो फर्जी डाक्टर हैं, उनको इस संस्था ने फर्जी डिग्रियां दी हैं, उसको मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कुछ प्रतिबन्धों के साथ प्रेक्टिस करने की स्वीकृति दे देंगे, कतिपय प्रतिबन्ध अवश्य लगा दिये हैं। लेकिन वे अनक्वालीफाइड डाक्टर वही दवाएं देंगे जिन दवाओं को देने का साहस हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या मंत्री जी इस विचार से पुनः देखने का कष्ट करेंगे कि उनको सूचीबद्ध न किया जाय ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि कतिपय प्रतिबन्धों के साथ प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसियेशन के अनक्वालीफाइड लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार करने के लिये सुविधा दी जाय। सूचीबद्ध करने के बारे में पत्राचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इससे सहमत नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बताया कि शासन इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्योंकि जो प्रस्ताव है, वह एक ऐसा पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव है कि अगर सूचीबद्ध करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनुमति देंगे। तो शहरों के लिये दूसरे डाक्टर होंगे क्वालीफाइड होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनक्वालीफाइड होंगे। इस पर शासन का रवैया अभी तक खुशी है कि सही है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को शासन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसमें शासन की कुछ सांठ-गांठ जरूर मालूम होती है। मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहूंगा कि इसमें शासन की कोई नीति निर्धारित नहीं है। मंत्री जी ने क्या प्रतिबन्ध हैं, इसकी जानकारी दी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में ऐसे डाक्टर फैले हुए हैं। सरकार थोड़ी सी सुविधा कर दे लेकिन उनके अनभिज्ञ होने के कारण उनकी दवा से बहुत नुकसान होता है। वे जानलेवा दवाएं होती हैं। क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालने पर विचार कर रही है कि इन लोगों से जनता के प्राण छूट जायं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह सन् 1966 से पूर्व से प्रकरण चल रहा है। मुल्क की आजादी के पूर्व से है यह प्रकरण। उत्तर प्रदेश की स्पष्ट नीति सदा से यह रही है कि इनको मान्यता न दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह नियम केन्द्रीय सरकार का है। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार इसके ऊपर अब गम्भीरता से विचार कर रहा है। उसी के अन्तर्गत जुलाई, 1984 से अन्य कोई और का रजिस्ट्रेशन उ0 प्र0 में रोक दिया गया है। जुलाई, 1984 से पूर्व के जो रजिस्ट्रेशन हैं, उन्हीं पर यह बात चल रही है।

[गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*1--श्री सरदार सिंह--

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

*2--श्री जयदीप सिंह बरार--

[34वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद झांसी तथा ललितपुर के कतिपय क्षेत्रों का सार्वजनिक क्षेत्र में खनन हेतु आरक्षण

*3--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर एवं झांसी जनपद में पायरोफ्लाइट एवं डायस्पोर के क्षेत्र का उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम के पक्ष में 1974 में आरक्षण किया गया था? इस सम्बन्ध में आरक्षण हटाने हेतु उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम ने जून, 1983 में डाइरेक्टर जियोलोज एण्ड माइनिंग को पत्र लिखा है कि आरक्षण हटा लिया जाये और डाइरेक्टर जियोलोजी एण्ड माइनिंग ने भी अगस्त 1983 में उक्त आरक्षण हटाने हेतु शासन को पत्र लिखा है? यदि हां, तो अब तक आरक्षण न हटाये जाने का क्या कारण है?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

जी नहीं।

जनपद झांसी व ललितपुर के कतिपय क्षेत्रों का सार्वजनिक क्षेत्र में खनन हेतु आरक्षण वर्ष 1973 व 1975 क्रमशः में किया गया था। इनमें से कुछ क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त करने का शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। विज्ञप्ति आदि जारी करने की औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या डायरेक्टर, जियोलोजी एण्ड माइनिंग ने दोनों जिलों के कुछ क्षेत्रों में आरक्षण हटाने की बात लिखी थी या सम्पूर्ण आरक्षण हटाने की बात लिखी थी अपने पत्र में? दूसरे, जो कुछ क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त करने का शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, वह किस तिथि को लिया गया है? इसके अतिरिक्त, जो औपचारिकतायें पूरी की जानी हैं, वह कब तक पूरी कर ली जायेंगी?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो यह जानना चाहा है कि आरक्षण समाप्त करने विषयक निर्णय के सम्बन्ध में औपचारिकताएं कब तक पूरी कर ली जायेंगी, मैं बताना चाहता हूं कि एक माह के अन्दर आरक्षण समाप्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी

बताना चाहता हूं कि सिर्फ 5 क्षेत्रों को हमने खनिज विकास निगम के अन्तर्गत रखा है, बाकी सभी क्षेत्रों को आरक्षण से मुक्त कर दिया है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या डायरेक्टर जियोलोजी एण्ड माइनिंग ने पूरे क्षेत्र के लिये लिखा था कि आरक्षण समाप्त किया जाय ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, उनके लिखे हुए के लिये हम बाध्य नहीं हैं । लेकिन, यह बताना चाहता हूं कि जो उनकी रिकमेन्डेशन थी, उसके अनुसार हमने केवल 5 क्षेत्रों को ही खनिज विकास निगम के अन्तर्गत रखा है, बाकी सभी क्षेत्रों को आरक्षण रहित रख दिया है ।

*4--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों पर चयन तथा नियुक्ति

*5--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, 1985 में विज्ञापित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 250 रिक्त पदों के सम्बन्ध में एक लम्बे अन्तराल के बाद भी साक्षात्कार प्रारम्भ न हो सका है ? क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में अब तक चयन के आधार का निर्धारण व चयन समिति का गठन भी नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन जिम्मेदार है व उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

फरवरी, 1985 में किए गए विज्ञापन के सन्दर्भ में चयन का आधार निर्धारित किए जाने के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 26-8-85 से 3-10-85 की अवधि में किया जा चुका है एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किये जा चुके हैं । किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का अब प्रश्न नहीं उठता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, 1982 में जो चयन हुआ था, उसमें इंटरव्यू में कितने नम्बर रखे गये थे और अबकी बार कितने नम्बर रखे गये हैं ? दूसरे, डिप्लोमा और डिग्री होल्डर में फर्क करके कितना वेटेज उस समय था और अबकी कितना वेटेज दिया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, इस वर्ष जो अभी इंटरव्यू हुआ था, उसमें 30 प्रतिशत नम्बर इंटरव्यू में थे, 10 प्रतिशत वरीयता थी डिग्री होल्डर्स की । 1982 की मेरे पास सूचना इस समय नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, 1982-83 में वेटेज 5 परसेन्ट का, जिसे अब बढ़ाकर 10 परसेन्ट कर दिया गया है और इंटरव्यू में 15 परसेन्ट था, जिसे अब बढ़ाकर 30 परसेन्ट कर दिया गया है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि किन कारणों से बढ़ाया गया । मेरा इसमें कोई इंटरवेन्शन नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों का चयन हो चुका है, उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिये गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता

हूं कि इस चयन में क्या आपने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया है कि नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, अनुसूचित जाति का आरक्षण रहा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, पहले डिग्री वालों को जो वेटेज दिया जा रहा था, वह कम था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है । 1980-81 में जब होम्योपैथिक के विभागाध्यक्ष का चयन किया गया तो उन दोनों को समान दर्जा दिया गया लेकिन जब अब चिकित्साधिकारियों का चयन किया जा रहा है तो उसमें डिग्रीवालों के वेटेज को बढ़ा दिया गया है । जिससे डिग्रीवालों और डिप्लोमावालों में सरकार ने तनाव पैदा कर दिया है । क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे जबकि दोनों की समान क्वालीफिकेशन है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है । इस सदन में 1982 में होम्योपैथिक अधिनियम पास किया गया और उसमें हर कालेज में डिग्री को कर दिया गया और सी० पी० एम० टी० के जरिये परीक्षा होने लगी । इसलिए मान्यवर, डिग्रीवालों को कुछ और अर्हता देना चाहिए, यह उचित है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न वर्षों में डिग्रीधारियों के मानकों को प्रतिवर्ष परिवर्तित करने का चयन समिति के सामने क्या अधिकार है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, विभिन्न वर्षों में 1982 से पूर्व लखनऊ के नेशनल होम्योपैथिक कालेज में डिग्री थी, लेकिन अब प्रदेश के सभी 9 कालेजों में डिग्री को कर दिया गया है । प्रतिवर्ष डिग्री धारक उपलब्ध होंगे इसलिए उनका परसेन्टेज बढ़ाना आवश्यक है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, निदेशक की नियुक्ति के समय मामला विवादास्पद था, इसलिए केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् को उनकी राय जानने के लिए भेज दिया गया था । क्या माननीय मंत्री जी इस वेटेज वाले मामले को भी केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् के पास उनकी राय जानने के लिए भेजेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

*6--डाक्टर दिनेश जौहरी--

[8वें गुरुवार के लिए स्थगित]

श्री हरिकृष्ण, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी द्वारा गोदाम के निर्माण में घपला

*7--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिकृष्ण ने जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर के रूप में लगभग 25 वर्ष पूर्व बिना छत डाले ही गोदाम का पूर्ण निर्माण दिखाकर सरकार से रुपया गलत आहरित किया और क्या यह सही है कि उक्त भंडार सडौली-कदीम विकास खंड में आज भी बिना छत के ऐसे ही खड़ा हुआ है तथा छत के अभाव में आज तक प्रयोग में नहीं लाया जा सका ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

इस मामले की विभागीय जांच कराई गई थी तथा विशेष अनुसन्धान शाखा

(कृषि) के पुलिस अधीक्षक से भी जांच कराई गई थी। जांचोपरान्त प्रश्नगत अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। श्री हरिकृष्ण, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर को उक्त गोदाम का स्थानीय निरीक्षण किये बिना सम्बन्धित ठेकेदार को भुगतान की संस्तुति कर देने के लिए चेतावनी दी जा चुकी है।

चूंकि कार्यवाही की जा चुकी है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, कृषि विभाग का यह शानदार कारनामा देखने की कृपा करें। 25 साल से एक कृषि गोदाम, जो सहारनपुर में बना था, उस पर छत नहीं पड़ी है और उत्तर में कहा गया है-"जी हां"। जिला कृषि अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि देखने के बाद पेमेण्ट करें, पेमेण्ट कर दिया गया, उत्तर आया है-"चेतावनी दी जा चुकी है"। मैं जानना चाहता हूं कि इतना जबर्दस्त यह काण्ड है, इसके बाद भी सिर्फ चेतावनी देने की बात कही गयी है। जो सारी चीजें आपके ध्यान में आयी हैं, इसकी गम्भीरता को देखते हुए यह जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ फिर से जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह 25 वर्ष पुराना मसला है। यह दुख की बात है कि वह बीज गोदाम अब तक बिना छत के है, लेकिन इसके लिये जो-जो लोग भी जिम्मेदार थे, उन पर कार्यवाही की जा चुकी है। इसमें उस समय के तत्कालीन उप कृषि निदेशक, मेरठ श्री वीर सिंह, श्री हरी किशन, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर, श्री बी0 एस0 वर्मा, तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी, जिनका मेजर रोल था। श्री बी0 पी0 गुप्त, ओवरसीयर तथा श्री भगेल सिंह, ठेकेदार, ये 5 लोग सम्बन्धित थे। श्री हरी किशन को इस सम्बन्ध में स्थानीय निरीक्षण किये बिना भुगतान की संस्तुति करने के कारण चेतावनी दी जा चुकी है, श्री बी0 एस0 वर्मा, तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी द्वारा उत्तर-दायित्व को न निभा पाने के लिये उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, धोखा-धड़ी के आरोप में यह बी0 पी0 गुप्त जो ओवरसीयर थे, उन्होंने 1961 में यह विभाग छोड़ दिया था लेकिन इसकी जांच हो रही है, यह जांच विजिलेंस के पास है और कागजात भी उन्हीं के पास हैं।

श्री मित्रसेन--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसा उनको बगैर छत डाले भुगतान कर दिया गया है, उन कर्मचारियों को, अधि-कारियों को, क्या उनसे पैसा रिएलाइज कराकर गोदाम की छत डलवाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैं, इसको दिखवा रहा हूं कि दीवालें भी हैं या नहीं, अगर दीवालें होंगी तो छत पड़ जायेगी, नहीं तो नया गोदाम बनवा दिया जायगा। यह जो ठेकेदार था, उसकी भी जमानत जब्त की गयी, ठेकेदार की जमानत 972 रु0 थी। इसकी अनुमानित लागत वर्ष 1959-60 में 9,450 रु0 थी, ठेकेदार को जो भुगतान दिया गया वह 7,405.08 रु0 था।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

जिला कृषि अधिकारी की गलती के कारण विभाग को किराये पर गोदाम लेना पड़ रहा है, माननीय मंत्री जी बता दें कि वह जिला कृषि अधिकारी प्रोमोट होकर कहां पहुंचे हैं ? दूसरे क्या जिन अधिकारियों के द्वारा सरकारी धन का अपव्यय हुआ है गोदाम न बनाने के कारण, उनसे आप इसकी वसूली करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैंने पहले ही बताया कि यह बहुत पुराना मसला है। श्री हरिकृष्ण अधिकारी जिसका नाम आप ले रहे हैं यह अब बीज प्रमाणीकरण संस्थान में हैं। जहां तक धन के रिकवरी का सवाल है, इसको देखा जा रहा है कि कौन-कौन लोग इसके लिये किस तरीके से जिम्मेदार होते हैं। जनता के पैसे का जो नुकसान हुआ है यह कैसे रिकवर किया जा सकता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1961 में जिस आदमी के खिलाफ सतर्कता विभाग के द्वारा जांच की गयी थी और अभी आपने फिर बताया है कि इसकी जांच विजीलेन्स में लम्बित है। तो जिन अधिकारियों ने बेईमानी की और इस घपले में पाये गये, उनको आपने बीज प्रमाणीकरण संस्थान में भेज कर और भ्रष्टाचार करने के लिये प्रोन्नत कर दिया है। क्या मंत्री जी इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए उनकी पद अवनति करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया बहुत स्पष्ट शब्दों में कि यह बहुत पुराना मसला है। जिन अधिकारी हरीकृष्ण की बात आप कर रहे हैं, इनके मामले में एक जांच विजीलेन्स से हुई थी, उसमें उन्होंने कहा चूंकि इस पर कार्यवाही की जा चुकी है इसलिये यह जरूरी नहीं है। तो मान्यवर, अब इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री प्रधान प्रभूदयाल--

मान्यवर, मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो केस 25 साल में पूरा नहीं हो सका, इसे पूरा करने में अभी कितना टाइम और लेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

किस केस की बात आप कर रहे हैं ? क्या गोदाम के निर्माण की बात से आपका अभिप्राय है ?

श्री प्रधान प्रभूदयाल--

नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की बात कह रहा हूं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

बी0 पी0 गुप्ता, ओवरसियर के खिलाफ आज भी जांच चल रही है, सारे कागजात सतर्कता विभाग के पास हैं, वह अभी जांच कर रहे हैं। हरीकृष्ण के मामले में, जो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये था, वह उन्हें दिया जा चुका है।

स्व0 श्री विरजू राम, सेनेटरी सुपरवाइजर, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, खलीलाबाद, बस्ती की विधवा श्रीमती सम्पदा देवी को पेन्शन

*8--श्री हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विरजू राम, सिनेटरी सुपरवाइजर, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, खलीलाबाद, जिला बस्ती, जिनका कैंसर रोग से दिनांक 9-10-1982 को कानपुर के अस्पताल में देहान्त हो गया था, की विधवा श्रीमती सम्पदा देवी को परिवार पेन्शन मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं।

स्व0 श्री विरजू राम, सेनेटरी सुपरवाइजर को 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31-7-1981 को सेवा निवृत्त कर दिया गया था। श्री विरजू राम ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में एक याचिका दायर की थी जिसमें

इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनकी सेवा निवृत्त आयु 58 वर्ष के बजाय 60 वर्ष होना चाहिये था। इस मामले में लोक सेवा अधिकरण में दायर याचिका पर अन्तिम निर्णय दिनांक 23-9-1985 को किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को इस निर्णय की प्रति लोक सेवा अधिकरण के माध्यम से भेजी गयी थी, जो उन्हें प्राप्त नहीं हुई। फलस्वरूप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती द्वारा विधवा श्रीमती सम्पदा देवी को प्रश्नगत पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सका। तथापि अब निदेशालय द्वारा लोक सेवा अधिकरण से उपरोक्त निर्णय की द्वितीय प्रति प्राप्त कर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे स्वर्गीय श्री बिरजू राम की पत्नी श्रीमती सम्पदा देवी को फैमली पेंशन एवं अन्य देय निराशि का भुगतान तुरन्त कर दें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोक सेवा अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 23-9-1985 में श्री बिरजू राम की अवकाश अवधि के सम्बन्ध में क्या कहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्री बिरजू राम की मृत्यु हो गयी है और केस डिसमिस इन डिफाल्ट हो गया है, खारिज हो गया है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, जो उनकी विधवा श्रीमती सम्पदा देवी को पेंशन और अन्य देयों के भुगतान का निर्देश किया है, उसमें किस तिथि से पेंशन उसको दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

रिटायर होने के बाद से।

जनपद कानपुर (देहात) के बिल्हौर, ककवन एवं रसूलाबाद विकास खंडों में मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना

*9--श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग शून्य, जनपद कानपुर (देहात) के सर्वाधिक पिछड़े हुए विकास खंड बिल्हौर, ककवन और रसूलाबाद में कोई औद्योगिक आस्थान बनाये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो सकने की सम्भावना है ? क्या कोई सार्वजनिक उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव भी उपरोक्त विकास खंडों में है ? यदि है, तो किन उद्योगों की स्थापना की जा रही है और किस स्थान पर ?

श्री निसार अहमद अन्सारी--

जनपद कानपुर (देहात) के बिल्हौर, ककवन एवं रसूलाबाद विकास खंडों में मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है। कानपुर (देहात) जनपद के बिल्हौर, ककवन एवं रसूलाबाद विकास खंडों में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव फिलहाल नहीं है,

श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना में मिनी उद्योग जनपद कानपुर (देहात) के बिल्हौर, ककवन और रसूलाबाद विकास क्षेत्र में लगाने पर प्राथमिकता दी जायेगी, क्या उसकी तिथि या वर्ष नियत किया गया है, जब यह उद्योग वहां पर लगा दिये जायेंगे ?

श्री निसार अहमद अन्सारी--

मान्यवर, इन तीनों ब्लाकों में मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का

प्रस्ताव 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है। इनको लगाया जायेगा। उद्योग शून्य जिले में सरकार की नीति है कि जितने जल्दी हो सके वहां पर उद्योग का विकास किया जाये।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग शून्य जिले कौन-कौन से हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री निसार अहमद अन्सारी--

लिस्ट है, हुक्म हो तो बता दूं।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 7वीं योजना में इस क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित करने की बात कही है, तो क्या उसका कोई वर्ष नियत है, यदि हां, तो कृपया बता दें ?

श्री निसार अहमद अन्सारी--

मान्यवर, 7वीं योजना 1985 से 1990 तक के बीच में है।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कानपुर देहात को क्या उद्योग शून्य जिलों की श्रेणी से हटा दिया जायगा क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है और दूसरा प्रश्न यह है कि जो चौबेपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है, वह कब तक पूर्ण होगा ?

श्री निसार अहमद अन्सारी--

मान्यवर, कानपुर देहात को उद्योग शून्य जिलों की लिस्ट से हटाने की सूचना नहीं है और चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया कायम किया जा रहा है। यह एक बड़ी योजना है और इस एरिया में उद्योग लगेंगे।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

मान्यवर, कानपुर देहात में सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र बिल्हौर है और इस क्षेत्र में औद्योगीकरण की नीति है, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस क्षेत्र में जूट के बोरों का कारखाना और चूंकि यहां पर आलू अधिक पैदा होता है तो आलू के चिप्स का कारखाना लगाने के लिए प्राथमिकता देंगे ?

श्री निसार अहमद अंसारी--

मान्यवर, ऐसा तो अभी कोई विचार नहीं है, उससे जितनी विचाराधीन है वही लगेंगी बाकी आगे के लिए विचार होगा।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि कानपुर देहात के जिले को जहां औद्योगीकरण की बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, उसके संदर्भ में क्या कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास है कि कौन-कौन से उद्योग लगेंगे ? कच्चे माल की वहां पर सम्भावना से कौन-कौन से उद्योग लगाने को माननीय मंत्री जी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं ?

श्री निसार अहमद अंसारी--

मान्यवर, वहां जब जो उद्योग लगेगा तो उसके बारे में पूरी जानकारी करके ही लगाया जायेगा। माननीय सदस्य को यह डर है कि कहीं उद्योग लगे और वह फेल न हो जाय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसको पूरी जानकारी करके ही लगाया जायेगा।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा गोविन्द पेपर बोर्ड इण्डस्ट्रीज, तमकुही रोड, देवरिया को उद्योग स्थापना हेतु ऋण का भुगतान

*10--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोविन्द पेपर बोर्ड इण्डस्ट्रीज,

तमकुही रोड देवरिया को उद्योग स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा जनवरी 1978 में लगभग 14 लाख 65 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ था ? क्या उन्हें उक्त ऋण का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो ऋण की अदायगी में विलम्ब करने का कारण क्या है और उन्हें कब तक ऋण का भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री राम औतार दीक्षित--

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा उक्त इकाई को 14 लाख 65 हजार रुपये का ऋण दिनांक 30-11-1977 को स्वीकृत किया गया था जिसकी सूचना 11-1-1978 के पत्र द्वारा इकाई को दी गई थी ।

जी नहीं ।

इकाई द्वारा भूमि के मूल प्रपत्र न दे पाने के कारण उक्त ऋण निरस्त किया जा चुका है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, श्री गोविन्द प्रसाद राय कनाडा में इंजीनियर थे जब हमारे हिन्दुस्तान की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी वहां गयी तो वहां उन्होंने यह आग्रह किया था कि प्रवासी भारतीय चलकर हिन्दुस्तान में उद्योग लगाये उस स्थिति में गोविन्द प्रसाद जी यहां आये । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस इकाई से कब मूल प्रपत्र मांगे गये थे और यह ऋण कब अस्वीकार किया गया है ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, यह जो ऋण है 14 लाख 65 हजार का यह 30-11-1977 को मंजूर हुआ और इकाई को इसकी सूचना 11-1-1978 को दी गयी और चूंकि मूल प्रपत्र नहीं आ सके इसलिए 11-6-1979 को यह निरस्त कर दिया गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस संदर्भ में सन् 1984 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने और सन् 1986 में वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र दिया है यदि हां, तो उनके पत्र का ध्यान में रखते हुए क्या उत्तर प्रदेश शासन पुनः उनके ऋण के भुगतान करने पर विचार करेगा ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, ऋण पर विचार करने के लिए तो अभी भी हम तैयार हैं उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन चूंकि 1977 में जो उन्होंने इकाई वहां स्थापित करने की बात कह दिया और उस इकाई के लिए वह भूमि उपलब्ध नहीं करा सके इसलिए वह ऋण अस्वीकृत हो गया था । अब वह पुनः दूसरी योजना लेकर आये, हम उनको ऋण देंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, क्या यदि वे मूल प्रार्थना-पत्र वित्तीय निगम को दे दें तो उनको ऋण का भुगतान कर दिया जायेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

अल्लीपुर, जनपद फतेहपुर में राजकीय रेशम फार्म की स्थापना पर व्यय तथा पेड़ों की संख्या

*11--श्री अचल सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के अल्लीपुर में स्थापित रेशम उद्योग में अब तक सरकार का कितना पैसा व्यय हुआ और उक्त उद्योग में लगाये गये रेशम के कितने पेड़ तैयार हुये ?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

अल्लीपुर, जनपद फतेहपुर में राजकीय रेशम फार्म की स्थापना पर 31 मार्च, 1985 तक रु0 2,54,259.44 व्यय हुआ ।

कुल 10,703 शहतूत तथा अर्जुन के पेड़ तैयार हुए ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस फार्म की स्थापना कब हुई थी और उसका उद्देश्य क्या था ? दूसरी बात यह है कि इसे कब पूरा होना था ?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

मान्यवर, यह रेशम फार्म की योजना अलीपुर में सन् 1980 से शुरू हुई और सन् 1984-85 तक इस पर काम होता रहा । अब स्थिति यह है कि इस योजना में जो जमीन ली गई थी उसमें खराबी होने की वजह से पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वह जमीन रेशम का कीड़ा पालने के योग्य नहीं है । इसलिये वहां पर इसे रोक कर 27 किलोमीटर दूर मनावा गांव में यह कार्य शुरू कर दिया गया है और वहां पर यह कार्य हो रहा है ।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, पिछले बजट सत्र में उद्योग मंत्री जी ने अपना बजट रखते हुए प्रदेश में एक रेशम उद्योग निदेशालय स्थापित करने के सम्बन्ध में घोषणा की थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह निदेशालय स्थापित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री प्रधान प्रभूदयाल—

मान्यवर, चूंकि वह जमीन खराब थी, इसलिये उस पर पेड़ तैयार न हो सके और इसीलिये दूसरी जगह इस फार्म को ट्रांसफर करना पड़ा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह जमीन खरीदी गई थी उस समय यह नहीं देखा गया कि वह जमीन ऊसर है, यदि हां, तो फिर उस जमीन को खरीदने का क्या औचित्य था और जिन अधिकारियों वह जमीन खरीदी, क्या उनसे उसकी वसूली की जायेगी ?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

श्रीमन्, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय सदस्य को यह जानकारी नहीं है कि यह जो जमीन ली गई थी वह ग्राम सभा ने मुफ्त दी थी और जो जमीन मनावा में मिली वह भी मुफ्त मिली थी ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मुफ्त मिली थी तो उस पर कितना रुपया खर्च हुआ था ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

(व्यवधान)

श्री प्रधान प्रभू दयाल—

मान्यवर, एक सवाल और पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं । कृपया बैठें ।

*12—श्री शारदानन्द अंचल तथा
श्री वीरेन्द्र सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन के सम्बन्ध में स्वास्थ्यसचिव को दिये गये पत्र पर कार्यवाही

*13—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के

चयन हेतु साक्षात्कार के पूर्व 9 अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 1985 को दिया गया एक पत्र सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

चूंकि उक्त पत्र पर कार्यवाही से पूर्व अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी थी अतः उस पर कार्यवाही का औचित्य नहीं था ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि होम्यो चिकित्सा समिति की ओर से इस पत्र के पूर्व भी 1983-84 और 1984-85 में निदेशक के भ्रष्टाचार और अनियमित कार्यों के सिलसिले में पत्र दिये गये थे और उन्हीं पत्रों के कारण यह अनियमितताये पायी गई थीं । उसी के कारण जिन 9 छात्रों की ओर से यह पत्र दिया गया क्योंकि उन्हें शंका पैदा हो गई थी कि उन्हें साक्षात्कार में न्याय नहीं मिलेगा । तो न्याय दिलाने के लिये जो प्रार्थना-पत्र उनकी ओर से आया था साक्षात्कार के समय उस पर इन छात्रों को न्याय दिलाये जाने के बारे में माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, कोई प्रश्न नहीं आया ।

(श्री मित्रसेन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

अब हो गया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

हो कैसे गया ? आप सवाल नहीं करने देते हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आप प्रश्न करें तो उत्तर दूं ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं प्रश्न को देखें कि चयन के लिये जो 9 डाक्टर क्वालिफाइड थे वे वंचित रह गये । वे भारतीय होम्योपैथी समिति के पदाधिकारी हैं इसलिये चयन समिति के लोगों को उनसे नाराजगी थी और जानबूझ कर उनको नहीं लिया गया उनके लिये मानक भी बदल दिया गया योग्यता के 10 प्रतिशत और साक्षात्कार के नम्बर 30 प्रतिशत कर दिये गये । तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने का कष्ट करेंगे कि यह जो 9 छात्र साक्षात्कार के लिये गये थे जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स सबसे ज्यादा थे जबकि 50 परसेंट से कम के लोगों का चयन हो गया और इनके साथ साफ-साफ अन्याय हुआ है । तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके चयन के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर फिर से उनका चयन समिति द्वारा चयन कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह एडहाक नियुक्ति है और लोकसेवा आयोग द्वारा पुनः विज्ञापन निकलेगा, भगवान करे उसमें उनका चयन हो जाय ?

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि उनको कोई शिकायती-पत्र दिया गया था कि यदि यह चयन होगा तो यह निष्पक्ष नहीं होगा, यदि हां तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की और इसके बावजूद चयन गलत ढंग से किया गया, तो क्या फिर चयन समिति बैठाकर निष्पक्ष चयन करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, आप मंत्री रह चुके हैं क्या ऐसी परम्परा है । इस प्रकार के

पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। पुनः चयन समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि 1983 और 1984 तथा 1985 में निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आधार पर होम्योपैथिक चिकित्सकों की समिति की ओर से शिकायत की गई थी और उसमें जो शिकायतें थी क्या वह सही पाई गयी थी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी, नहीं।

*14--श्री पूरन सिंह माहरा--

[27वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री कीर्ति सिंह विनीत के प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में श्रीमती ओमवती, सदस्य, विधान सभा के पत्र की जांच

*15--श्री राम सरन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें माननीय विधायिका, श्रीमती ओमवती का दिनांक 5-6-85 का पत्र जिसके साथ श्री कीर्ति सिंह विनीत का प्रार्थना-पत्र संलग्न था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की बिन्दुवार जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

जी हां, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, लखनऊ से जांच कराई गई। श्री कीर्ति सिंह विनीत के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखें नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 135 पर)

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जांच रिपोर्ट आपके पास कब आयी और इसमें क्या-क्या तथ्य सामने आये और उन तथ्यों के ऊपर कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, इनके प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है जो माननीय सदस्य को दे दी गयी है। यह 8 जून 1985 को आया था और 10-7-85 को इसके जांच करने के लिए आदेश हो गये थे और 25-7-85 को यह जांच हुई और जांच के जो तथ्य सामने आये उसमें श्रीमती विनीत की मृत्यु हो गयी थी वह किसी अन्य चिकित्सक से चिकित्सा करा रहे थे वह राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के चिकित्सक नहीं हैं जब उनकी स्थिति खराब हो गयी तो वहां के स्थानीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी को बुलाया गया, जब उन्होंने देखा तो उनकी मृत्यु हो गयी थी।

देवरिया जनपद के विकास खंड, पडरौना में श्री शिवदास तिवारी कृषि रक्षा पर्यवेक्षक द्वारा फर्जी वितरण

*16--श्रीमती शारदा देवी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के विकास खंड पडरौना में चावल उत्पादन योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुदान को श्री शिवदास तिवारी कृषि रक्षा पर्यवेक्षक ने

फर्जी वितरण दिखाकर लगभग 50 हजार रुपये की खरपतवार नाशक दवा गोरखपुर में दिनांक 5-7-85 को बेचकर हड़प लिया है, जिसकी शिकायत वहां के सहायक विकास अधिकारी, कृषि रक्षा ने दिनांक 12-7-85 को कृषि रक्षा अधिकारी, देवरिया को दिया ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

श्री देव नन्दन प्रसाद, सहायक विकास अधिकारी, कृषि रक्षा, पडरौना ने अपने पंजीकृत गोपनीय पत्र दिनांक 12-7-85 द्वारा श्री शिवदास तिवारी कृषि रक्षा पर्यवेक्षक के विरुद्ध 400 कि0 ग्रा0 खरपतवार नाशक दवा जिसका मूल्य लगभग 22000 रुपया है को दिनांक 5-7-85 को गोरखपुर में बेचने की शिकायत की थी । श्री तिवारी, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक से भंडार का चार्ज हटाकर उन्हें निलम्बित कर दिया गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती शारदा देवी--

मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं क्या शिवदास तिवारी ने 65 लाख रुपये की दवा देवरिया से लेकर गोरखपुर में बेच दिया और परियोजना अधिकारी की मिली भगत इसमें है ? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या मंत्री जी कार्यवाही करके हमको अवगत करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, उन्हें तो निलम्बित किया जा चुका है और जांच हो रही है ।

श्रीमती शारदा देवी--

मान्यवर, उनके खिलाफ कार्यवाही करके मुझे भी अवगत क्या करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसमें जांच हो रही है और जल्दी ही पूरी कराने की कोशिश की जायेगी ।

पशुपालन अधिकारियों द्वारा आगरा में बरसीम के बीज के क्रय-विक्रय में घपला

*17--श्री विजय सिंह राणा--

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में पशुपालन अधिकारियों ने बरसीम का बीज 160 रु0 प्रति किलो के हिसाब से क्रय किया गया है जब कि बलवन्त रजपूत कालेज, आगरा में बरसीम का विक्रय 12 रु0 प्रति किलो किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि इतनी ऊंची दर पर बीज खरीदने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ? क्या सरकार ने ऐसे अधिकारी के प्रति कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

जी नहीं, बलवन्त कालेज, आगरा में बरसीम का बीज विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं था ।

मामले की जांच की जा रही है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । पशुधन मंत्री भी और लोगों की तरह जवाब देंगे तो कैसे काम चलेगा ? आप प्रश्न और जवाब को देख लें । मेरा प्रश्न था कि कृषि विभाग ने बरसीम का बीज 160 रुपये प्रति किलो से खरीदा है जबकि बिका 20 रुपये के दाम से, तो पहले मूल लिखित उत्तर दिया है कि बरसीम का बीज नहीं बिका और उत्तर के दूसरे भाग में कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है । तो इसमें विरोधाभास क्यों है ? जब बिका नहीं, तो जांच क्या करा रहे हैं । यह जांच कौन कर रहा है ? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बी0 आर0 कालेज के खाते जो हैं उनमें बिक्री की रसीदें मौजूद हैं और उनके

नाम मौजूद हैं तो क्या उन खातों की जांच आपने कराई है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह बात सही, जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर दिया, क्योंकि प्रश्न में भी कहीं उल्लेख नहीं है कि किस वर्ष या महीने से सम्बन्धित है ।

मान्यवर, जहां तक बी0 आर0 कालेज के बारे में पूछा है तो उनका पत्र मौजूद है, जिसमें उन्होंने लिखा है—सेवा में, पशुधन विकास अधिकारी, कन्धारी आगरा, "मेरे पास फार्म पर कुछ अधिक बीज नहीं था, जो था वह अपने फार्म के लिए ही था । इसके अलावा उसका फार्म द्वारा कोई अंकुरण परीक्षण भी नहीं कराया गया था ।" यह पत्र है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा "जैसा प्रश्न था, वैसा उत्तर दिया, और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रश्न में कोई चीज नहीं थी । इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब प्रश्न मंजूर हुआ तो वह कैसे हुआ । परीक्षण करने का मान्यवर, आपको अधिकार है उनको यह अधिकार नहीं है । तो मेरा प्रश्न है कि बी0 आर0 कालेज से जब कोई बीज नहीं बिका तो आप जांच क्या करा रहे हैं, इसका उत्तर दें । मेरा कहना है कि बी0 आर0 कालेज से पत्र पशुधन अधिकारी को लिखवाया गया है । बी0 आर0 कालेज के खातों में बिक्री की रसीदें मौजूद हैं, इसलिए क्या आपने उन खातों की जांच कराई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री विजय सिंह राणा—

यह क्या बात हुई इसका जवाब तो दिलवा दीजिए । यह तो गलत बात है । मैंने पूरा प्रश्न कर लिया, तो मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

घड़ी कह रही है, मैं क्या करूं । आपसे तो इसलिए करा लिया कि एक आध मिनट आपका था । अब या तो एक आध मिनट पहले ही समाप्त कह देते ।

ललितपुर जनपद में भूमिगत राक फास्फेट का भंडार तथा उद्योग की स्थापना

*18—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में भूमिगत राक फास्फेट भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट के आधार पर भारी मात्रा में मिला है ? यदि हां, तो वहां पर शासन द्वारा बड़ा उद्योग लगाने का कोई विचार है ? इस सम्बन्ध में क्या उद्योग मंत्री जी एक विस्तृत रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ललितपुर जनपद के सोनरई क्षेत्र में राक फास्फेट के लगभग 60 लाख टन के भंडार का आगणन किया गया है, किन्तु राक फास्फेट के सामान्य रूप से मिलने वाले भंडारों की अपेक्षा इसे भारी मात्रा की संज्ञा दिया जाना उचित नहीं होगा ।

उपरोक्त भंडार मुख्यतः निम्न श्रेणी का है जिसका उपयोग फास्फेटिक उर्वरक के लिए करने से पूर्व शुद्धीकरण आवश्यक है । इस शुद्धीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में औद्योगिक परीक्षण कराये जा रहे हैं । इस उद्योग का यहां लगाया जाना, इन परीक्षणों के तकनीकी व आर्थिक रूप से उपयुक्त पाये जाने पर निर्भर करेगा । वर्तमान में परीक्षण कराया जा रहा है । अतः अभी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

एस0 एन0 एम0 चिकित्सालय, फिरोजाबाद, आगरा के निकट पोखर में अस्पताल के गंदे जल का भराव

*19--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के एस0 एन0 चिकित्सालय के परिसर में एक बड़ी पोखर है जिसमें मथुरा नगर, बाई पास और स्वयं अस्पताल का गन्दा पानी भरा रहता है और गन्दे पानी की दुर्गन्ध से रोगियों का पलंग पर इलाज कराना दूभर बन गया है ? यदि हां, तो इस गन्दे पानी की निकासी के लिए शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

एस0 एन0 एम0 चिकित्सालय फिरोजाबाद, जिला आगरा के परिसर में वार्ड नं0 1 से लगभग 100 फीट की दूरी पर एक पोखर है जिसमें मथुरा नगर बाई पास तथा चिकित्सालय के गन्दे पानी की निकासी (ड्रेनेज) के अभाव के कारण पानी इकट्ठा हो जाता है । इस पोखर से अस्पताल के मरीजों को किसी कठिनाई का मामला शासन के सम्मुख नहीं आया है । गन्दे पानी के निकासी हेतु कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा द्वारा की जा रही है ।

प्रदेश के उन्नतिशील धान की खेती का अध्ययन करने हेतु मनीला (फिलिपाइंस) जाने वाली टीम

*20--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि 25-8-1985 से प्रदेश से प्रगतिशील किसानों की एक टीम मनीला (फिलिपाइंस) उन्नतशील धान की खेती का अध्ययन करने जा रही है ? यदि हां, तो उक्त टीम के सदस्यों के नाम और पते क्या हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

बलिया जनपद के फेफना पशु सेवा केन्द्र की भूमि पर फेफना पुलिस द्वारा अतिक्रमण

1--श्री मैनेजर सिंह--

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के फेफना पशु सेवा केन्द्र की भूमि पर फेफना पुलिस ने अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक स्वीकृति की मांग जिला पशुधन अधिकारी ने जिला अधिकारी, बलिया से की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुम सिंह--

प्रकरण में विभागाध्यक्ष ने जांच की । उनकी आख्या प्राप्त हो गयी है जो परीक्षणाधीन है ।

पिथौरागढ़ में चिकित्सकों हेतु चिकित्सकीय विज्ञान सम्बन्धी वाचनालय खोले जाने की मांग

2--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में चिकित्सकों को चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छी पुस्तकालय व वाचनालय व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां शीघ्र पुस्तकालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

किसी भी जिला चिकित्सालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही पिथौरागढ़ में ऐसी व्यवस्था है। प्रश्न नहीं उठता है।

पिथौरागढ़ में कनालीद्दीना स्थान पर चिकित्सालय भवन का निर्माण

3—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कनालीद्दीना नामक स्थान में चिकित्सालय भवन के लिये विगत 3 वर्षों से अधिक समय से लगातार बजट में धनराशि रखे जाने पर भी वहां भवन निर्माण नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस भवन का निर्माण कब तक पूर्ण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद पिथौरागढ़ के कनालीद्दीन नामक स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 1984 द्वारा दी गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है और भवन के निर्माण हेतु कार्यवाही चल रही है। उसके जून, 1987 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर के तत्कालीन प्रबन्धक श्री के0 सी0 निगम के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

4—श्री राम सजीवन तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय/उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर के तत्कालीन प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) श्री के0 सी0 निगम के विरुद्ध जुलाई, 1982 से सितम्बर, 1983 तक के बीच श्री शिव रतन लाल सक्सेना, डी/28 राजकीय कालोनी, हमीरपुर व कामरेड रामफल पाठक आदि ने तथा तत्कालीन विधायक श्री बिशन लाल, बिजनौर, तत्कालीन विधायक श्री मुंशी लाल, मैनपुरी, तत्कालीन विधायक श्री रामेश्वर प्रसाद, बबेरू (बांदा), तत्कालीन विधायक श्री प्रताप नारायण दूबे, हमीरपुर, तत्कालीन विधायक श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, बांदा, तत्कालीन विधायक श्री शिव नरेश मिश्रा, कर्वी (बांदा) तत्कालीन विधायक श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय, नरैनी (बांदा), श्री शिरोमणि विधायक मानिकपुर (बांदा) व श्री जगदीश नारायण शर्मा, विधायक, हमीरपुर तत्कालीन विधायक जहानाबाद (फतेहपुर), सदस्य, विधान परिषद् श्री शिव प्रताप सिंह व श्री राम सजीवन सिंह आदि के शिकायती-पत्र विभाग/शासन को भेजे प्राप्त हुये थे? यदि हां, तो शिकायती प्रार्थना-पत्र में क्या आरोप थे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में जुलाई, 1982 से सितम्बर, 1983 के बीच श्री बिशन लाल तत्कालीन विधायक, बिजनौर एवं श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन विधायक, नरैनी (बांदा) को छोड़कर प्रश्न में उल्लिखित सभी व्यक्तियों के शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं।

उद्योग निदेशालय में प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन विधायक, नरैनी (बांदा) को छोड़कर प्रश्न में उल्लिखित अन्य सभी व्यक्तियों के शिकायती-पत्र शासन में प्राप्त हुए हैं।

शिकायती प्रार्थना-पत्रों में निम्न मुख्य आरोप थे—

1—खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहायता व सुविधा विशेष तौर पर रा0 क्षेत्र में केन्द्रित की गयी।

2--कारीगर व निर्बल वर्ग के सदस्यों की अपेक्षा साधन सम्पन्न व सरकारी कर्मचारी को ऋण दिया गया ।

3--श्री बृज भूषण गुप्ता पुत्र श्री भवानीदीन तत्कालीन सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, धमना, राठ, जनपद हमीरपुर, उनकी पत्नी, उनके चाचा, उनके अन्य रिश्तेदारों एवं मित्रों को ही ऋण वितरित किया गया जिसमें अनेकों अनियमिततायें पाई गईं व लगभग सम्पूर्ण धन दुरुपयोगित हुआ ।

4--मेसर्स गोविन्द औद्योगिक प्रतिष्ठान राठ की सहायता, आम बैठक, प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण, बैंक एकाउन्ट, मण्डी शुल्क की रसीदों आदि में अनियमिततायें की गयीं । संस्था की पावरधानी चालू हालत में नहीं है ।

5--श्री बिरंची लाल पुत्र खलेक, ग्राम धनौरा को काष्ठ कला उद्योग हेतु दिए गए धन 1,600 रु0 ऋण एवं 600 रु0 अनुदान के सम्बन्ध में दुरुपयोग की शिकायत की गयी है ।

6--जनहित विकास सेवा संस्थान, हमीरपुर के सदस्य एक ही परिवार के हैं तथा संस्था द्वारा लिए गए ऋण की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

7--श्री ज्वाला प्रसाद एवं श्री राम सेवक द्वारा साबुन उद्योग हेतु लिए गए ऋण का दुरुपयोग किया गया है ।

8--वितरित धन के सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं जाँच का अनुसरण नहीं किया गया ।

जी हाँ ।

5--श्री राम सजीवन तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (परि0), हमीरपुर के श्री बी0 पी0 सिंह ने जांच करके रिपोर्ट भेजी थी तथा उनकी जांच आख्या सहित तत्कालीन जिलाधिकारी, हमीरपुर श्री एस0 पी0 गौड़ ने भी रिपोर्ट भेजी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच रिपोर्ट काफी विस्तृत है अतः माननीय सदस्य उसे मेरे कक्ष में आकर देख सकते हैं ।

जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री के0 सी0 निगम की चरित्र पंजिका में वर्ष 1983-84 में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी एवं उनका स्थानान्तरण भी हमीरपुर से फर्रुखाबाद कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के ग्राम धनौरी, निवासी श्री बिरंची लाल, प्रधानाध्यापक को काष्ठ कला उद्योग हेतु दिया गया अनुदान तथा ऋण

6--श्री राम सजीवन तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बजट द्वारा 1981-82 में श्री बिरंची लाल पुत्र श्री हलके, जाति लोधी, निवासी ग्राम धनौरी, तहसील राठ, जनपद हमीरपुर को काष्ठ कला उद्योग हेतु 1,600 रु0 ऋण व 600 रु0 अनुदान दिया गया था ? क्या उक्त व्यक्ति बेसिक प्राइमरी पाठ-

शाला, धमना, राठ, जनपद हमीरपुर में तत्कालीन प्रधानाध्यापक के पद पर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी भी था ? यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारी को उद्योग हेतु धन देने का क्या आधार है और इसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उद्यमी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त व्यक्ति बेसिक प्राइमरी पाठशाला, धमना, राठ, जनपद हमीरपुर के तत्कालीन प्रधानाध्यापक के पद पर बेसिक शिक्षा परिषद् का कर्मचारी था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद में मेनिनजाइटिस रोग से मृत्यु तथा फाजिलनगर क्षेत्र में दवाइयों का अभाव

7--श्रीमती शशि शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष देवरिया जनपद में मेनिनजाइटिस रोग से कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा फाजिलनगर निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोग दवाइयों के अभाव में मरे ? मरे हुए परिवारजनों को सरकार क्या सहायता देने जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

देवरिया जनपद में प्रश्नगत अवधि में मनिनजाइटिस रोग से किसी की मृत्यु नहीं हुई तथा न ही फाजिलनगर ब्लाक में दवाओं के अभाव में किसी की मृत्यु हुई है । अतः सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय क्षेत्रों में आलू क्रय केन्द्रों की स्थापना

8--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आलू की खरीद के लिए खानपुर तथा स्याना, जिला बुलन्दशहर में एम० ए० एफ० ई० डी० द्वारा खरीद केन्द्र इस वर्ष खोले जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उपरोक्त केन्द्र कब तक खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जनपद बुलन्दशहर के आलू बाहुल्य क्षेत्रों में पांच क्रय केन्द्र, बुलन्दशहर, गुलावठी, खुर्जा, सिकन्दराबाद तथा जहांगीराबाद में नैफेड द्वारा खोले गये हैं ।

9--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खंड स्याना एवं ऊंचा गांव में आलू की खेती का क्षेत्रफल

10--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना विकास खंड तथा ऊंचा गांव विकास खंड, जनपद बुलन्दशहर में आलू की खेती का कितना क्षेत्रफल है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जनपद बुलन्दशहर के विकास खंड स्याना एवं ऊंचा गांव में आलू की खेती के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में अनुमानतः क्रमशः 180 एवं 175 हेक्टेयर क्षेत्र है ।

जनपद लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट के स्वास्थ्य कर्मचारियों के गबन हुए वेतन का भुगतान

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट के स्वास्थ्य कर्मचारियों का माह नवम्बर, 1974 के वेतन का गबन हो गया था और उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है जबकि इसी तरह के गबन जनपद सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदोई एवं जनपद बाराबंकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धुधतेर में भी हुए थे और वहां का भुगतान शासन द्वारा तुरन्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो चिनहट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायगा तथा क्या यह भुगतान ब्याज सहित किये जाने का आदेश शासन देगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट के स्वास्थ्य कर्मचारियों के माह नवम्बर, 1974 के वेतन का गबन हुआ था। गबन का मुकदमा चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में चल रहा है। उक्त अवधि के अभिलेख जैसे वेतन रजिस्टर, कैशबुक 11-सी आदि के अभाव में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है और देयों की वास्तविक स्थिति की जानकारी होते ही वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कृषि रसायनों की बिक्री में किसानों से दस प्रतिशत मूल्य अधिक लिया जाना

12—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि कृषि विभाग द्वारा कृषि रसायनों की बिक्री में किसानों से दस प्रतिशत अधिक मूल्य लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

रसायनों के क्रय मूल्य 5 प्रतिशत प्रासंगिक व्यय रसायनों के परिवहन छीजन तथा हैन्डलिंग आदि के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए तथा अतिरिक्त 5 प्रतिशत शुल्क कृषि रक्षा इकाईयों से छिड़काव के लिए लिया जाता है जिससे कृषि रक्षा यंत्र तथा कृषक के खेत पर उपचार कार्य को संचालित कराने व निर्देश देने के लिए कृषि रक्षा कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं, इस सेवा के लिए रसायन के मूल्य का 5 प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में लिया जाता है।

टी0 एण्ड बी0 योजना को प्रदेश के सभी मंडलों में लागू करने की मांग

13—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसानों के हित में वर्ष 1985-86 में टी0 एण्ड बी0 योजना प्रदेश के चार मंडलों में लागू की है ? यदि हां, तो शेष मंडलों में लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

नयी योजना होने के कारण प्रारम्भ में सीमित क्षेत्र में ही कार्यान्वित की जा रही है।

14—श्री राजेन्द्र शर्मा—

[7वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का तृतीय श्रेणी के लिपिकीय पदों पर पदोन्नति

15—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं गांधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय, लखनऊ में शासनादेश संख्या 37/1-1969-कार्मिक-2, दिनांक 31-8-1982 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, सन् 1970 से अब तक चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में 15 प्रतिशत निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय पदों पर प्रत्येक वर्ष कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? केन्द्रीय पुस्तकालय किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में 1964 से कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेश के अनुसार अब तक पदोन्नति न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बजट सत्र में उपहार स्वरूप देने हेतु ब्रीफकेस की खरीद में अनियमितता

16—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा के गत बजट सत्र पर उपहार स्वरूप देने के लिए ब्रीफकेस खरीदने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 649, दिनांक 30-12-85 माननीय मुख्य मंत्री को दिनांक 30-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । प्रश्न में संदर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के बारे में जांच कराई गई । जांच के फलस्वरूप प्रश्नगत क्रय में कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

17—श्री सुखपाल पाण्डे—

[7वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुरादाबाद की दुग्ध उत्पादन समितियों एवं सचिवों द्वारा प्रभारी एफ0 ओ0 एण्ड ए0 एस0, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

18—श्री राम सजीवन—

क्या पशुधन विकास एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले की कई दुग्ध उत्पादन समितियों के कई सचिवों व अन्य पदाधिकारियों ने 16 दिसम्बर, 1985 और उसके पूर्व कई बार प्रबन्ध निदेशक पी0 सी0 डी0 एफ0 लखनऊ को प्रार्थना-पत्र देकर प्रभारी एफ0 ओ0 एण्ड ए0 एस0 मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र भेजे थे ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां । इस सम्बन्ध में कुल 5 शिकायती-पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से चार की जांच करा ली गयी है और शिकायतें निराधार पायी गयी । शेष एक की जांच की जा रही है ।

स्व0 श्रीमती शकुन्तला ए0 एन0 एम0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम, हरदोई के (पुत्र) की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र

19—श्री परमाई लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शकुन्तला ए0 एन0 एम0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम हरदोई की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रित (पुत्र) श्री निशेष कुमार ने शासनादेश संख्या 6 दिसम्बर, 1973 नियुक्ति-4 दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 के क्रम में सेवा-योजन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र विभाग/शासन को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

श्री निशेष कुमार शुक्ल का प्रार्थना-पत्र दिनांक 15 अक्तूबर, 1985 जो कि स्वास्थ्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ। जिस पर उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली 1974 के अनुसार कार्यवाही किय जाने हेतु निदेशक (परिवार कल्याण) को निदेशित किया गया है । जो कि कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। श्री निशेष कुमार शुक्ल ने कम्पाउन्डर के पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है जिस पर उन्हें अप्रशिक्षित होने के कारण नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रशिक्षण चयन में मृत कर्मचारी के आश्रित के लिये कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

20—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[दिनांक 20 फरवरी, 1986 को अता0 प्र0 सं0 85 द्वारा उत्तरित ।]

21—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[दि0 20 फरवरी, 1986 को अता0 प्र0 सं0 121 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद बांदा के पशु चिकित्सालयों में पशुधन विकास अधिकारियों की नियुक्ति की मांग

22—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के सभी पशु चिकित्सालयों में पशुधन विकास अधिकारी की नियुक्ति है ? यदि नहीं, तो सभी पशु चिकित्सालयों में कब तक पशुधन विकास अधिकारी नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं ।

लोक सेवा आयोग से चयनित/तदर्थ अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर सभी पशु चिकित्सालयों में पशुधन विकास अधिकारियों की नियुक्ति सम्भव हो सकेगी। कार्य हित में नियमित चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक की अवधि में तदर्थ नियुक्ति द्वारा रिक्तियों को भरे जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

23—श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में भूमि सुधार निगम द्वारा कृत कार्य का विवरण तथा लाभ हानि

24—श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि का सुधार निगम द्वारा वर्ष 1983

से अब तक कितना भूमि का सुधार किया गया है और कितना लाभ या हानि हुई ? यदि हानि हुई है तो क्यों और इसको पंजाब व हरियाणा के निगमों की भांति जन उपयोगी क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

अप्रैल 1983 से जनवरी, 1986 तक निगम द्वारा 5.9 हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि का सुधार किया गया। इसमें निगम को 21.00 लाख रु0 की (अनुमानित) हानि हुई। वर्तमान समय में निगम द्वारा मुख्यतः भूमि सुधार का काय सम्पादित किया जाता है जिसमें निगम को कोई लाभ नहीं होता है।

निगम की स्थिति ठीक करने की योजना बनवाई जा रही है। विभिन्न पहलुओं के परीक्षण के उपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

जिला महिला चिकित्सालय, रामपुर में डिलीवरी केसेज तथा उनमें मरे बच्चों का विवरण

25--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामपुर के जिला अस्पताल में 1984-85 में डिलीवरी केसेज में कितने बच्चे मरे पैदा हुये ? कितने पैदा होने के 48 घंटों में मर गये तथा कितने आपरेशन द्वारा पैदा किये गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जिला महिला चिकित्सालय, रामपुर में वर्ष 1984-85 में सम्पादित डिलीवरी केसेज तथा उनमें मरे बच्चों के विवरण निम्न प्रकार हैं :--

(क) कुल प्रसवों की संख्या--722

(ख) प्रसव के समय मरे बच्चों की संख्या 16

(ग) प्रसव के 48 घंटे में मरे बच्चों की संख्या 12

(घ) आपरेशन द्वारा पैदा किये गये बच्चों की संख्या 193

विकास खण्ड कौधियारा, इलाहाबाद में कृषि रक्षा इकाई का अभाव

26--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में 28 विकास खंड हैं किन्तु कृषि रक्षा इकाई मात्र 27 विकास खंडो में हैं, विकास खंड कौधियारा में कृषि रक्षा इकाई न होने से कृषि रक्षा का कार्य ठप है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला योजना समिति ने कृषि रक्षा इकाई की स्थापना एवं स्टाफ नियुक्ति हेतु गत 2 वर्षों से प्रस्ताव शासन के पास भेजा है ? किन्तु अभी तक इकाई की स्थापना नहीं हो सकी ? यदि हां, तो कृषि रक्षा इकाई की स्थापना कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

कार्य ठप नहीं है बल्कि निकटवर्ती कृषि रक्षा ईकाईयों से कृषि रक्षा कार्य कराया जा रहा है।

जी हां। किन्तु इसे स्वीकृत नहीं किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 1986-87 म विचार किया जायेगा।

विकास खण्ड कौधियारा, इलाहाबाद में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण

27--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के

कौधियारा विकास खंड के मुख्यालय के पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु जिला योजना समिति से गत दो वर्षों से प्रस्ताव शासन के पास आ रहा है किन्तु अभी तक भवन निर्माण हेतु धनराशि न स्वीकृत होने का क्या कारण है और यह अस्पताल कब तक निर्मित हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

इलाहाबाद जनपद के कौधियारा विकास खंड के मुख्यालय चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा जिला योजना में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं की गयी। जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा जिला योजना में इस हेतु धनराशि प्राविधानित करने के उपरान्त ही भवन निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में विभिन्न मदों के लिये आबंटित धनराशि

28—श्री कृष्ण कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के जिला चिकित्सालय में वर्तमान वित्तीय सत्र में कितना बजट आवंटन हुआ है ? किस-किस मद के लिये कितना-कितना तथा लोकल पर्चेज अब तक कितना किया जा चुका है तथा किन-किन के लिये यह पर्चेज हुए हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 1985-86 में कुल 49,27,148·00 रु0 का बजट निम्न मदों के लिये आवंटित किया गया :—

	रु0
1—जिला चिकित्सा अधिकारी	2,54,000.00
2—एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय	39,35,000.00
3—उपचारिका सेवायें	10,300.00
4—एम्बुलेन्स योजना	20,200.00
5—रक्त प्रक्षेपण योजना	34,300.00
6—अंधेपन की रोकथाम	10,948.00
7—जलातक रोग नाशक	4,000.00
8—निर्माण	2,00,000.00
9—दवाइयां—	
1—पत्रकारों	500.00
2—स्वत्रंता सेनानी	2,000.00
3—भूतपूर्व विधायक	1,000.00
रु0 ..	3,500.00
10—प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट	35,600.00
11—हृदय रोग तथा आई0 सी0 सी0 यूनिट	1,63,500.00
12—डीजल जेनरेटर	13,700.00
13—रति रोग रुजालय	1,03,500.00
14—होम्योपैथिक चिकित्सा यूनिट	32,600.00
15—डिवीजनल लेबोटरी	84,000.00
16—पुलिस बजट	22,000.00
कुल योग ..	49,27,148.00

लोकल पर्चेज अब तक 29,694.30 रु0 का किया जा चुका है। लोकल पर्चेज राज्य सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं सेवा निवृत कर्मचारी, चिकित्सालय में भर्ती रोगियों हेतु (परिवार कल्याण अपनाये हुए सहित), जर्नलिस्ट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा माननीय विधायकगण उनके परिवार तथा भूतपूर्व विधायकों के लिये किया गया।

वरिष्ठ अधीक्षक जिला चिकित्सालय फैजाबाद द्वारा कराये गये निर्माण कार्य पर व्यय

29—श्री कृष्ण कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की वरिष्ठ अधीक्षक जिला चिकित्सालय, फैजाबाद डा0 भटनागर जब से फैजाबाद जिला चिकित्सालय में कार्य भार ग्रहण किये हैं, कितना निर्माण कार्य-कराये हैं और किस-किस चीज का तथा उस पर कितना-कितना व्यय आया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 डी0 पी0 भटनागर ने जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के पद पर दिनांक 8 अगस्त, 1985 के अपराह्न में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अधोलिखित निर्माण कार्य कराये, जिस पर किया व्यय प्रत्येक मद के समक्ष इंगित है :

निर्माण कार्य का मद	व्यय
	रु0
1—जिला चिकित्सालय के पैथालोजी विभाग में एक शौचालय का निर्माण ।	18,738.20
2—जिला चिकित्सालय के बाह्य रोगी विभाग के ऊपर सौर ऊर्जास्थापित करने हेतु 40 आर0 सी0 सी0 पिलर का निर्माण ।	8516.25
3—आउटडोर के पास बने शौचालय के सामने, दीवार का निर्माण ।	
4—इमर्जेंसी वार्ड के पीछे बरामदे में दीवाल, का निर्माण ।	
5—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निवास पर दरवाजे लगाने, तथा चिकित्सालय के जंगलों का कार्य ।	

जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में विधायकों को सुविधा

30—श्री कृष्ण कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय में फैजाबाद के विधायकों को क्या सुविधायें प्राप्त हैं तथा किनको-किनको सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में माननीय विधायकों को शासन द्वारा निर्धारित समस्त सुविधायें चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा लिखे गये पर्चे के अनुसार आवश्यक परीक्षण एवं औषधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

उक्त चिकित्सालय द्वारा निम्न विधायकों द्वारा सुविधा प्राप्त की गयी है :—

सर्वश्री—

1—अवधेश प्रसाद
2—सुरेन्द्र प्रताप सिंह
3—मित्रसेन यादव
4—जयराम वर्मा
5—सीताराम निषाद
6—रवीन्द्र नाथ तिवारी

मुख्य चिकित्साधिकारी एवं वरिष्ठ अधीक्षक जिला चिकित्सालय, फैजाबाद का कार्य क्षेत्र

31—श्री कृष्ण कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद एवं वरिष्ठ अधीक्षक जिला चिकित्सालय, फैजाबाद दोनों का क्या कार्य क्षेत्र है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

अन्य जनपदों की भांति फैजाबाद में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी व

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन है। वरिष्ठ अधीक्षक जिला अस्पताल के कार्यों में नियंत्रण रखते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिला योजना, समन्वय व पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं।

स्वास्थ्य विभाग के कतिपय पद धारकों को उच्च वेतन स्वीकृत करने हेतु शासनादेश

32--श्री परागी लाल चौधरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 फरवरी, 1982 को बजट भाषण के दौरान उन्होंने प्रदेश के चिकित्सा व्यवस्था एवं परिवार कल्याण विभाग व आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के कतिपय पदधारकों को उच्च वेतनमान दिये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पद-धारकों को उच्च वेतनमान स्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस शासनादेश द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त शासनादेश शीघ्र निर्गत कर दिए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

इसमें से संलग्न सूची के अनुसार पदधारकों को उच्च वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है। कुछ मामलों में उच्च वेतनमान देना सम्भव नहीं है। कुछ मामले शासन के विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 137 पर)

33--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

[7वें बुधवार में अता० प्र० सं० 108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि विभाग के कतिपय राजकीय प्रक्षेत्रों पर धान, गेहूं का औसत उत्पादन, लाभ और हानि

34--श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग के ढकौनी (हरदोई), रहीमाबाद (लखनऊ) कटियार (लखनऊ) तथा जमुनाबाद (लखीमपुर खीरी) फर्मों पर गत 10 वर्षों से धान, गेहूं का औसत उत्पादन प्रति एकड़ कितना हुआ है और कितने लाख रुपया का लाभ या हानि हुई है ? यदि हानि हुई है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है और अब तक इन प्रक्षेत्रों पर लाभदायक उत्पादन होने की आशा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

कृषि विभाग के निम्नलिखित राजकीय प्रक्षेत्रों पर विगत 10 वर्षों में धान, गेहूं का औसत उत्पादन प्रति एकड़ (कुंतल में) निम्न प्रकार हुआ है :--

प्रक्षेत्र का नाम	धान	गेहूं
ढकौनी (हरदोई)	6.40	5.59
रहीमाबाद (लखनऊ)	6.77	5.32
कटियार (लखनऊ)	5.64	5.33
जमुनाबाद (लखीमपुर खीरी)	9.79	7.43

वर्ष 1975-76 से 1983-84 की अवधि में ढकौनी, रहीमाबाद, कटियार, तथा जमुनाबाद प्रक्षेत्रों पर कुल हानि क्रमशः रु0 34.49 लाख, रु0 8.43 लाख, रु0 20.67 लाख तथा 13.97 रु0 लाख हुई है। इस हानि के लिये कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है। इन प्रक्षेत्रों की भूमि में सुधार होने, पानी की सुविधा उपलब्ध होने तथा जल निकासी आदि की समस्याओं के निराकरण के पश्चात् ही लाभदायक उत्पादन की आशा की जा सकती है।

खेकड़ा, जिला मेरठ के राजकीय अस्पताल के डाक्टर को चिकित्सालय परिसर में रहने का प्राविधान

35--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों को कार्य समय के अतिरिक्त भी चिकित्सालय परिसर में रहने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि खेकड़ा, जिला मेरठ के राजकीय अस्पताल के डा0 वहां पर 3 बजे के बाद नहीं रहते हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों के कार्य समय के अतिरिक्त, एक चिकित्साधिकारी को वहां आपातकालीन कार्य के लिए रहने का प्राविधान है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेकड़ा के परिसर में बना आवास, जिस चिकित्साधिकारी को आवंटित है वह वहां पर तीन बजे अपराह्न के बाद नहीं रहते हैं ।

मांट उच्चीकृत अस्पताल, मथुरा की दुर्व्यवस्था के बारे में शिकायती-पत्र

36--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-12-85 को प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती-पत्र मांट उच्चीकृत अस्पताल, मथुरा की दुर्व्यवस्था के बारे में उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

अपर निदेशक, आगरा मंडल, आगरा से जांच करायी जा रही है ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन विद्यालय, मथुरा में कार्यरत शोध एवं शिक्षण अधिकारियों के यू0जी0सी0 वेतन-मानों में वेतन निर्धारण पर विचार

37--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा पर कार्यरत शोध एवं शिक्षण अधिकारियों को जो गत तीन वर्षों से भी अधिक समय से सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर विश्वविद्यालय की सेवा में संविलीन हो चुके हैं, उन्हें अभी तक यू0जी0सी0 वेतनमानों में वेतन निर्धारित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मथुरा स्थित उक्त महाविद्यालय में यू0जी0सी0 वेतनमानों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी वस्तु स्थिति संलग्न तालिका में दी गयी है ।

कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों के, जिनमें मथुरा परिसर के उक्त शिक्षक भी शामिल हैं, यू0 जी0 सी0 वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश दिनांक 17-12-77 एवं 1-3-78 को जारी शासनादेशों में दिये गये थे । विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल ने अपनी दिनांक 5-1-81 की बैठक में उक्त शासनादेशों के विपरीत वेतन निर्धारण के आदेश दिये । तदनुसार

यू0 जी0 सी0 के विभिन्न वेतनमानों में मथुरा परिसर के 71 शोध एवं शिक्षण अधिकारियों के वेतन निर्धारित कर दिये। शेष 34 मामलों में वेतन निर्धारण का प्रकरण विश्वविद्यालय के विचाराधीन था कि इसी बीच विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल के दिनांक 5-1-81 के उक्त आदेश कुलाधिपति महोदय द्वारा दिनांक 13-8-84 को निरस्त कर दिये गये। विश्वविद्यालय के अनुरोध पर पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 17-12-77 एवं 1-3-78 सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों को यू0जी0सी0 वेतनमानों में वेतन निर्धारण सम्बन्धी सभी पहलू शासन के विचाराधीन हैं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 138 पर।)

38—श्री कुशल पाल सिंह—

[दिनांक 13-3-86 को अता0 प्र0 सं0 22 व 24 द्वारा उत्तरित।]

जिला बांदा में स्वास्थ्य जिला सलाहकार समिति की कथित बैठक

39—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1985 से नवम्बर, 1985 के बीच जिला बांदा में स्वास्थ्य जिला सलाहकार समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय बांदा में प्रश्नकर्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

अक्तूबर, 1985 से नवम्बर, 1985 के बीच जिला बांदा में स्वास्थ्य जिला सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई थी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जनपद के अतर्रा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के डाक्टरों के आपसी विवाद की जांच

40—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के डाक्टरों के आपसी विवाद की जांच हेतु उप निदेशक (शिक्षा), आयुर्वेद एवं यूनानी, उ0 प्र0 दिसम्बर, 85 में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा (बांदा) गये थे ? यदि हां, तो अभी तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बांदा में डाक्टर व स्टाफ के रिक्त पद

41—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कितने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं, जिनमें डाक्टर सहित स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है ? क्या अविलम्ब डाक्टर सहित पूरे स्टाफ की नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद बांदा में 19 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्यरत हैं उपर्युक्त में से चिकित्सालय पंचमपुर में चिकित्साधिकारी, बरागढ़ तथा बेन्ड्रा में कम्पाउन्डर एवं कावारढ़ा तथा गिरवां में एक-एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त हैं।

रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां शीघ्र कर दी जावेंगी।

निदेशालय द्वारा उपचारिकाओं का चयन

42—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि उपचारिकाओं का चयन निदेशालय स्तर पर होता था ? यदि हां, तो अब क्यों और किस आधार पर मंडलों में किया जाता है ? इसका क्या औचित्य है तथा अब पुनः निदेशालय स्तर पर करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, स्थानीय समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के अन्तर्गत महिला अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण सम्बन्धी निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने में उन्हें होने वाली समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रवेश चयन का विकेन्द्रीकरण किया गया । पुनः प्रशिक्षण चयन निदेशालय स्तर पर केन्द्रित करने का कोई विचार विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है । क्योंकि मण्डलीय स्तर पर चयन सुचारू रूप से निष्पादित किया जा रहा है ।

मण्डलों में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण के चयन के समय आरक्षित अभ्यर्थियों को लाभ

43—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मण्डलों में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण के चयन के समय आरक्षित अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस प्रतिशत पर ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, राज्याधीन सेवाओं में नियुक्तियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप ही सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण में प्रवेश-चयन के समय आरक्षण प्रतिशत का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को दिया जाता है तथा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रथम वर्ष प्रवेशक्षमता 5 प्रतिशत स्थान पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तथा प्रत्येक केन्द्र में एक स्थान भूतपूर्व सैनिक परिवार के आश्रितों के लिए आरक्षित रखा गया है । विकलांग अभ्यर्थियों को, चूंकि वे शारीरिक विकलांगता सेवा के कर्तव्यों के निर्वाह में बाधक हैं, आरक्षण की सुविधा नहीं प्रदान की गयी है ।

सुरीर व चौमुहां, जनपद मथुरा में अस्पताल के स्थान परिवर्तन की संस्तुति

44—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र दि0 9-1-86 को सुरीर व चौमुहां जनपद मथुरा में जहां दो अस्पताल हैं, को कराहरी व शेरगढ़ परिवर्तन के बारे में दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

यह मामला जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के विचार क्षेत्र में आता है ।

उक्त समिति ने स्थान परिवर्तन की संस्तुति कर दी है । गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर उचित निर्णय किया जायेगा ।

जनपद बहराइच में विकास खंड, रिसिया के सहायक विकास अधिकारी कृषि, श्री गंगा सिंह के विरुद्ध कृत कार्यवाही

45—श्री विष्णु देव तथा श्री रणजीत सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में विका

रिसिया के सहायक विकास अधिकारी कृषि (श्री गंगा सिंह) द्वारा किसानों की सहायता स्वरूप दिये जाने वाले मिनी किट के 10 बोरी जिंक सल्फेट एवं दो बोरी धान टाइप-9 को गोल-माल करके छिपाये जाने पर शिकायतोपरान्त एस0 डी0 एम0 सदर द्वारा छापा मार कर कथित वस्तुओं को दिनांक 2-3 नवम्बर, 1985 में बरामद करके उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 3-11-85 को थाना रिसिया में किये जाने की सूचना शासन को है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

इस मामले में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है ।

उप निदेशक पशुपालन विभाग, झांसी द्वारा बांदा जनपद के नरैनी पशु चिकित्सालय का निरीक्षण

46--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 30-10-85 को उप निदेशक पशुपालन विभाग झांसी ने बांदा जनपद के नरैनी पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या उप निदेशक, पशुपालन, झांसी ने अपने पत्र संख्या 8014-18, दिनांक 26-12-85 द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ, आयुक्त, झांसी मंडल, झांसी एवं जिला पशुधन विकास अधिकारी, बांदा तथा विकास खंड अधिकारी, नरैनी जनपद बांदा को पशुधन अधिकारी, नरैनी, (बांदा) के विरुद्ध निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं अन्य लापरवाही सम्बन्धी आरोप-पत्र कठोर कार्यवाही के लिए भेजा है ? यदि हां, तो आरोप-पत्र का पूरा विवरण क्या है और पशुधन विकास अधिकारी, नरैनी (बांदा) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह--

जी हां ।

संदर्भित पत्र के द्वारा केवल निरीक्षण टिप्पणी भेजी गई है । निरीक्षण टिप्पणी में पाई गयी कमियों के आधार पर पशुधन विकास अधिकारी, नरैनी (बांदा) के विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार करने के निर्देश उप निदेशक, पशुपालन विभाग, झांसी मंडल को दिये जा चुके हैं ।

47--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[8वें गुरुवार के लिए स्थगित]

लखनऊ, ऐशबाग में स्थित कीटनाशक कम्पनी की क्लोरीन गैस रिसने के सम्बन्ध में पत्र

48--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्त्ता का पत्र सं0 1468, दिनांक 8-1-85 व रिमाइन्डर सं0 1865, दिनांक 20-5-85 लखनऊ, ऐशबाग में स्थित एक कीटनाशक कम्पनी को क्लोरिन गैस रिसने के बारे में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह क्या उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । माननीय सदस्य का एक मात्र पत्र संख्या 1468/85, दिनांक 7 जनवरी, 1985, जो माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था तथा लखनऊ में ऐशबाग में स्थित एक कीटनाशक कम्पनी की क्लोरीन गैस रिसने के विषय

में था, उद्योग विभाग में प्राप्त हुआ था। माननीय सदस्य के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा जांच कराई गई तथा यह पाया गया कि कम्पनी के मालिक द्वारा सुरक्षा का प्रबन्ध रखा गया था परन्तु आकस्मिक रूप से एक गैस सिलेंडर की चूड़ी एकाएक खराब हो जाने से मई, 1983 में गैस के रिसने की घटना घटी। माननीय सदस्य द्वारा जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी वह उन्हें भेज दी गई है।

मुख्य खाद्य निरीक्षक, सचल दल, नैनीताल मंडल, नैनीताल के श्री पी0 डी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच

49—श्री राम लाल—

क्या चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि मुख्य खाद्य निरीक्षक, सचल दल, नैनीताल मंडल, नैनीताल के श्री पी0 डी0 श्रीवास्तव के खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन अन्य विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ की गई सख्त कार्यवाही की तरह इस भ्रष्ट मुख्य खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध भी कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत जांच उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, पर्वतीय परिक्षेत्र, नैनीताल द्वारा की जा रही है। पूरी होने पर शासन को प्राप्त होने के बाद ही यथोचित अग्रेतर कार्यवाही की जायगी।

श्री राम प्यारे सुमन, सांसद् का प्रार्थना-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही

50—श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-9-1985 को श्री राम प्यारे सुमन, सांसद् का प्रार्थना-पत्र जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वितीय सत्र 85 के 7वें बुधवार को निर्धारित अता0 प्र0 सं0 24 के उत्तर के संदर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित मूल पत्र को सदन पर रखते हुए क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र पर क्या आदेश हुए और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि, नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पत्र की प्रति संलग्न है।

उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही कर माननीय सांसद को अवगत कराने के आदेश हुए। उक्त पत्र के सम्बन्ध में जांचोपरान्त स्थिति से माननीय सांसद को शासन के पत्र दिनांक 1-1-1986 द्वारा अवगत कराया जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 139 पर)

प्रदेश के कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति करने वाली फर्मों के नमूनों की जांच

51—श्री शारदा प्रताप—

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश की कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति करने वाली कुछ फर्मों के नमूनों की जांच भारत सरकार द्वारा की गयी थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 35 फर्मों

को अधोमानक आपूर्ति के लिए दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

जी नहीं । 3 उत्पादक फर्मों के नमूनें अधोमानक पाये गये थें ।

सम्बन्धित तीन फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है तथा उनके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत वाद भी दायर किये जा चुके हैं ।

इंडोफिल केमिकल्स द्वारा आपूर्ति किये जाने वाली कीटनाशक दवा की जांच

52--श्री शारदा प्रताप--

क्या मंत्री जी यह भी बतानें की कृपा करेंगें कि क्या यह सत्य है कि इंडोफिल केमिकल्स द्वारा आपूर्ति किये जानें वाले कीटनाशक दवा (मैंकोजेंबा) की इक्सपायरी एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष रखकर सरकार व जनता के साथ धोखा किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा मेसर्स इंडोफिल केमिकल्स के नमूने अधोमानक पाये जाने के बावजूद उनका रेट कान्ट्रेक्ट जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसके निरस्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जांच करायी जा रही है ।

देहरादून जनपद के कतिपय ग्रामों में नदी व नालों की कटान से हजारों एकड़ भूमि की बर्बादी तथा तटबन्ध और वृक्ष लगाये जानें की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 35 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें से 10 को स्वीकार किया है । इन्हें मैंने नेता विरोधी दल के अनुरोध पर बढ़ा दिया है । माननीय किशोरी लाल सकलानी, श्री सत्यपाल सिंह, श्री अकबर हुसैन बावर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्रीमती बिमला राकेश, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राजकिशोर सिंह व श्री गया प्रसाद की यह सूचनाएं हैं ।

(श्री किशोरी लाल सकलानी के सूचना पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

आपकी सहमति हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री किशोरी लाल सकलानी--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहूंगा कि देहरादून जनपद के मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि जिसमें कुल भूमि के 1/16 में नाले खाले हैं और प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ से हजारों एकड़ खेती तथा उर्वरा भूमि नष्ट हो जाती है । इसका उपाय नदी के व नालों के दोनों किनारों पर तटबन्ध बांध कर पेड़ लगाकर किया जाना चाहिये । अभी तक कोई भी इस प्रकार की योजनायें स्वीकृत नहीं की गई हैं जिससे आने वाले वर्षा के समय में ब्रह्मणवाला निरंजनपुर आदि ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि को भयंकर खतरा उत्पन्न हो रहा है ।

कृपा कर शासन का ध्यान इस ओर शीघ्र आकर्षित कर बरसात से पूर्व कार्य कराने का कष्ट करें जिससे जन जीवन सुरक्षित रह सके तथा लोगों में जो भय का वातावरण व्याप्त है उसमें राहत मिल सके ।]

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गई ।

त्योहारों के अवसर पर चीनी व मिट्टी के तेल के अतिरिक्त कोटे की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह—

[मान्यवर, प्रत्येक वर्ष ईद व होली के अवसरों पर अतिरिक्त चीनी व मिट्टी के तेल आवंटित किया जाता रहा है परन्तु इस वर्ष अतिरिक्त चीनी जनपदों को नहीं भेजी गयी है। शाहजहांपुर जनपद के जनता में इससे भीषण असंतोष व्याप्त है जब विद्युत् भी प्रत्येक गांव में नहीं है। जहां विद्युत् है भी वहां आपूर्ति ठीक नहीं है। इसलिये देहात की जनता को एकमात्र मिट्टी के तेल का सहारा रह जाता है। आवश्यकता के अनुसार जिलाधिकारियों ने जितनी मात्रा में मिट्टी के तेल की मांग की थी उसका चौथाई कोटा भी जनपद शाहजहांपुर को नहीं दिया गया है। वनस्पति घी, पाम आयल एक-एक क्षेत्र को मात्र दो-दो टिन दिया गया है जो आवश्यकता व मांग को देखते हुये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। होली के अवसर पर उपरोक्त अभाव में उपभोक्ता बेहद परेशान है।

अतएव लोक महत्व की सूचना सरकार के संज्ञान में लाकर अतिरिक्त चीनी, मिट्टी का तेल, वनस्पती घी, पाम आयल की आपूर्ति जनपद शाहजहांपुर व अन्य जनपदों में होली से पहले तत्काल कराने की मांग करता हूं।]

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

फैजाबाद जनपद के कतिपय क्षेत्रों में हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर—

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के थाना तारुन के विभिन्न ग्रामों में 27 फरवरी, 1986 से अब तक हरिजन बालिकाओं के साथ बलात्कार की चार घटनायें हो चुकी हैं। इनमें से कई के मुकदमें भी कायम किये गये हैं लेकिन अभी तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तारी नहीं की गयी है। ग्राम साजनपुर की निवासी जोखना नामक 15 वर्षीय हरिजन बालिका के साथ एक सवर्ण द्वारा 12 बजे दिन में बलात्कार किया गया। एक मार्च, 1986 को भैंसौली गोपालपुर की निवासी नोहरा नामक हरिजन बालिका के साथ बलात्कार किया गया। ये दोनों घटनायें तारुन थाना की हैं। इसी तरह की बलात्कार की घटनायें ग्राम परसावा महोला तथा ग्राम अभापुर में भी हुई हैं। सीमावर्ती थाना बीकापुर में भी 11 बजे दिन में एक ग्यारह वर्षीय निषाद बालिका के साथ तीन अज्ञात लोगों ने बलात्कार किया। इनमें से बहुत से घटनाओं की सूचना थाने में दर्ज है लेकिन सत्ता दल के दबाव के कारण पुलिस लगातार बलात्कार करने वालों की रक्षा कर रही है। हरिजनों पर तरह-तरह का दबाव डाला जा रहा है और अपराध के सारे सबूत नष्ट किये जा रहे हैं जिससे मेरे क्षेत्र के हरिजनों में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

विकास खंड भीटी, फैजाबाद में इटवा झील से बिसुही नदी तक नाले की खुदाई की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के विकास खण्ड भीटी में स्थित गांव सभा इटवा में एक झील है जो इटवा झील के नाम से विख्यात है। इस झील के पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में लगभग एक दर्जन से अधिक ग्रामों की खरीफ की हजारों एकड़ फसल डूबकर नष्ट हो जाती है और सैकड़ों कृषक परिवार पूरी तरह से भुखमरी के कगार पर खड़े हो जाते हैं। हर बरसात में इस झील की बाढ़ से गरीबों के सैकड़ों घर गिर जाते हैं। इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर इस झील से एक नाला निकालकर उसे बिसुही नदी में गिराने का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा काफी पहले शुरू किया गया था परन्तु वह कार्य भी ठीक तरह से सम्पन्न कराने के बजाय केवल कागजों पर कराया गया और नाला खुदाई का जो कुछ कार्य हुआ भी था उसे प्रभावशाली सामन्तों ने पाटकर अपने खेतों में मिला लिया है जिससे उक्त झील के आस-पास के गांवों के निवासियों के सम्मुख गम्भीर समस्या खड़ी हो गयी है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के उक्त प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार और शासन से मांग करता हूं कि इटवा झील से बिसुही नदी तक नाले की खुदाई का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाये और उक्त नाले को पाटने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।]

[ ] यह सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी।

इलाहाबाद की शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत अध्यापकों के पदों पर अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद के बेसिक जूनियर हाई स्कूलों के लिये संस्कृत के नवसृजित पदों पर शासनादेश के विपरीत की गयी नियुक्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, वर्तमान बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद ने जूनियर हाई स्कूलों के लिये संस्कृत के नव-सृजित पदों पर धन के प्रभाव एवं भ्रष्ट तरीके से 11 नियुक्तियां 24 जनवरी, 1986 को नगर क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूलों में कर दिया है जब कि शासन ने इन पदों को ग्रामीण क्षेत्र के लिये सृजित किया है। इतना ही नहीं, अपितु उपरोक्त नियुक्तियां नगर के उन जूनियर हाई स्कूलों में की गयी हैं जहां पूर्व से संस्कृत अध्यापक कार्यरत हैं। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्र के कार्यरत संस्कृत की योग्यता रखने वाले शिक्षक राजाज्ञा के बावजूद प्रोन्नति के अवसर से वंचित हो गये हैं वहीं नगर के स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापक वेतन ले रहे हैं।

[ ] यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त प्रभावी आदेश देकर उपरोक्त नियुक्तियों को रद्द करायें तथा शासन विरोधी भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को दंडित किया जाय ।]

मजावां शरीफ–लखनऊ मार्ग पर बस सख्या यू0 आर0 ए0 4545 की दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा एवं आर्थिक सहायता दिलाये जाने तथा खराब बसों को न चलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

[मान्यवर, शासन तथा सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि राजकीय सड़क परिवहन निगम की अधिकांश बसों की दशा जीर्ण–शीर्ण होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं तथा लोग मरते हैं । इसी प्रकार की परसों बाराबंकी जिले के मजगवां शरीफ से लखनऊ आ रही कैसरबाग डिपो की बस यू0 आर0 ए0 4545 देवा बारसी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गयी । उसका स्टेयरिंग फेल हो गया था । बस नियन्त्रण के बाहर हो गयी । चालक तथा यात्री दो व्यक्तियों की तुरन्त मृत्यु हो गयी । 6 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुये । जिन में "लखनऊ मेल" दैनिक के संवाददाता भी हैं ।

प्रश्न है कि डिपो से खराब बस क्यों निकली ? ड्राईवर ने बस ले जाने से मना किया था, फिर भी जबरिया क्यों भेजी गयी । घटना से निगम की बसों की विश्वसनीयता के बारे में पुनः शंका उत्पन्न है ।

अतः आपसे मैं मांग करता हूं कि खराब बसें न चलाई जायें । मृतकों को तुरन्त मुआवजा दिया जाय । घायलों के इलाज की व्यवस्था के साथ ही आर्थिक सहायता दी जाय ।]

[ ] यह सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी ।

साधन सहकारी समिति लि0, अलीपुरा, सहारनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला राकेश––

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान साधन सहकारी समिति लि0, अलीपुरा जनपद सहारनपुर के भूतपूर्व सचिव एवं वर्तमान सहायक सचिव श्री रणजीत सिंह, जो गत 20 वर्षों से लगातार इसी समिति में कार्यरत हैं तथा यहीं के स्थायी निवासी हैं, के द्वारा समिति के काश्तकार सदस्यों के साथ की गयी धोखा धड़ी एवं जालसाजी की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहती हूं । श्री रणजीत सिंह द्वारा उधार खाद वितरण एवं नगद कर्जा वितरण में लोगों से कोरे दस्तावेजों पर निशानी अंगूठा हस्ताक्षर कराकर उनके द्वारा मांगी गयी रकम से उनके नाम पर ही उनकी ऋण सीमाओं से अधिक कर्जा निकालकर 10, 10, 15–15 वर्ष तक नोटिस अथवा कोई सूचना न भेजना बाला नोटिस आदि की कार्यवाही पूरी करना, हरिजन लघु एवं सीमान्त कृषकों के बजाय बड़े–बड़े कृषकों से मोटी रकम लेकर उनका कर्जा माफ करने की सिफारिश करना समिति में वसूले हुये धन का अपहरण करना आदि बरती गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से श्री रणजीत सिंह ने लाखों रुपये की अवैध सम्पति एकत्रित कर ली है । अतः लोक महत्व के इस गंभीर विषय की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये हरिजन लघु एवं सीमान्त कृषकों का कर्जा माफ करने की मांग करते हुये सहायक सचिव रणजीत सिंह को हटाते हुये उनके द्वारा फैलाये गये भ्रष्टाचार एवं अवैध रूप से एकत्रित की गयी

[ ] यह सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी ।

सम्पत्ति की जांच की मांग करते हुये कठोरतम कार्यवाही की मांग करती हूं ।]

इलाहाबाद नगर में पशुओं की भयंकर बीमारी फैलने तथा मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[मान्यवर, इलाहाबाद नगर के बेलीगांव, नयापूरा, ममफोर्डगंज, मेंहदौरी, रसूलाबाद, गोविन्दपुर, सलोरी, ऊंटखाना, सादियाबाद, बघाड़ा, दारागंज, मऊसरैया, सदर बाजार आदि मुहल्लों में जानवरों का भंयकर रोग फैल गया है । इधर विगत 10 दिनों में सैकड़ों जानवर कालकवलित हो चुके हैं। जानवर चारा खाना बन्द करने के साथ ही साथ पतला दस्त करने लगता है तथा एक दो दिन में मौत के नींद सो जाता है । अकेले बेलीगांव में मस्सुर यादव, हरी यादव, मोहम्मद तालिम, राजा यादव, सुदामा यादव, ननका यादव, छंगू यादव के लगभग 60 जानवर एक सप्ताह में दम तोड़ गये । इसी प्रकार अन्य मुहल्लों में भी एक जानवर, बीमार होते ही साथ के अन्य जानवरों को भी यह रोग पकड़ लेता है और एक दो दिन में वह वशित जानवर विहीन हो जाता है । डाक्टरों के भरसक प्रयासों के बावजूद एक भी जानवर नहीं बचाया जा सका है । रोग नगर से पूरे जिले में बढ़ता जा रहा है । डाक्टर रोग का पता लगा सकने में भी असमर्थ हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर रोग की रोकथाम हेतु तत्काल पशु विशेषज्ञों की टीम इलाहाबाद भेजने तथा गरीब दुग्ध विक्रेताओं को इस आकस्मिक आपदा से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति कराने की मांग करता हूं ।]

]यह सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी ।

राजकीय कृषि महाविद्यालय, वाराणसी में कृषि भूमि व्यवस्था एवं छात्रों के आवासीय व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकिशोर सिंह—

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के ग्रामीण अंचल म स्थित जखिनी राजकीय कृषि महाविद्यालय का कृषि विज्ञान के छात्रों के पठन-पाठन के लिए न अपना कोई भवन है और न ही प्रयोगात्मक शिक्षा के लिए महाविद्यालय की अपनी कोई कृषि भूमि है । जखिनी इण्टर कालेज के यदा कदा खाली कमरे एवं बाहर मैदान में विज्ञान के छात्रों की पढ़ाई होती है जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का कार्य पूर्णरूप से नहीं हो पाता है । छात्र अधूरे ज्ञान तक ही सीमित रह जाते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र के इस एकमात्र कृषि महाविद्यालय में वाराणसी जनपद के अतिरिक्त समीपवर्ती जिलों के छात्र भारी संख्या में प्रवेश के लिये आते हैं। उन्हें नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । छात्रों के लिये आवासीय व्यवस्था भी नहीं है । महाविद्यालय के भवन निर्माण आदि व कृषि भूमि अर्जित करने के लिये छात्रों व जनता की ओर से लम्बे अर्से से मांग की जा रही है । शासन की उपेक्षा के कारण जन असन्तोष बढ़ता ही जा रहा है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण, कृषि भूमि, छात्रों के आवासीय व्यवस्था के लिए शासन से मांग करता हूं ।]

[ ] यह सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी ।

लखना, इटावा में सिंचाई नलकूपों की खराबी से फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया प्रसाद वर्मा--

[मान्यवर, जनपद इटावा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र लखना के वि0 खण्ड चकरनगर में जितने ट्यूबवेल बने खड़े हैं उनमें से एक भी ट्यूबवेल कार्य नहीं कर रहा है। हजारों एकड़ जमीन की फसल सूख गयी है। किसान भूखों मरने की स्थिति में हैं। वैसे भी जमीन ऊबड़ खाबड़ है इसके अलावा लखना क्षेत्र के विधीपुर, बहादुरपुर, जैतपुर, रीतौर आदि माइनरों की टेलों पर पानी न पहुंचने से फसलें सूखी रह जाती हैं।

आपके एवं सरकार के माध्यम से मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की जांच कराने की मांग करता हूं। जो ट्यूबवेल खराब पड़े हैं उन्हें अविलम्ब ठीक कराया जाय।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं--राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, राम आसरे वर्मा जी की, शारदानन्द अंचल जी की, चौथी अनुग्रह नारायण सिंह तथा सत्यपाल सिंह यादव जी की, और पांचवीं है-सूर्य प्रताप शाही जी की।

माननीय गुप्त जी की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, इनका विषय 42वें संशोधन के बाद समवर्ती सूची का विषय हो चुका है। इसलिए औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। राम आसरे वर्मा का जो विषय है यह मामला कई बार उठाया गया है, मैं संसदीय कार्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में उचित कार्यवाही करें, औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। शारदा नन्द अंचल जी का जो है, कल ही अभी इस मामले को उठाने की कोशिश की है। इस मामले को संसदीय कार्य मन्त्री जी देखें। माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी और श्री सत्यपाल सिंह यादव जी की जो है, जो गलत बयानी की गई है, इसे वह विशेषाधिकार के प्रश्न में उठा सकते हैं। जो सूर्य प्रताप शाही जी को है, उसे उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार किया है, लेकिन खेद है कि नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सूचना की प्रति और इन्क्लोजर्स संलग्न करके ऊर्जा मन्त्री को भेज दूं। इस प्रकार मैंने पांचों सूचनाओं को अस्वीकार किया किया है।

आबकारी अनुभाग 2 की अधिसूचना†

आबकारी राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से आबकारी अनुभाग 2 की दिनांक 15 मार्च, 1986 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 425-ई0-2/13-20-85, दिनांक 15 मार्च, 1986 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव विधान सभा--

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के

[ ] यह सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी।

†छापी नहीं गई।

नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 1986 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 19 मार्च, 1986 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का अड़तालिसवां प्रतिवेदन †

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं, सभापति आश्वासन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का अड़तालिसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मेरठ व गाजियाबाद में बसी नाले की खुदाई कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका††

श्री अध्यक्ष--

माननीय रिछपाल सिंह जी आप अपनी याचिका प्रस्तुत करें ।

*श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मेरठ व गाजियाबाद म बसी नाले की खुदाई कराये जाने विषयक श्री तेज सिंह तथा अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

पुलिस चौकी इन्जार्ज परेड, कानपुर द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 17 मार्च, 1986 को हुए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार...,

(वक्तव्य को पुनः पढ़ने का प्रयास करने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी आप (वक्तव्य) पढ़ चुके हैं ।

*श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, यह कानपुर में पुलिस चौकी, परेड का मामला है । आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो वहां का दरोगा है श्री विन्ध्याचल सिंह उर्फ लोहा सिंह उर्फ कुत्ते वाले वह कितना असरदार दरोगा है कि यह मामला माननीय विधान सभा में आते-आते 3 बार रुका । अब आपकी अनुकम्पा से यह मामला स्पष्टीकरण के लिये प्रस्तुत हुआ है । मान्यवर, यह दरोगा कानपुर में ही नहीं बल्कि जहां-जहां रहा है वहां पर इसने आतंक मचाया है । इस दरोगा ने कानपुर में लाठी चार्ज किया इंदिरा नगर चौकी जहां पर यह पहले

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछें ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । मैं साबित करना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण दरोगा है । इस वक्तव्य के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

द्वारा माननीय मन्त्री जी ने हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। यह झूठा वक्तव्य है। आप देखें 26 तारीख को भारत बन्द के दौरान वहां पर...

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण दे रहे हैं, प्रश्न पूछें।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, 26 तारीख को लोक दल के कार्यकर्ता राजू और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता श्रीमती प्रेमलता कटियार जो लाठी चार्ज से घायल हुयीं, उनके ऊपर 307 का मुकदमा थाना फीलखाना में कायम हुआ। उस 307 मुकदमें की तफ्तीश केवल 2 दिन में ही हो गयी और उसको 323 में बदल दिया गया। दो दिन के बाद ही उसको बहाल कर दिया गया और उसको वहीं पर तनात कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 307 का मुकदमा दो दिन में ही तय हो गया लेकिन जो मुकदमें 147, 353, 337 के अन्तर्गत विभिन्न पार्टियों के लोगों के ऊपर कायम किये गये उनके बारे में क्या हुआ? वह दरोगा दो दिन तक मुअत्तल रहा और उसके बाद तैनात हो गया है। यह दरोगा ट्रेंड भी नहीं है। पी0 टी0 सी0 दरोगा है, सिपाही से प्रमोट हुआ है। हाई कोर्ट द्वारा स्टे है। उसके बावजूद भी परेड चौकी पर रखने का क्या कारण है? क्या वह वहां के अधिकारियों को इतना पैसा देता है जिससे उसको नहीं हटाते?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न नहीं पुछ रहे हैं। प्रश्न पूछें।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। यह दरोगा इतना महत्वपूर्ण दरोगा है दिन में 307 की तफ्तीश हो ौर उन लोगो के बारे में जिनके मुकदमें कायम हुये थे उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उच्च अधिकारी नवीन मार्केट में गया उसने दुकानदारों पर दबाव डाल कर बयान दिलवाने की कोशिश की। क्या यह बात सच है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, यह बात सत्य से परे है। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही कर्तव्य निष्ठ दरोगा है।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा--

माननीय मंत्री जी से मैं स्पष्ट रूप यह जानना चाहता हूं कि यह दरोगा जो जूते वाले दरोगे के नाम से जाना जाता है 15-1-85 को तीन सौ सात का मुकदमा कायम हुआ 12-1-85 को बलात्कार सम्बन्धी तमाम नागरिकों ने दरखास्त दी और इसके पूर्व वर्तमान में पिछले चुनाव में इसके आतंक से लोगों ने वोट नहीं दिये और अभी 26 तारीख को जो मामले हुये उसमें भी इस पर 307 का मुकदमा कायम हुआ बाद में पुलिस ने इसको 323 का कर दिया तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि इस पर धारा 323 का जुर्म मैलाफाइड साबित होता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इस दरोगा को जिससे तमाम जनता नाराज है और जो तमाम मामले इसके अगेंस्ट चल रहें हैं उनकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जनता इस दरोगा से बहुत राहत में है क्योंकि यह बहुत ईमानदार दरोगा है जहां तक 307 को 323 में तरमीन की बात है असल में मुकदमा 323 में हुआ था और अगर 307 भी मान लिया जाए तो यह इतनी कग्नी-जेबिल नहीं है इसलिए इस पर कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की मंत्री, श्रीमती प्रेमलता कटियार, द्वारा कोई रिपोर्ट उसी दिन लिखायी गयी, यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर तफतीश किस अधिकारी ने की और जिसने इसकी तफतीश की तो क्या उन्होंने श्रीमती कटियार के बयान लिये ? यदि हां, तो उनके बयान क्या थे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

एक क्षेत्राधिकारी द्वारा मामले की विवेचना की गयी और 307 के अन्तर्गत कोई मामला नहीं पाया गया, इसलिए इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, तफतीश किस अधिकारी द्वारा की गयी और क्या उन्होंने श्रीमती कटियार के बयान लिये और अगर उनके बयान नहीं लिए गये तो फिर तफतीश ही क्या हुयी, इसलिए मान्यवर, यह प्रश्न बहुत जरूरी है, इसका माननीय मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, बयान लिये गये और उन्होंने कहा कि और भी कोई घटना इस प्रकार की नहीं घटी है और जो राजू नाम का लड़का था, केवल उसके कार से फिसल जाने के कारण उसे मामूली खरोंच माथे पर आय थी, इसके अलावा वहां पर कोई बात नहीं है और न ही किसी को कोई परेशानी हुई ।

कौशिक रमाशंकर—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि दिनांक 25 अक्तूबर, 1985 को कमल कर जाटव, जो अतिरिक्त विधि परामर्शी हैं, उन्होंने 7-6-83 को अनुभाग 16 को इस मामले में कुछ सूचित किया और उनकी इस प्रार्थना के खिलाफ जांच चल रही है, और इस मामले की रिपोर्ट अक्तूबर में आ गयी, परन्तु अब तक इस पर कोई कार्यवाही न करने के कारण क्या हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इस मामले से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कमलेश कुमार पाठक—

मान्यवर, यह दरोगा जब से सेवा में आया है, तब से अब तक उस पर कितने मामले बलात्कार के, मारपीट के व अन्य इसी प्रकार के दर्ज हुए और उन पर अब तक कितनी कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आपका नहीं बनता है ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से तमाम सवाल किये गये परन्तु किसी भी सवाल का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं दे रहे हैं और सदन को इस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं, अगर माननीय मंत्री जी के पास इस दरोगा के पूर्व मामले इस वक्त मौजूद नहीं हैं, तो मेरे पास हैं, मैं उन्हें पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप उसे पढ़िए नहीं मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि श्री विन्ध्याचल सिंह, उर्फ लोहा सिंह, उर्फ कुत्तेवाले दरोगा जब तैनात हुए थे, तो वहां पर जो हरिजन बस्ती है, वहां पर जाकर इन्होंने हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया और 15-1-85 को

बलात्कार करने जब एक घर में घुसा अपने सिपाही भीम सिंह के साथ, तो इसने अपने रिवाल्वर से फायर किया और इसके खिलाफ 307 का मुकदमा उसी के थाने म दर्ज हुआ कि नहीं ? यदि दर्ज हुआ, तो उस बलात्कार के मुकदमें में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जो घटना आपने वर्णन की है, उसका इस वक्तव्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिए उसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री मनोहर लाल--

यह सरकार का पत्र है, सरकार ने जो भेजा है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उसकी जानकारी नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस दरोगा के खिलाफ कितनी रिपोर्टें दी गयीं और उन रिपोर्टों पर अब तक उस दरोगा के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, उस दरोगा ने कानपुर ने राजकीय उद्यान बस्ती में एक हरिजन महिला के घर में घुस कर बलात्कार किया, जिसकी थाना कल्याणपुर में रिपोर्ट हुई, उसकी विवेचना किस अधिकारी ने की ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, उस दरोगा के खिलाफ आज तक जितनी भी अपराधिक दरख्वास्तें दी गयी हैं, उन सारी दरख्वास्तें और रिपोर्टों एवं उसकी उद्दंड प्रवृत्ति को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी उसे निलम्बित एवं स्थानांतरित करके उसके खिलाफ जो शिकायतें हैं, उसके खिलाफ उन शिकायतों के आधार पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, हमारे पास उस दरोगा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, यह पढ़ा जा चुका है, अब केवल स्पष्टीकरण ही होना है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, एक मामूली दरोगा के पीछे पूरी सरकार को जिद क्यों है ? यहां से लेकर पूरे सदन के एक तरफ से सारे नेता श्री कौशिश रमाशंकर खड़े हो चुके, अन्य पार्टी के नेता खड़े हो चुके, माननीय रघुबर दयाल वर्मा खड़े हो चुके, मान्यवर, पूरा विपक्ष खड़ा हो चुका । मान्यवर, उस दारोगा के बारे में माननीय मंत्री जी ने पहले तो कहा कि हमें पता ही नहीं है और उस दरोगा से पूरी जनता को राहत मिल रही है, मान्यवर, मुख्य मंत्री से राहत नहीं मिल रही है, उस दरोगा से पूरी जनता को राहत मिल रही है । तो मान्यवर, छोटी सी मांग है कि उस दरोगा को निलंबित कीजिए और उसके खिलाफ जो भी आरोप है, उसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करा लीजिए ? इतनी सी बात के लिए क्या आप तैयार नहीं होंगे ?

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, यदि किसी दरोगा का ट्रान्सफर मान्यवर, इसलिए कर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाय कि यह मांग है। मान्यवर, इस तरह से काम करने से प्रशासन का कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। यह बात जरूर है, अगर कोई शिकायत है, और शिकायत साबित हुई तो इसके लिए मैं उसकी जांच करा लूंगा। अगर शिकायत पायी जायेगी तो कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

किस एजेन्सी के मातहत आप जांच करायेंगे? उसके विरुद्ध बलात्कार के और 307 के मुकदमें दर्ज हैं। मैं इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। मान्यवर, उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और यह कुत्ते से कटवाता भी है और इतना आतंकित कर रहा है। भारत बंद में सारे विपक्ष के नेताओं को उसने अपमानित किया और अब भी कर रहा है। यह सारे विपक्ष के माननीय विधायक जांच की मांग कर रहे हैं मैंने सी0 आई0 डी0 की जांच की मांग की और यह कहा कि उसको मुअत्तल कीजिए। मुख्य मंत्री जी आप यह बतायें कि आप उसकी सी0 आई0 डी0 से जांच क्यों नहीं करवाते?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, विभागीय जांच तो होती है लेकिन माननीय नेता विरोधी दल और सदन के अन्य माननीय सदस्य चाहते हैं कि सी0 आई0 डी0 से जांच हो तो मैं सी0 आई0 डी0 से जांच करा लूंगा।

जनपद एटा के पटियाली थाना-
न्तर्गत मूढ़ा गांव में डकैती
द्वारा हरिजन परिवार की
सामूहिक हत्या किए जाने
के सम्बन्ध में दिनांक
17-3-1986 को
हुए वक्तव्य पर
स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि कोई असंतोष एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त नहीं है और यह उनका आपसी पारिवारिक झगड़ा था। मान्यवर, वहां पर लोगों में तनाव था। वहां पर पुलिस को उन लोगों के आपराधिक इतिहास की जानकारी थी तो सरकार ने ऐसी कौन सी व्यवस्था की?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मान्यवर, इसके पूर्व इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मृतक गयादीन का बड़ा भाई सहावर में तैनात है और उसको घटना की जानकारी पहले हो गई सहावर में और फिर उसने अपने गांव में आने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस उसके बाद पहुंची या पहले पहुंच गई थी? मेरी निश्चित जानकारी के अनुसार पुलिस घटना स्थल पर उसके भाई के सहावर से आ जाने के बाद, उसकी रिपोर्ट लिखाने के बाद पहुंची। मेरा प्रश्न है कि पुलिस पहले क्यों नहीं पहुंची? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जमादार, जो उसका भाई इतना खौफनाक था इसलिए उसके भाई गयादीन ने अपनी आत्मरक्षा के लिये एक दरख्वास्त एस0 एस0 पी0 को दी थी। उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, यह संज्ञान में नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट लिखाई गई वैसे ही पुलिस वहां से चल दी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह संज्ञान में नहीं है लेकिन उसके खिलाफ आपराधिक मामले थे यह मंत्री जी ने स्वीकार किया है तो शासन को इसकी जानकारी थी तो उसने क्या कार्यवाही की? अब मंत्री जी कह रहे हैं कि उसने कोई

दरख्वास्त नहीं दी तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी मिली थी ? अगर हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है तो क्या मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की जांच इस बिन्दु पर करायेंगे या इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान शाखा, लखनऊ से कराने की कृपा करेंगे। दूसरा, मैं केवल टाइम जानना चाहता हूं कि पुलिस को सूचना कितने बजे मिली और पुलिस कितने बजे पहुंची।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, यह दूसरे दिन दोपहर में यह रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसी वक्त पुलिस चल दी। मान्यवर, वहां पर कोई लिखित शिकायत नहीं की उसने मौखिक शिकायत की थी कि उसका भाई अपनी भाभी से छेड़खानी करता है। ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि उसकी जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाय या उसकी सम्पत्ति को खतरा है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की थी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि पुलिस तुरन्त चल दी और अब कह रहे हैं कि पुलिस दूसरे दिन घटना स्थल पर पहुंची। मेरी अपनी जानकारी है कि वहां के चौकीदार ने पुलिस को जैसे ही घटना घटी वैसे ही सूचना दी। सबसे पहले उसने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद सहावर गया लेकिन पुलिस उसी समय घटना स्थल पर इसलिए नहीं पहुंची कि उसने सोचा कि जमादार अभी वहीं होगा और जमादार की गतिविधियों से पुलिस परिचित थी इसलिए पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर नहीं पहुंची। उसके भाई ने जिलाधिकारी और एस० एस० पी० से भी शिकायत की थी कि हमको अपने भाई से खतरा है परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। क्या मंत्री जी इन तथ्यों की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जिले के किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि लिखित सूचना नहीं थी, मौखिक जानकारी थी। मान्यवर, पुलिस को घटना की जानकारी थी और अगर पुलिस को मौखिक सूचना मिली तो क्या उसपर एफ० आई० आर० दर्ज नहीं होती ? क्या उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था ? क्या उसको जी० डी० में नहीं दर्ज करना चाहिए था ? क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहिए था ?

* मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, अगर इस तरह से आप पुलिस पर आक्षेप लगायेंगे, आपने कहा कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, पुलिस टाइम से नहीं पहुंची। यह मान्यवर, कोई ऐसी चीज नहीं है कि पुलिस सीधे उसमें इन्वाल्व है। आप कहते हैं कि मौखिक जब बता दिया गया तो क्यों नहीं कार्यवाही की गई। मान्यवर, जब यह घटना घटी तब पुलिस वहां पहुंची। ऐसा नहीं है कि पुलिस की कोई गलती पाई जा रही है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1986†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 22 मार्च, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करता हूं ।

जनपद लखनऊ में बिजनौर सिसेंडी मार्ग को पेण्ट किए जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मद संख्या 18 छूट गया ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, उसे आप उपस्थित कर दें ।

श्री शारदा प्रताप—

मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ में बिजनौर सिसेंडी मार्ग को पेंट किये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवा लाल मिश्र तथा श्री प्रदीप कुमार तिवारी निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में 21 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री मित्रसेन की इसी सम्बन्ध में दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की इसी सम्बन्ध में तीसरी श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री औसान सिंह, इसी संबंध में चौथी श्री सत्यपाल सिंह, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री राम सागर की है जो 11 मार्च, 1986 को हरदोई में पुलिस द्वारा हरिजनों पर अत्याचार से सम्बन्धित है पांचवीं है श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की 6ठीं इसी सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रताप शाही की प्रदेश के सहकारिता विभाग में 500 करोड़ रुपये का घपला । सातवीं श्री वदन सिंह, श्री सरदार सिंह तथा श्री भोपाल सिंह की आगरा की किरावली पुलिस चौकी के सिपाहियों द्वारा बालिका के साथ बलात्कार । आठवीं श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा की प्रदेश के नागरिकों को होली के अवसर पर चीनी न मिलना । नवीं श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री राम पाल वर्मा, डा0 अच्युतानन्द तिवारी, श्री हरिशंकर तिवारी तथा कामेश्वर उपाध्याय की पियरलेस कम्पनी का बन्द होना । श्री हृदय नारायण दीक्षित ने दो जगह हस्ताक्षर किये हैं लिहाजा यह पहले से ही अस्वीकृत, दसवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की है, चुनार सीमेन्ट परियोजना से प्रदूषण, ग्यारहवीं है श्री शारदानन्द अंचल की बलिया में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने की मांग, बारहवीं है श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्रीमती रामनन्दनी वर्मा, उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त, तेरहवीं है श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह की कौंच, जालौन में गोवंश का वध करके अवैध निर्यात, चौदहवीं श्री अशोक बाजपेयी की प्रदेश के व्यापारियों द्वारा सरचार्ज न दिये जाने की घोषणा, पन्द्रहवीं श्री मनोहर लाल की कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी मार्कशीट जारी किया जाना, सोलहवीं श्री हृदय नारायण दीक्षित की उन्नाव में पुलिस द्वारा नशे में उत्पात करना, इसके बारे में मैं अभी कह चुका हूं । सत्तरहवीं श्री किरनपाल सिंह, श्री राम सरन, श्री माता प्रसाद पांडेय की बलिया में पुलिस सब इंसपेक्टर की हत्या एवं एस0 पी0 द्वारा भ्रष्टाचार, अट्ठारहवीं श्री चन्द्र भान मौर्य, श्री गया प्रसाद वर्मा की आगरा जनपद की ग्रामीण अंचलों

† छापी नहीं गयी ।

में पानी पीने के कुएं सूखना, उन्नीसवीं कुंवर रेवती रमण सिंह की ताजमहल को रिफाइनरी के धुएं से खतरा, बीसवीं श्री बलराम यादव, श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री फागू चौहान, श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ के सदर अस्पताल में कुत्ता काटने की दवा का अभाव, इक्कीसवीं श्री राम नरेश की गिरोहबन्द निवारण अधिनियम का दुरुपयोग ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, 11 तारीख को ग्राम कहचारी जनपद हरदोई में एक दुर्भाग्य पूर्ण घटना घटी । उक्त ग्राम के प्रधान ने मछली की नीलामी गलत ढंग से कर दिया । गांव वालों ने प्रतिरोध किया । गांव वालों का कहना था कि तालाब की मछली की नीलामी सही प्रकार से करके स्कूल की छत डलवाई जाय । 11 मार्च को प्रधान बाहरी आदमी को लेकर मछली का शिकार करने के लिए आए । गांव के हरिजनों ने इसका प्रतिरोध किया। इस पर प्रधान ने काशिमपुर तथा चार-पांच थाने की पुलिस, पी0 ए0 सी0 की पल्टन तथा सी0 ओ0 शैलेन्द्र वीर सिंह को, लेकर वहां गये और गांव के हरिजनों को बुरी तरह से मारा-पीटा । सैकड़ों हरिजनों को मारा, दर्जनों के हाथ-पैर टूट गये । मान्यवर, यही नहीं जो महिलायें घरों में खाना बना रही थीं या खेतों में थीं उनको पकड़कर थाने में लाये और उन महिलाओं के साथ बलात्कार किया और छेड़-छाड़ की । इस घटना से भयभीत होकर गांव के आधे से अधिक लोग गांव छोड़ कर भाग गये हैं । मान्यवर, न केवल उस गांव के लोग बल्कि पास-पड़ोस के उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ और सीतपुर के हरिजनों में इस घटना से असन्तोष एवं भय व्याप्त है । माननीय मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह के काल की यह सबसे शर्मनाक घटना है । मान्यवर, इस घटना से करीब डेढ़ हजार आदमी भागा हुआ है । पूरे प्रदेश के हरिजनों में असन्तोष व्याप्त है । मैं आपसे मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का कार्य स्थगित करके चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष--

कल से एक ही व्यक्ति बोलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जब कभी इस सदन में पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो मुख्य मंत्री को बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या किया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

मगर आप कहते हैं तो अच्छा लगता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अच्छा लगे तो शिकायत का मौका ही न मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी निरंकुश हो गयी है कि उसे किसी का लिहाज नहीं है । इस संदर्भित घटना में बड़ी दरिंदगी के साथ नृशंसता से अत्याचार और दुराचार पुलिस ने किया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था प्रदेश की जनता से कि अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ संघर्ष करें, लेकिन यहां पर हरिजन खड़े हो गये तो पुलिस ने उनको दुश्मन समझा तथा उनके साथ अनाचार और अत्याचार किया । इसकी जितनी निंदा की जाय कम है । यहां पर यह मुख्य मंत्री न होते, कोई शर्मवाला मुख्य मंत्री होता तो यदि यह हरिजनों के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखता तो आज इस सदन में आने से पहले त्याग-पत्र दे चुका होता । लेकिन ऐसा नहीं है । वहां पर पत्रकारों का एक दल पहुंचा था । उसने वहां पीटे गये लोगों का बयान लिया । वहां की औरतों का बयान प्रकाशित हुआ है । वहां की एक बूढ़ी औरत ने, जब जवान औरतें शर्मा कर खड़ी हो गयीं, तो उसने जोर से कहा कि पुलिस कर्मियों ने इन औरतों के साथ मुंह काला किया है । उनके कपड़े फाड़े हैं और उनके कपड़ों में हाथ डाला है । यह जानकारी है कि वहां 52 आदमी गिरफ्तार किये गये, जिनमें से 38 औरतें थीं, जिन्हें रातमें

छोड़ दिया गया बाकी जेल में बन्द हैं। वहां आज भी लोगों में आतंक है। इससे गम्भीर घटना हरिजनों के साथ अत्याचार की इस प्रदेश में दूसरी नहीं होगी। इसलिये इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा करायें। आप वक्तव्य की बात कह सकते हैं, दो घंटा की चर्चा की बात कह सकते हैं, लेकिन इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें। कार्य-स्थगन प्रस्ताव हमारा संसदीय अधिकार है। इस घटना की गम्भीरता को ध्यान में रखकर हमारी केवल चर्चा की मांग नहीं है, इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इस घटना को देखने के बाद मैं यह विश्वास से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इस ढंग की शर्मनाक और कोई घटना हरिजनों पर अत्याचार की हो ही नहीं सकती। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बार-बार इस सदन में कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जायगा। मैं कहना चाहूंगा कि यह 11 मार्च की घटना है, यह अविलम्बनीय है और यह ऐसी घटना है जिनमें मान्यवर, पूरे गांव के अन्दर पासी लोग रहते हैं। सारे पासी ही रहते हैं। वहां के हजार से डेढ़ हजार ऐसे पासी हैं जो गांव छोड़कर बाल-बच्चों के साथ दूसरे गांव में चले गये हैं। इतना बड़ा आतंक पुलिस का व्याप्त है और जिन महिलाओं को पकड़कर ले जाया गया पुलिस द्वारा, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि उनका अपमान किया गया उनके ब्लाउज फाड़ डाले गये और उनके साथ बलात्कार किया गया। जिन महिलाओं को पकड़कर ले जाया गया, उनके साथ कोई लेडी कान्स्टेबिल नहीं थी, सब पुरुष थे, उनको थाने ले जाकर रात को बारह बजे छोड़ा गया। वहां पड़ा रहे अध्यापकों ने हस्तक्षेप किया तो उनको पीटा गया। इसमें 26 आदमियों का चालान किया गया और 100 आदमी घायल हुए। कई व्यक्तियों की टांग टूटी है। यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना है। इससे गम्भीर सूचना और हो ही नहीं सकती।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, यह जो विषय उठाया गया है मैं यह बताना चाहता हूं कि मछली की चोरी की जो यह घटना हुई....

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, आपने मुझे हरिजन उत्पीड़न पर बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री अवधेश प्रसाद सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हुकुम सिंह—

उसकी बाबत थाने में रिपोर्ट लिखायी गयी, चोरी का मुकदमा उसके अन्तर्गत कायम किया गया। उस मुकदमे की तफतीश के लिये सब इन्स्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मी मौके पर गये। मौके पर जाने के बाद, जिसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 की गयी थी, उसके मकान पर गये। इतनी कम फोर्स को वहां आया हुआ देखते हुए वहां के लोगों ने पथराव किया जिसमें एक सिपाही मौके पर जख्मी भी हुआ था। वहां से लौट कर उक्त पुलिस कर्मियों ने सी0 ओ0 को सूचित किया, थाने पर उसकी बाबत सूचना दी गयी। उसके बाद दोबारा वहां सी0 ओ0 खुद पहुंचे, एस0 डी0 एम0 पहुंचे और पुलिस के लोग पहुंचे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों की आप बात कहते हैं, शायद आपको यह जानकारी नहीं है कि जिस तालाब में मछली चोरी की बात चल रही थी, उस तालाब का ठेका वहां के एक पासी श्री हेतूराम को दिया गया, उसकी कार्यवाही चल रही थी। जिसने ठेका लिया, क्या वह हरिजन नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । अगर मान्यवर, पुलिस कार्यवाही न करे तो पुलिस दोषी और अगर कार्यवाही के लिये जाये फिर भी दोषी । आप शांति से सुनें, शांति के साथ विवेचना करें । पुलिस मौके पर जाती है उनके ऊपर पथराव होता है, नाजायज अस्लहों से फायरिंग होती है । मौके पर पुलिस तफ्तीश के लिये गयी, यदि वहां लोग कोई ज्यादती कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी करेंगे । गिरफ्तारी की गयी, यह बात सही है । गिरफ्तारी करने के बाद मुकदमा भी कायम किया गया । जिसकी तफ्तीश चल रही है, उसके बाद परिणाम सामने आयेगा। मान्यवर, इसमें नियम 56 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है यह कानून व्यवस्था का छोटा सा मामला है जिसको बढ़ा चढ़ाकर विरोध पक्ष ने प्रस्तुत किया है । जो कार्यवाही होगी, वह शासन खुद करेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो कहेंगे, वह ठीक है, अपना पक्ष रखेंगे । लेकिन वह गुस्सा होकर अपना जवाब देते हैं, थोड़ी सी मधुर भाषा में जवाब दिया करें ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, अगर कोई तथ्य हो, सही बात हो, तो उसे यहां कहना चाहिये । और उसको तोड़-मरोड़ कर ऐसा नहीं कहना चाहिये, जिससे कि कोई वातावरण बिगड़े । यह होता है कि माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं होती है, यहां पर ऐसा केस बनाते हैं जैसे लगता है कि खुद देख करके आ रहे हैं । इसलिये दिक्कत होती है । खुद देखकर आये हों, मामले की पूर्ण जानकारी हो, तो बात सही है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने और बाराबंकी के माननीय सदस्य ने जो बताया, सुनी हुई बात पर उन्होंने अपनी बात कही । अब यह कितनी सही है, कितनी गलत है । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, मान्यवर, यह हरिजन का झगड़ा है आपसी, कोई बाहरी नहीं है । अगर पुलिस जाकर मामले को देखने का काम करती है, कोई चीज करने से रोकती है, इस पर भी आप कहेंगे कि बड़ा अन्याय हो रहा है, इससे आप अत्याचार बढ़ायेंगे, घटायेंगे नहीं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, सहकारिता की आधार-शिला पर ही किसी लोकतंत्रीय प्रणाली में समाजवाद के आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है । इसलिए मान्यवर, सहकारिता के महत्व को आंका गया और सहकारिता विभाग को सहकारिता के आन्दोलन को, इतनी प्रमुखता दी गयी । सहकारिता विभाग भी भ्रष्टाचार का शिकार न बने इसलिए मान्यवर, एक शासनादेश के द्वारा सन् 1971 में विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता की स्थापना की गयी थी और यह अपेक्षा की गयी थी कि सहकारिता के जितने भी भ्रष्टाचार, गबन के मामले शासन की संज्ञान में आयेंगे, उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर, उनकी विवेचना का कार्य, उन्हें सौंपा जायेगा । लेकिन मान्यवर, यह बड़े अफसोस की बात है कि 1972 से उसे कायम करके, 31-12-85 तक केवल 18 करोड़, 13 लाख और 25 हजार रु0 के गबन के 7806 मामलों में ही एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी और मान्यवर, 53 जिलों में 716 ऐसे मामले हैं जिसमें एक लाख रुपया से अधिक के गबन, यह मान्यवर, मेरा आरोप नहीं है, यह विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से प्रकाश में आ चुका है जिसमें कुल रु0 1,95,26, 12,000 का गबन हुआ है । 1 लाख रुपए से जो कम गबन हुआ है, इस तरह के मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गबन हुआ है । यह भी विशेष लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से प्रकाश में आया है । 10 हजार रुपए से जो कम के गबन के मामले हैं, इसमें 30 करोड़ रुपए का गबन हुआ है । 10 हजार रुपए तक के मामले जो होते हैं वह विशेष अनुसन्धान शाखा की विवेचना के परव्यू में नहीं आते हैं । इस तरह से मान्यवर, आप देखें तो 3 अरब रुपए के गबन का मामला प्रकाश में आया है । करीब ढाई अरब रुपए के गबन के मामलों की अभी तक एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं कराई गई है । विशेष अनुसन्धान शाखा के एस0 पी0 ने जिलों के ए0 आर0 को कई बार चिट्ठी लिखी कि वह इन मामलों की एफ0आई0 आर0 दर्ज करायें लेकिन लिखित अनुरोध के बावजूद भी इन मामलों की एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं कराई जा रही है । यही नहीं मान्यवर, इस विशेष अनुसन्धान शाखा में जो सी0 आई0 डी0 के लोग काम करते हैं वे पुलिस के होते हैं । लेकिन इन सबका वेतन व भत्ते का पेमेन्ट सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है । एस0 पी0 के लगातार दबाव डालने पर अब पिछले 4 महीनों से यह हो रहा है कि इन लोगों के बिल ट्रेविलिंग के सहकारिता विभाग द्वारा स्वीकृत करना बन्द कर दिये हैं । मोटरों पर जो पेट्रोल खर्च होता है मण्डल के हेडक्वार्टरों पर, वह भी अब देना बन्द कर दिया गया है, जिससे सारा मूवमेन्ट बन्द हो गया है और जांच के कार्य ठप हो गये हैं । पिछले कई वर्षों से सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं । इन संस्थाओं के प्रशासक के पदों पर आई0 ए0 एस0 अधिकारी बैठे हुए हैं या फिर माननीय नेता सदन के दल के लोग प्रशासक हैं । इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश का यह 3 अरब रुपए का गबन का मामला है और बहुत ही गम्भीर मसला है, इसलिए आज आप इस पर सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा करा दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, माननीय श्री रवीन्द्र तिवारी जी ने बताया कि 716 ऐसे मामले हैं जो एक लाख रुपए से ऊपर के हैं लेकिन इन मामलों को सी0 आई0 डी0 को नहीं सौंपा गया । मैं माननीय तिवारी जी की बातों को न दुहरा कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि पी0सी0 एफ0 के 4 ऐसे मामले हैं जिसमें 1 अरब 52 करोड़ 63 लाख 7 हजार रुपए का गबन हुआ है । इन 4 मामलों में 5 वर्षों से लगातार प्रश्न करने के बावजूद भी आज तक एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की गई है जिससे, जो इनकी सी0 आई0 डी0 सेल हैं, वह कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ जिले में ही, इस सरकार के नाक के नीचे 1 अरब 53 करोड़ 48 लाख रुपए का गबन हुआ है, लेकिन आज तक इसे पुलिस सेल को नहीं दिया गया है । कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी में 62 करोड़ 69 लाख रुपए का, सहकारी संघ में 17 करोड़ 12 लाख रुपए का, जिला सहकारी बैंक में 1 करोड़ 2 लाख का और उपभोक्ता सहकारी संघ में 2 करोड़ 74 लाख रुपए का गबन हुआ है । इस प्रकार से मान्यवर, 1979-80 में पी0 सी0 एफ0 में लगभग 2,776 करोड़ रुपए का गबन हुआ है । सहकारी विभाग में यह भ्रष्टाचार बहुत तेजी से चल रहा है । यह प्राविधान है इनके ऐक्ट में कि "फोरफीट" कर दिया जायेगा । यदि कोई अधिकारी नाजायज ढंग से गबन करके सम्पत्ति अर्जित करता है तो उसकी सम्पत्ति को फोरफीट कर दिया जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । इसलिये मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा दें । विषय की गम्भीरता को देखते हुए, जनता के पैसे के दुरुपयोग को देखते हुए सदन की कार्यवाही

को रोककर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, 1972 से 1986 के बीच की अवधि का यह प्रकरण कार्य-स्थगन के रूप में उठाया गया है, वह भी विशेष लेखा परीक्षा के आधार पर है। जब कोई लेखा परीक्षा होती है, उसका प्रतिवेदन आता है, उसका रूप, उसके कार्य करने की एक प्रक्रिया है और उसका परीक्षण होता है। जो विशेष लेखा परीक्षा हमारे सामने आयी है, आपने माना है कि कुछ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है, सारे प्रतिवेदन का परीक्षण कर रहे हैं, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, दर्ज करायी जायेगी, जहां रिपोर्ट दर्ज कराने लायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा, वहां दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जायेगा। लेखा परीक्षा का आधार ही यही था कि यह देखा जा सके कि कहां कमी है, वह हमारे सामने आये और हम उसको दूर करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 1972 से 1986 के बीच का मामला है, 3 अरब रुपए का मामला है, एस0 पी0 ने कई बार लिखा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखायी जा रही है। उनके बार-बार कहने पर भी नहीं लिखायी जा रही है। इस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज कराना काफी नहीं है, क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। परीक्षण यही करना है कि जिन मामलों को गबन की संज्ञा दी जा रही है, क्या उसमें इस समय कोई साक्ष्य उपलब्ध हो पायेंगे या नहीं, इसके बाद जो उचित होगा, कार्यवाही होगी।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय और लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

19 मार्च, 1986 को जनपद आगरा के कस्बा किरावली में पुलिस चौकी के दो कांस्टेबिलों उदयवीर सिंह एवं एक अन्य पुलिस कांस्टेबिल ने शराब के नशे में हुस्सा धोबी की 4 वर्षीया अबोध धेवती के साथ स्टेट बैंक आफ इण्डिया किरावली के निकट स्थित उसके घर में उस समय बलात्कार किया जब उसके घर के सभी स्त्री पुरुष खेतों में लामनी करने के लिए निकल चुके थे। जब वह लड़की चिल्लाई तो बाहर से जनता इकट्ठी होकर उस घर में घुस गयी और उन दोनों बलात्कारी पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया। पुलिस चौकी किरावली से आगरा को वायरलेस गया और एस0 पी0 पहुंचे और सी0 ओ0 अछनेरा मौके पर पहुंचे। उनसे जब कहा गया कि बलात्कारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराइए और उनके विरुद्ध कार्यवाही करके उनको जेल भेजिये, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद उस 4 वर्षीय बलात्कार प्रभावित अबोध बालिका को अपनी गोद में लेकर उसकी मां बाजार में होकर निकली तो समूचे बाजार की दुकानों के शटर गिर गये और वहां जनता में उत्तेजना पैदा हो गयी। यहां पर यह कहना अत्यंत आवश्यक है कि पुलिस ने देख लिया था कि उस मकान के स्त्री-पुरुष लामनी करने निकल गये थे। पुलिस वालों ने शराब पीकर बलात्कर किया। वहां के लोगों के द्वारा बाजार बन्द कर देने पर और विरोध प्रदर्शित करने पर भी वहां के पुलिस अधिकारियों ने कोई भी उन बलात्कारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की और उनके विरुद्ध रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुई, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। मान्यवर, उस लड़की को 16 टांके लगे हैं और यह मुख्य मन्त्री वीर बहादुर सिंह की सरकार बहुत दम्भ

भरती हैं हरिजनों के सुरक्षा को कि हम हरिजनों की सुरक्षा कर रहे हैं, तो यह उनको सुरक्षा का ही परिणाम है ।

मान्यवर, यह अति अविलम्बनीय घटना है इससे अति अविलम्बनीय और कोई घटना नहीं हो सकती है क्योंकि यह कल यानी कि 19 तारीख को ही घटना है । हरिजन बालिका के साथ बलात्कार हुआ है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि आज आप सदन की कार्य-वाही को रोक कर आप इस पर चर्चा करवाइयें जिससे कि इस सरकार का हरिजनों के प्रति सुरक्षा बरतने को डींग का हांका जाना सब बातें खुल कर सामने आ जायं ।

श्री हुकुम सिंह--

जिस घटना के बारे में माननीय बदन सिंह ने कहा है जो स्थिति मेरी जानकारी में आयी है उसके अनुसार यह मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ताकि आपको भी निर्णय लेने में सुविधा हो।

मान्यवर, दो कांस्टेबिल वहां पर पकड़े गये और वे इस आरोप में पकड़े गये कि पांच साल की लड़की लज्जावती जिसके पिता सुन्दर लाल हैं उसके साथ इन लोगों ने रेप किया । जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस और एस0 पी0 मौके पर पहुंच गये । उन्होंने मना कर दिया कि हम दोनों को हैण्ड ओवर नहीं करेंगे। जनता उत्तेजित हो उठी तब उन्होंने उन दोनों कांस्टे-बिलों को दिया । उन्होंने पीट-पीट करके दोनों कांस्टेबिलों की हालत बुरी तरह से खराब कर दी जिसके कारण उनको अस्पताल ले जाया गया । वहां पर एक कांस्टेबिल की तो मृत्यु ही हो गयी है दूसरा अब भी अस्पताल में भर्ती है । इसके लिये दफा 376 और दफा 307 में दो मुकदमें कायम किए गये हैं दोनों मुकदमों की तफतीश डी0 वाई0 एस0 पी0 कर रहे हैं ।

इस घटना की, जिसकी जानकारी अभी की जानी है, विवेचना हो रही है आपने देखा कि उत्तेजना के परिणाम-स्वरूप एक कांस्टेबिल की जान चली गयी और दूसरा अभी भी अस्पताल में भर्ती है इसकी यहां चर्चा कराना उचित नहीं है । सूचना आपने दे दी है, विवेचना जारी है, दोषी के प्रति कार्यवाही की जायगी। उत्तेजना को फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

संसदीय कार्य मंत्री को जितनी जानकारी मिली है, अपनी एजेन्सी से उन्होंने जानकारी दी है, सदन के संज्ञान में बात आ चुकी है, मामला गंभीर है। आखिर एक कांस्टेबिल की जान क्यों चली गयी ? क्यों जनता उत्तेजित हुई ? जहां तक शराब पीने की बात है, उनके संसदीय बयान से मालूम पड़ गई है कि पुलिस शराब के नशे में थी । अब उनको जानकारी नहीं है, पुलिस के द्वारा शराब पी कर किसी के घर में घुस जाना और बच्ची के साथ बलात्कार करना, इसके कारण जनता में उत्तेजना का होना स्वाभाविक है, इसका कारण स्पष्ट है । आज के जमाने में जनता का पुलिस पर उत्तेजित होने के सवाल ही नहीं उठता है । जब इतना घृणित कार्य हुआ है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है ? संसदीय कार्य मंत्री का ऐसा कहना कि इसे यहां नहीं उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए और कहां उठाये, तो यह स्वच्छ प्रशासन की दुहाई देने वाले मुख्य मंत्री को इससे मदद ही मिलेगी । इससे और ज्यादा क्या महत्वपूर्ण घटना हो सकती है ? यह अविलम्बनीय भी है, महत्वपूर्ण भी है, कांस्टेबिल भी मर गया । इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर दो घंटे की चर्चा करा दी जाय ।

[1 बजकर 20 मिनट]

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मुझे चिन्ता थी, जो माननीय बदन सिंह ने सूचना दी, उन्होंने अंतिम पंक्तियों में लिखा है, आप पढ़ें। मुझे चिन्ता थी कि इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई, मुझे खुद परेशानी हुई। छोटी लड़की के साथ रेप करने का आरोप है और कार्यवाही न हो, तो मान्यवर मौके पर उच्च अधिकारी पहुंचे, उत्तेजित भीड़ को सुना गया। मान्यवर, उत्तेजित भीड़ ने उन सिपाहियों को मारा, और एक की मृत्यु हो गयी है, दूसरे की चिन्ताजनक स्थिति है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुकदमा कायम हो गया है और तफतीश हो रही है।

(सूचना सं0 8 के पुकारे जाने पर)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरे जिले का मामला है। आप एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल बोल चुके हैं। अब आपको क्या कहना है?

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। मान्यवर, सिपाहियों के इस दुर्व्यवहार से भीड़ उत्तेजित हुई और उसके कारण बाजार बन्द है। मुझे बताया गया है कि जिन-जिन सिपाहियों ने बलात्कार किया, अग्रेसिव होकर कार्यवाही की गयी है, तो वहां की जनता का उत्तेजित होना स्वाभाविक ही है, लेकिन कुछ लोगों को निशाना बना कर पुलिस उनके खिलाफ हर प्रकार से उत्पीड़न की कार्यवाही कर रही है और उस क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उन लोगों को नाना प्रकार से सताया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है। इसलिए मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, 26 तारीख को होली का त्योहार पड़ेगा और पूरे प्रदेश में चीनी की आपूर्ति नहीं हो पायी है और होली राष्ट्रीय स्तर का त्योहार है जिसको खासकर गरीब लोग मनाते हैं और गरीब लोगों के त्योहार पर चीनी न दी जाये, यह बड़े अफसोस की बात है। इस समय जितनी सस्ते गल्ले की दूकान हैं वहां पर चीनी पहुंची नहीं है और दुकानदारों में और जनता में निराशा व्याप्त हो गयी है। पी0 सी0 एफ0 को चीनी की आपूर्ति करना है। केन्द्रीय सरकार ने आवंटन चीनी का कर दिया है, परन्तु इनके आन्तरिक गुटबन्दी के कारण चीनी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहां के अध्यक्ष डा0 रुद्र प्रताप सिंह ने त्याग-पत्र दे दिया है और आज तक उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं हुआ है, वह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बड़े असमंजस की बात है। सहकारिता मंत्री और रुद्र प्रताप सिंह की आपस की गुटबन्दी है, आपस में कोई समझदारी नहीं है और गुटबन्दी के कारण पूरे प्रदेश में नागरिकों को कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। कांग्रेस की अन्दरूनी गुटबन्दी के कारण प्रदेश की जनता को तकलीफ न दी जाये और चीनी की आपूर्ति होली के पहले हो जानी चाहिए। फरवरी महीने की चीनी आज तक नहीं दी गयी है, तो फरवरी महीने की चीनी मार्च में दी जाये और 4 दिन होली के रह गये हैं, यह बड़ी खतरनाक बात है और अफसोस की बात है और लाखों नागरिकों का सवाल है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी होली के पहले चीनी की आपूर्ति करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, सारे प्रदेश में पी0सी0एफ0 ने होली के त्योहार के लिए चीनी की आपूर्ति नहीं किया है और इस कारण बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गयी है और देहात में चीनी मिलना मुश्किल हो गया है। लोगों में इस त्योहार के उपलक्ष में चीनी न मिलने के कारण बड़ी निराशा पैदा हो गयी है। गुड़ और चीनी के भाव बाजार में तेज हुये हैं मैं चाहता हूं कि होली के त्योहार पर चीनी का एक विशेष कोटा प्रति कार्ड पर 5 किलो चीनी अतिरिक्त वितरित करने का प्रबन्ध किया जाये। पी0 सी0 एफ0 के अध्यक्ष ने त्याग-पत्र दे दिया है, तो मैं नहीं जानना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री का उनसे किन बिन्दुओं पर झगड़ा है, परन्तु मेरा अनुरोध है कि चीनी की दुकानों पर चीनी के न पहुंचने के कारण जनता में निराशा है गुड़ महंगा है लाखों लोग परेशान हैं और माननीय सहकारिता मंत्री और वहां के अध्यक्ष के बीच में लेन-देन का सा झगड़ा प्रतीत होता है र इसलिए चीनी नहीं पहुंच रही है, इसलिए मान्यवर, आप तत्काल इस बिन्दु पर चर्चा करायें और चीनी को देहात में पहुंचाने की कृपा कर।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, हमारे प्रदेश में चीनी का मासिक कोटा 50 हजार मीट्रिक टन का है जो हम लेवी चीनी के रूप में वितरित करते हैं अपने सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से। फरवरी के महीने में मैं पी0सी0 एफ0 को 50 हजार 475 मीट्रिक टन चीनी उपलब्ध करायी और 40 हजार 474 मीट्रिक टन का आवंटन किया जा चुका है। जहां तक इस महीने का प्रश्न है इसमें कुछ विलम्ब हुआ है इस बात को मैं मानता हूं। हमने 20 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी की मांग की है। जो हमारा सामान्य कोटा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है वह होली से पहले पहले बंट जायेगी। मान्यवर, जहां तक नान-लेवी चीनी का प्रश्न है जो हमारी अपनी दुकानों से अलग भी मिलती है उसकी भी व्यवस्था है। मान्यवर, 70 हजार 280 मीट्रिक टन नान लेवी-चीनी का आवंटन किया जा चुका है मुझे विश्वास है कि होली के त्योहार में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

सूचना नं0 1, 2, 3, 4 वक्तव्य के लिए स्वीकार हैं, सूचना नं0 5, 6 में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, सूचना नं0 7 वक्तव्य के लिए स्वीकार है, सूचना नं0 8 पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, सूचना नं0 9 और 16 जिन पर दो जगह दस्तखत हैं, 16 में दो जगह दस्तखत हैं लिहाजा दोनों खारिज, सूचना नं0 10, 11 अस्वीकार हैं, सूचना नं0 12 में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, सूचना नं0 13, 14, 15 में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, सूचना नं0 17 में दो विषय हैं, सूचना नं0 18 अस्वीकार है, सूचना नं0 19 में केन्द्र से ताल्लुक रखता है, सूचना नं0 20 में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, सूचना नं0 21 अस्वीकार है। जितनी सूचनाएं हैं सब अस्वीकार हैं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बदन सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(श्री बदन सिंह, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री सरदार सिंह, प्रधान प्रभूदयाल श्री शारदानन्द अंचल कई और विपक्षी सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे जिन्हें विधान सभा रक्षकों ने रोक लिया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बदन सिंह--

[× × ×]

(सदन के फ्लोर पर आये हुये सभी सदस्यों के बोलने से व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य बेल में खड़े हैं अपने स्थानों पर जायें ।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव के प्रयास से सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये ।)

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, आप भी यह मानते हैं और सदन के सभी माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि माननीय बदन सिंह जी एक बहुत ही अनुशासित सदस्य इस सदन के हैं, और मैं समझता हूं कि ऐसा मौका आपको उन्होंने कभी दिया नहीं । उन्होंने माननीय राणा साहब ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो तथ्य सामने रखे हैं और उस पर आपने निर्णय ले लिया है । मान्यवर, आपको कुछ भी निर्णय लेने का अधिकार है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप जो कुछ करेंगे, जो निर्णय लेंगे, जो आपका आदेश होगा वह हम सब को मान्य है । लेकिन उस पर जब माननीय सदस्य सदन के वेल पर चले जाते हैं तो मैं भी इस बात को पसन्द नहीं करता हूं । किन्तु उनके सामने कोई और रास्ता रह नहीं जाता है । अगर सरकार की तरफ से संतोषजनक उत्तर आये और सही-सही बातें सदन में रखी जायं तो ऐसी स्थिति नहीं आ सकती । जो वहां पर इलाके की चौकी है उसमें किसी इंसपेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, इंसपेक्टरों की आपके पास कोई कमी नहीं है । लेकिन जब ये लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं तो अनुशासन बिगड़ता है, पुलिस का भी अनुशासन बिगड़ता है । मुझे भी माननीय बदन सिंह जी आगरा के जिला प्रशासन में कई बार मौखिक रूप से कह चुके हैं । और एस० एस० पी० तथा जिला प्रशासन से भी कह चुके हैं कि जो निर्दोष लोग हैं उनको भी उत्पीड़ित किया जा रहा है । उसी से सम्बन्धित यह मामला है । पुलिस का कांसटेबुल मरा है । जब सारे तथ्य सामने आ जायेंगे तो इस पर निर्णय लेने में भी आपकी मदद मिल सकती है । मान्यवर, आप सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं लेकिन आप ऐसे मामलों में जो निर्णय लें वह माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये लें । मेरी यह भी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य जब वेल में चले गये तो दबाव नहीं स्वीकार करें । मैं यह भी नहीं मानता हूं । ऐसा मौका नहीं आना चाहिये । इसलिन मेरा निवेदन है कि आप अपने विवेक से अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको देख लूंगा । माननीय बदन सिंह जी मुझसे मिल लेंगे तो इसको देख लिया जायेगा ।

प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में ब्योरेवार जानकारी न दिये जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप नियम 195 देखने का कष्ट

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

करें । यह जो हमारा भारत का संविधान है जिसके तहत यहां पर बजट पेश करने की प्रक्रिया निर्धारित है, उसी के अनुसार हमारी नियमावली के नियम 195 में अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की व्याप्ति के बारे में उल्लेख किया गया है । इसमें लिखा है कि अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी । मान्यवर, इसका तात्पर्य यह है कि जब हमारी पूरक अनुदानें पेश हों, हम केवल उन्हीं बातों तक चर्चा सीमित रखेंगे जो सप्लीमेंटरी में दी गई हैं । मूल आय-व्ययक और सप्लीमेन्टरी में फर्क है । जो मूल बजट आता है उसमें एक वर्ष आगे के खर्चों का आंकलन किया जाता है । लेकिन कभी-कभी सरकार पृथक अनुदान ले लेती है । हम उस समय नीति सम्बन्धी आलोचना करते हैं लेकिन अनुपूरक अनुदान वह है जिसमें कन्टेजेन्सी से सरकार खर्च कर चुकी होती है और यहां पर उसकी प्रतिपूर्ति करनी है इसलिये उसका उल्लेख करते हैं। मान्यवर, आप देखें में केवल एक पन्ना खोलता हूं पृष्ठ 63 निकला है इसमें चिकित्सा के सम्बन्ध में है यह प्रतीक रूप से मैंने लिया है । इसमें आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं वह इसे अपने ऊपर न लें । इसमें लिखा है माता वैष्णव देवी ट्रस्ट ज्वालापुर पर खर्च किया गया है । स्पष्ट है परन्तु इसी तरह से आपने लिखा है कि जिला एवं महिला चिकित्सालयों में जनरेटर की स्थापना हेतु इतना खर्च किया जायेगा, लेकिन कहीं नहीं कहा है कि कहां किया गया । यह खर्च हो चुका है, हम अब इसमें क्या चर्चा करेंगे, हमको यह कहने से वंचित किया गया है कि यह खर्च "ए" जिले में करना उचित नहीं है इसको "बी" जिले में किया जाय। इसी तरह अस्पतालों की स्थापना कहां हो रही है ? इसका कोई उल्लेख नहीं है ? कम से कम 50 फीसदी ऐसे मामले हैं जिनकी पूरी जानकारी हमें सरकार ने नहीं दी है । इसी तरह से अगर पालिकाओं का नाम दिया होता कि फलां-फलां नगरपालिका में पानी की व्यवस्था के लिये इतना पैसा जल निगम को दिया गया है लेकिन आपने इसमें कह दिया कि जल निगम को क्षति-ग्रस्त नलों की मरम्मत के लिए एक करोड़ रुपया दिया गया है । तो जब हमें मालूम नहीं होगा कि कहां यह पैसा खर्च होगा हम क्या आलोचना करेंगे ? आज से दो वर्ष पहले तक इस सदन में एक परम्परा थी कि सप्लीमेंटरी बजट के साथ स्मृति-पत्र होता था एक-एक मद की व्याख्या उसमें दी जाती थी लेकिन इसमें और इसके पहले गत दो वर्षों से एक गलत परम्परा पड़ रही है जिससे हमें सही जानकारी नहीं मिलती है । जो हमारा अधिकार विधान मंडल में आलोचना कर सरकार पर नियंत्रण करना था, जो बजट री प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है उसकी यहां पर अवहेलना हो रही है जिससे विधान मंडल का बजटरी कंट्रोल शिथिल हो गया है । आप अपने संख्या बल से इसे पास कर लेंगे लेकिन यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है । इसलिए बजटरी प्रोसेस के बारे में मैंने संवैधानिक आपत्ति उठाई है जिस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह कल प्रस्तुत हो चुका है उस वक्त आपको कहना चाहिये था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं लेकिन उस समय पेश होने की बात थी और आज उस पर चर्चा हो रही है । यदि मैं उस वक्त यह प्रश्न उठाता तो यही बात कही जाती कि चर्चा के समय यह बात कहें । चूंकि यह चर्चा का विषय है उस पर हमें आपत्ति है, चूंकि हमें विवरण प्राप्त नहीं है तो हम किस पर आपत्ति प्रकट करें ।

इसलिये मेरी आपत्ति उचित समय पर हुई है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

इसी पर मेरी भी आपत्ति है। जो सप्लीमेंटरी ग्रांट हम लोगों के सामने आये हैं जिस पर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपनी बात रखी है । यह पैसा फिजूल खर्ची के लिए लिया गया है, यह कोई इनकी कमाई का है नहीं । इसमें यह नहीं बताया गया है कि किस-किस मद पर क्या खर्च कर रहे हैं इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है इसलिए मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने अपना उत्तरदायित्व वहन किया है । यह कहना कि साहब इसमें कंटिनजेंसी से पैसा खर्च कर दिया है । तो सप्लीमेंट्री इसीलिए आती है कि कंटिनजेंसी से खर्च हुआ है और उसमें हमारे डिसपोजल में कुछ पैसा और मिले जिसकी कमी हमें है उसमें हम खर्च कर सकें जिसकी स्वीकृति हम आपसे ले रहे हैं। इसका संविधान में प्राविधान है उसके अनुरूप ही हम आपके पास आये हैं। जो आपने विवरण की बात की है तो जो मूल बजट आपको मिला था गत वर्ष जो मदें उसमें थीं उन पर खर्च के लिये यह है जिसकी जानकारी आपको हो चुकी है । जहां-जहां पैसे की कमी पड़ी उसे पूरा करने के लिये अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुये हमने कंटिनजेंसी से पैसा निकाल कर खर्च किया उसकी प्रतिपूर्ति के लिये विधान मंडल के सामने हम आये हैं। इसमें कोई गैरकानूनी या नियम विरुद्ध बात नहीं है। इसमें आपको विवाद करने से वंचित नहीं किया जा रहा है, आपको विवाद करने का इसमें मौका मिल रहा है जो आप बिन्दु उठायेंगे उनका जवाब देने का मौका मिल रहा है और हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुप्त जी, कल यह बजट यहां प्रस्तुत हुआ उस वक्त यह आपत्ति उठानी चाहिये थी । जो कमी रहती है उसी के लिये सप्लीमेन्ट्री बजट लाया जाता है । इसलिये मैं आपकी व्यवस्था के प्रश्न को खारिज करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या—15, माननीय राम सरन, आपको कुछ कहना ?

(श्री राम सरन के खड़े होने पर)
(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह—

मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर सरकार ने ध्योरा नहीं दिया । इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

1985-86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

श्री राम सरन—

मान्यवर, यह अच्छा मौका है जबकि मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं । मान्यवर, अच्छी सरकार वह होती है जो साल में एक दफा ही अपना बजट पेश करती है । यह सप्लीमेंटरी बजट पेश करना यह एक बहुत बुरी और बहुत खतरनाक परम्परा है और एक दफा नहीं, कई कई दफा यह लोग करते हैं । इनका कोई भी वित्तीय अनुशासन है ही नहीं और जब वित्तीय अनुशासन नहीं है तो इनके जो अधिकारी हैं वह भी डि-कंट्रोल हैं । चूंकि यह स्वयं ही कंट्रोल में नहीं हैं, अनाप-शनाप खर्च करते हैं, इसलिये कर्मचारी, अधिकारी भी इनकी लाईन पर चलते हैं, इसलिये इस तरीके की सरकारें बहुत बुरी और खतरनाक हुआ करती हैं, जो बार-बार सप्लीमेंटरी

बजट पेश करती हैं । (इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए) अच्छी सरकार और अच्छा घर, यह 12 करोड़ का हमारा एक परिवार है, जो अपने परिवार का खाना-पीना, रहना और उनकी दवा-दारू का, उनकी जिंदगी का प्रबन्ध हम लोग करते हैं और श्रीमन्, एक समय में न करके कई-कई बार करते हैं, वह हमारी कमजोरी है और इससे वह परिवार तबाह हो जाता है, जो पूरे साल का, अपनी आय और अपने खर्चों का हिसाब रखकर पूरे साल का बजट न बनाये । कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हमारी क्या आय है और कितना खर्च है । तो उसी तरह के परिवार गांवों और शहरों में भी कुछ होते हैं जिस तरह की श्री वीर बहादुर सिंह यह सरकार चला रहे हैं ।

मान्यवर, इन्होंने दो सप्लीमेन्टरी बजट पेश किये हैं--एक फरवरी में और दूसरा आज । मान्यवर, इनका योग 19 अरब 6 करोड़ 22 लाख रुपये होता है । इनका 1985-86 का बजट लगभग 55 अरब के था और यह लगभग 20 अरब के हुआ । इसका परसेन्टेज निकालें, तो सप्लीमेन्टरी की परसेन्टेज आता है 35 प्रतिशत जो पेश कर रहे हैं ।

मान्यवर, 1967 की सरकार में 1980-85 की एसेम्बली में श्री राम स्वरूप वर्मा यहां एम0 एल0 ए0 थे, और वह 1967 में वर्मा जी वित्त मंत्री थे, चौधरी चरण सिंह के समय में, बजट पेश किया था, वह नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने, इस प्रजातंत्र में, कहा है कि 12 प्रतिशत से ज्यादा यदि सप्लीमेंटरी बजट कोई सरकार पेश करती है तो उसे पास न करो । यह वह कहते हैं और मेरे जैसा आदमी, जिसका कभी बजट वगैरह से ताल्लुक नहीं रहा है, 12 परसेंट क्या एक-दो परसेन्ट से ज्यादा खर्च करने की बात नहीं सोच सकता है । इन्होंने सप्लीमेन्ट्री में 35 परसेन्ट का पेश कर दिया है । मैं इनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के सबसे पहले मुख्य मंत्री हुए हैं पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त सन् 1937 का बजट मैंने अभी लाइब्रेरी में देखा, उनके समय का कुल 12 करोड़ 66 लाख का था । केशरी प्रसाद इनके साथ बैठे हैं, शायद वह गोविन्द बल्लभ जी के साथ रहे होंगे और आप तो अभी बहुत नये हैं ।

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

आजादी के बाद की बात कीजिए ।

श्री राम सरन--

आजादी की ही बात कह रहा हूं । आधी आजादी तो उस वक्त आ ही गई थी । इस सूबे के मुख्य मंत्री पन्त जी थे, उन्होंने इस सूबे का बजट पेश किया था, वित्त मंत्री भी रहे होंगे (व्यवधान) अंग्रेज कलेक्टर गोविन्द बल्लभ पन्त के सामने आ नहीं पाता था, पेशाब निकल जाता था उनका मुझे यह भी याद है कि उन्होंने अंग्रेज कलेक्टर को सस्पेन्ड कर दिया था । तो मुझे गुस्सा न दिलाओ (व्यवधान) तुम क्या करोगे, तुम तो तहसीलदारों के गुलाम हो । मैं अब जनता पार्टी के समय की बात कहना चाहता हूं (व्यवधान) इनके दो मिनिस्टर्स श्री श्यामसूरत उपाध्याय, जो मेरे पुराने सोशलिस्ट मित्र थे और और मुन्ना जी, सहकारिता मंत्री, जिनके विभाग में अंदाजा ही नहीं है कि कितने का घपला है, यह लोग बार-बार टोंक रहे हैं, इनको टोंकना नहीं चाहिए मुझे बोलते-बोलते कुछ ऐसी बात कह जाओगे तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाए, उसमें आपको झेलना पड़ेगा ।

मैं तो दोस्ती के नाते आपका लिहाज करता हूं। मुंह से बात निकल जावेगी, तो प्रेस वाले बैठे हैं, छाप देंगे तो यह बात हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि सन् 77-78 में राम नरेश जी मुख्य मंत्री थे, वह इस समय नहीं हैं, शायद उनके साथी कुछ मंत्री बैठे हों, एम0 एल एज0 तो बहुत हैं, उनके समय में कुल बजट 15 अरब का था, 78-79 में 17 अरब का हुआ, 79-80 में 19 करोड़ का हुआ और आज तुम्हारा 19 अरब का सप्लीमेन्टरी बजट ही है। यह तो खर्च करने जा रहे है 14 अरब 17 करोड़ तथा 78 लाख, यह तो नान-प्लान में करेंगे और 4 अरब 89 करोड़ प्लानों में खर्च करेंगे। यह है स्टैन्डर्ड। जो फिजूलखर्ची है उन पर यह अधिक खर्च करेंगे, यह तो इनकी हैसियत है। मुख्य मंत्री जी चले गये हैं। नारायण दत्त तिवारी जी ने पिछले साल बजट भाषण में कहा था, पेज 35 पर उसको देख लें। इन्होंने कहा था कि नान-प्लान में हम कमी करेंगे। आपने भी अभी जब बजट पेश किया है तो बीर बहादुर सिंह जी ने भी कहा है कि नान-प्लान में कमी करेंगे। इन्होंने पेज 19 पर यह बात कही है आप देख लें। तो मान्यवर, हम जैसे छोटे आदमी कुछ थोड़ा गैर जिम्मेदारी से कभी-कभी कह दिया करते हैं लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जिम्मेदारी से अपनी बात कहें, लेकिन कभी इत्तफाक से गैर जिम्मेदारी की भी बात हो जाती है। लेकिन श्रीमन्, मुख्य मंत्री, एक नहीं दो-दो यह बात कहते हैं कि हम नान-प्लान में खर्च करेंगे और आज क्यों कह रहे हैं तो श्रीमन्, यह तो इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रश्न भी हो सकता है। मुख्य मंत्री जी, मंत्रीगण, देवताओं में आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भाषण कहा करो तो जिम्मेदारी के साथ कहा करो।

मान्यवर, आज 20 तारीख है। इस महीने में 11 दिन रह गये हैं।

एक सदस्य--

होली भी है।

श्री राम सरन--

होली के दिन ये पता नहीं क्या करेंगे। इन्हें देखना पड़ेगा।

तो मान्यवर, 31 मार्च तक यह जो 14 अरब रुपया ले रहे हैं उस दिन तक इसको फिजूलखर्ची नहीं करेंगे। 11 दिन बचे हैं इस पैसे का दुरुपयोग होगा। यह सारा पैसा फिजूलखर्ची में जायेगा योजनाओं पर खर्च नहीं होगा। फर्जी बिलों का भुगतान होगा। यदुनाथ जी चले गये हैं। यदुनाथ जी कह रहे थे कि यह लोग किस तरह से इस पैसे को हजम करेंगे। 11 दिन में 14 अरब रुपया यह लोग किस तरह खायेंगे इसका अंदाजा नहीं है। सब फर्जी भुगतान होगा। माननीय श्यामसूरत जी आपसे मेरा ताल्लुक रहा है। डाक्टर लोहिया, श्री जयप्रकाश के आप भी नजदीक रहे हैं, मैं भी रहा हूं। मुन्ना तो रहा नहीं। यह तो संजय गांधी का चेला है। मान्यवर, हमारा जो कारखाना था उसमें से बहुत निकले हैं। मैं कहना चाहूंगा कुछ परम्परा डालें। मैं सदन के दोनों तरफ के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि एक सदन की ऐसी कमेटी होनी चाहिये। आपकी पी0 ए0 सी0 कमेटी है। वह इसमें कारगर नहीं होगी वह तो जो आडिट आब्जेक्शन होते हैं और जो 2-3 साल पुराने होते हैं उनकी वह विवेचना करती है और इंस्पेक्शन भी करती है और अफसरों के बयान लेती है। उन अफसरों का बयान लेती है जिनके जमाने की वह चीजें नहीं होती हैं, तो मैं चाहता हूं कि दोनों सदनों के लोगों की एक कमेटी, जिसमें दोनों तरफ के लोग हों एक ज्वाइंट कमेटी होनी चाहिये। पूरे हाउस की कमेटी होनी चाहिये। आप इस कमेटी को बनायें और वह इस

बात की जांच करे आप जो बजट पास करते हैं जो आपके कार्य हैं उसकी वह हर महीने समीक्षा करती रहे। वह मौके पर जा-जा कर देखे कि किस विभाग को आपने कितना धन दिया है और धन का सदुपयोग हो रहा है। या दुरुपयोग हो रहा है वह कमेटी जांच करती रहेगी तो इससे अनुशासन होगा और आपके अधिकारी डरेंगे और अच्छा काम होगा। तो एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिये।

मान्यवर, एक किस्सा मैं सुना दूं। मंगल देव विशारद जी सन् 1967 में पी0डब्लू0 डी0 मिनिस्टर थे। देहरादून की बात है। ब्रह्म दत्त मेरी पार्टी का सेक्रेटरी था जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर रहा था। ब्रह्म दत्त जी ने कहा कि मुझे मिलवा दो, मंगलदेव विशारद जी से, मैंने कहा मिलवा दूंगा। फिर मैंने श्री विशारद जी का एक प्रोग्राम बनाया गांव शायद लम्बा था, पी0 डब्ल्यू0 डी0 की सड़क जा रही थी, मैं और ब्रह्म दत्त और भी कई लोग साथ थे, जब हम लोग वहां पहुंचे, तो मान्यवर, 8 दिन के अन्दर-अन्दर वह पी0 डब्ल्यू0 डी0 की सड़क बनकर तैयार हो गयी और जब यह सड़क बनकर तैयार हो गयी, तो वहां के लोग बहुत से मिलने के लिए आए कि साहब ऐसे ही प्रोग्राम और आप हमारे इलाके में कोई लम्बा बनाओ, जिससे और यहां की सड़कें इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएं, तो मान्यवर, कमेटियों के जाने से फायदा तो होते ही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर एक कमेटी बना दो तो जो आपने बजट 63 अरब का प्रस्तुत किया है, तो इसका सही-सही सत्यापन हो जायेगा, क्योंकि आज कल जो लूट खसोट चल रही है, उसमें 20 प्रतिशत की कमी आवश्य आ जावेगी। और मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तो हैं नहीं, दुर्भाग्य से वह चले गये, मैं उनसे कुछ बातें कहना चाह रहा था। मैंने उनकी एक किताब में देखा है कि वह 76 प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र जो हैं उन पर 76 गाड़ियों की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो रुपया 76 लाख की होंगी। एक जीप एक लाख रु0 की होगी और उस पर घूमेगा कौन सुपरवाईजर, स्वास्थ्य केन्द्र का। इस प्रकार से एक जीप हर जिले के सुपरवाईजर को देने की व्यवस्था वह कर रहे हैं, और वह उस पर बैठकर इधर-उधर घूमेंगे और इसके अलावा तो कुछ करेंगे, कहा गया है कि रिपोर्ट देंगे, भगवान जाने वह क्या रिपोर्ट देंगे। अगर वह फूलपुर के रहने वाले होंगे, तो जीप लिये इलाहाबाद को घूमेंगे, फूलपुर में तो वह मिलेंगे नहीं और टी0 ए0, डी0 ए0 अलग से बनावेंगे और उसकी सुपरवाईजरी और उसके बच्चे, अगर यह जौनपुर में तैनात होंगे तो फिर यह सारे शहर में इस गाड़ी को लिए घूमेंगे। तो इस प्रकार की एक तवालत और आप को मोल लेने जा रहे हैं अगर आपको ऐसी कोई व्यवस्था करनी ही थी, तो कोई अच्छा काम करते, इन जीपों के बजाए आप हर स्वास्थ्य केन्द्र पर एक ऐम्बुलेंस दे देते तो इससे जनता को ही काफी राहत मिलती, और एक जगह से दूसरी जगह को मरीज पहुंचाये जा सकते थे, गांव-गली से बड़े शहरों के अस्पतालों को सिरियस मरीजों के पहुंचाने का काम कर सकते थे। और इस प्रकार जीप देकर उनके घूमने का साधन आप कर रहे हैं, यह बिल्कुल फिजूल खर्ची है, इसको आप रोकिए। और मान्यवर, यही नहीं प्रतापगढ़ के कोई माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं, तो उनको मालूम होगा कि वहां पर जो एक ट्रैक्टर कम्पनी है, उस कम्पनी को आप 1 करोड़ 8 लाख रु0 दे रहे हैं और मान्यवर, अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भगवान अक्ल दे। अम्बुलेंस तो जरूरी है ही, अगर वह उसको भी व्यवस्था न कर सकें, तो मैं आपके तहसील हेडक्वार्टर की ऐसी बात बता दूं कि जहां पर लेडी डाक्टर भी नहीं हैं। डाक्टर तो हैं नहीं और आप सुपरवाइजर को दे रहे हैं जीप। इनकी वही कहावत है कि लाये थे

रुपया बेल खरीदने के लिए और बनवा दिये बीबी को बालियां । तो आप यह बालियां पहना कर जनता को भूखों न मारो ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

ट्रैक्टर वाली बात आपने पूरी नहीं की ।

श्री राम सरन—

ये अपनी पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए सब धंधे कर रहे हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्यारे भाइयों, दो बहनें उधर बैठी हुई हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आप अपनी पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए क्यों इस तरह के गलत काम कर रहे हो ? क्यों इस प्रदेश की जनता का कचूमड़ निकाल रहे हो ? आपको जो ऐसे-ऐसे लोग घेर लेते हैं, उनसे आप बचें । यह महात्मा गांधी का देश है, यह महात्मा बुद्ध का देश है, यह जय प्रकाश जी का देश है । लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधान मंत्री थे, तब इस देश में कभी फजूल खर्ची नहीं हुई । इस प्रदेश के जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, यहां पर जो बैठे हैं, सड़कों का बजट यहां पास होना है, ट्यूबवेल का बजट यहां पास होना है, अस्पतालों का बजट यहां पास होना है, शिक्षा का बजट यहां पास होना है । यह आपने एम0 पी0 को जीप देने की प्रथा कौन सी डाल दी ? एम0 पी0 कौन सा ट्यूबवेल चलायेंगे । उत्तर प्रदेश में दो को छोड़कर 83 एम0 पी0 हैं । एक कार आप देंगे जो हमारे एटा का एम0 पी0 है उनको और 83 अपने लोगों को देंगे । मैं मान्यवर, एम0 पी0 का सम्मान करता हूं । उनके पास तो पहले से ही हवाई जहाज के टिकट हैं । वह अपने घर के पास डाकखाना खोलवा सकते हैं, वह अपने घर के पास रेलवे स्टेशन खोलवा सकते हैं । वह अपने घर पर हेलीकाप्टर रुकने के लिए हेलीपैड बनवा लें, यहां हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हो एम0 पी0 लोगों को जीप देने का भार ? आप एम0 पी0 को खुश करने के लिए इतनी सुविधा दे दो वीर बहादुर सिंह ताकि वह आपकी चुगली आपके प्रधान मंत्री से न कर सकें । आप कमिश्नरों की पावर्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइये और बढ़ा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन एक-एक कमिश्नर के ऊपर उनकी साज-सज्जा के लिए आप एक-एक लाख रुपया दे रहे हैं । उसका बंगला तो पहले से ही बहुत बढ़िया है । वह जहां कहीं पर भी ठहरता है, उसके लिए डाक बंगला है । वह ज्यादातर पी0डब्लू0डी0 के डाक बंगला में ठहरता है । तिरंगा झंडा मिनिस्टर की तरह लगाकर चलता है । पुलिस पहले ही लग जाती है । एस0 पी0 डी0 एस0 पी0 उसके पीछे-पीछे चलते हैं । उसके पास तो पहले से ही सब कुछ है अब उसको दस लाख रु0 और किस लिए दे रहे हैं । कहीं वह आपका कोई रिश्तेदार तो नहीं है । मुझे तो सुबहा हो रहा है कि वह आपका कोई रिश्तेदार है और उसका कुछ दबाव पड़ा होगा इसीलिए आप यह दे रहे हैं । मैं कहता हूं कि आप यह फिजूलखर्ची मत करो । मैं आपको बताता हूं कि सन् 1942 में सहारनपुर में एक अंग्रेज कलेक्टर था उसने सब कारें वापस करवा दी थीं और खुद बंगले से कचहरी तक साइकिल से जाया करता था । उसके कपड़े भी मामूली होते थे जब उसके कुछ खास लोगों ने पूछा कि आप साइकिल पर क्यों आने लगे तो उसका जवाब था कि चूंकि हमारे जवान जंग लड़ रहे हैं इसलिए पेट्रोल की जरूरत उनको है, कपड़ों की जरूरत है वहां पर जवानों को । आप सीखें, अंग्रेजों से आपने सीखा नहीं । आप तो अपनी फिजूलखर्ची में लिप्त हो गये हैं । इस देश को दुनिया

सोने की मुर्गी कहती थीं और इन्होंने इसका ऐसा कचूमड़ निकाल दिया कि इस देश का पता नहीं यह क्या करने जा रहे हैं। यहां पर इस समय 5 मंत्री बैठे हैं, गृह मंत्री भी बैठे हैं मैं तो गृह मंत्री को ग्रहे मंत्री ही कहूंगा क्योंकि यह तो बवाल हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपने-अपने क्षेत्रों में जब जाते हैं तो आप वहां जनता को खुश करने के लिए कुछ वायदे करते हैं, आप वोट के लालच में कहते हैं। कहीं पर सड़क बनने की जरूरत है आपके कार्यकर्ता ने कह दिया कि यहां पर सड़क बननी चाहिये आपने कह दिया हां-हां बनाई जाय। उस समय आपके अफसर भी आपके साथ होते हैं, इन्जीनियर्स भी होते हैं, वह सोचते हैं कि इसको कैसे पूरा करेंगे और यदि नहीं पूरा करेंगे तो यह अनुशासनहीनता है इसलिए वह उसको पूरा करेंगे इसलिए आपके गलत वायदों को पूरा करने के लिए, उनको निभाने के लिए उन्हें कुछ न कुछ जाल बट्टा करना पड़ेगा और फिर आप उसके लिए सप्लीमेंटरी बजट लायेंगे।

श्रीमन्, इसी तरह के सिंचाई विभाग का अजीब हाल है। आपका कहीं पर कन्ट्रोल तो है नहीं, आप कहीं पर देखते नहीं हैं। कहीं नाला खुदने की बात है तो नाला खुदा नहीं, नाले का खुदाई हुई नहीं और पेमेंट हो गया, यह हाल प्रदेश में चल रहा है। जो लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर देखते होंगे आप देखेंगे, मैं यह दोनों ओर के विधायकों से कह रहा हूं। इधर के बैठने वालों से भी और उधर के बैठने वालों से भी कि आप लोग लिस्ट मंगाकर देख लिया करें कि कौन-कौन से नाले खुदे हैं और कितना पेमेन्ट हुआ है। इस तरह देखकर पेमेंट करने से आप कुछ कन्ट्रोल कर पायेंगे। आप देखेंगे नहीं कि नाला खुदा है या नहीं और फिर जब उसका पेमेंट करना पड़ता है तो वह आपके सिर पड़ता है और फिर आप सप्लीमेंटरी बजट ले आते हैं। आप 20 को सप्लीमेंटरी लाओगे और 31 तक उसका भुगतान खा जाओगे। इनके इंजीनियर हैं। हमारे यहां वर्ल्ड बैंक की तरफ से नलकूप लगवाये गये हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत लगे हैं, जमुना के किनारे-किनारे लगे हैं। जो पाइप खरीदी गई, बदन सिंह बता रहे थे कि फटी हुई, टूटी हुई और जो किसी काम की नहीं थी वह पाइप खरीदी गई और सारा पैसा इंजीनियर लोग खा गये। आपके इंजीनियर का यह काम है। बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता है।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। आज जब मैं अपने निवास से विधान सभा आ रहा था तो एक तमाशा और हो गया। मैं रिक्शे से आ रहा था, हजरतगंज में एक जीप निकली, उस पर लिखा था उत्तर प्रदेश सरकार और नीचे लिखा था गोरखपुर। गोरखपुर में कौन सी सरकार बन गई। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार कब से चली गई। मैं गोरखपुर की बात नहीं कहता अधिकांश जिलों में यही हाल है। जो गाड़ियां हजरतगंज में घूमती मिलेंगी उनमें उत्तर प्रदेश शासन लिखा होगा, यह गन्दगी क्यों चालू कर रखा है। मुन्ना साहब सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने कुछ गड़बड़ प्रशासक बना दिये हैं। वह इनकी जीप पर तो चढ़ते नहीं, उनकी अपनी जीप है या किराये की है, उस पर बड़े बोर्ड में लिखा रहता है प्रशासन सहकारी समिति फलां। शासन की गाड़ियों पर तो छोटा लेबिल है, लेकिन प्राईवेट पर बड़ा लेबिल है। यह लेबिल वाली सरकार लेबिल लगवाती फिरे। कपिल हंस रहा है, इसके यहां एक कार्यकर्ता कांग्रेस का है, उसको हमारे खिलाफ टिकट मिला, ऐन वक्त पर उसने वापस कर दिया, शायद पार्टी से निकाल दिया गया या नहीं निकाला गया। उसकी कार जब चलती है। हमारे जिले के यशपाल सिंह मंत्री थे, वह हमारा खानदानी भाई है। बहुत नाजुक मिजाज आदमी है, बड़ी खूबसूरती से गाड़ी में चलते हैं। उनकी कार में मिनिस्टर की झंडी लगी है। उनको देख कर उनके कार्यकर्ताओं का दिमाग

खराब हो गया है। इनके कार्यकर्ता ऐसी झंडी लगाकर चलते हैं, जैसे कोई मिनिस्टर का बाप आ रहा हो। कहां का मिनिस्टर है। कांग्रेस की झंडी लगाये तो कोई बात नहीं उनको तो यह भी पता नहीं कि राष्ट्रीय झंडा कौन है और पार्टी का कौन है। यहीं नहीं अब तो लाल बत्ती लगाने लगे हैं। इसको आप ठीक करें। लाल बत्ती लगाकर ऐसे चलते हैं जैसे मिनिस्टर के बाप हों। घर में चूहियां दौड़ रही हैं, खाने को कुछ है नहीं। इनको आप ठीक करें। हमारे पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर अच्छे हैं। मैं बहुत प्यार करता हूं। जवाब भी अच्छा देते हैं, सही जवाब देते हैं। बैकवर्ड हूं, मैं बैकवर्ड से बड़ी हमदर्दी रखता हूं। लेकिन भाई मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि कुछ चमक ला दो इस प्रदेश की सड़कों को, वह ऐसे चमकें जैसे इनके बीच में इनका चेहरा चमक रहा है। ये सड़कें ऐसी चमका जाइये कि जैसे सीताराम निषाद सदन में बैठे चमक रहे हैं तो मजा आ जाय। क्या परेशानी है? अच्छी बात है, आपका नाम होगा हमारा काम होगा और जनता निषाद साहब जिन्दाबाद करेगी। आप भी देखें कि गलत बिलों का भुगतान तो नहीं हो रहा है। श्रीमन्, अब मैं आपके सामने···आप लोग उतावले न हों, बहुत दिनों के बाद बोल रहा हूं, थोड़ा सा रह गया है···श्रीमन्, इनके निगम हैं। ये निगम क्या हैं? श्रीमन्, हम तो पहले निगम कायस्थों को जाना करते थे। लखनऊ में हमारा एक निगम था। लेकिन अब पता लगा कि निगम कार्पोरेशन को कहते हैं। मैं तो उर्दू पढ़ा हूं। अब हिन्दी पढ़ी तो पता लगा कि निगम कार्पोरेशन को कहते हैं। यहां तो निगम बहुत हैं। कौन सा निगम आपका है जो मुनाफे में चल रहा हो? एक बताएं तो? एक पुल वाला जो निगम है, उसे बताते हैं ब्रिज कार्पोरेशन, वह फायदे में है। आप अंग्रेजी वाले हैं, मैं तो मेरठ का लठ

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, हमारे वक्ता महोदय, राम सरन जी बहुत वरिष्ठ हैं, इनका अनुभव, इनकी सेवाएं, इनका ज्ञान तो मान्यवर, सदन और प्रदेश की जनता को मिला है। ये निगम उद्योग नहीं हैं, ये विकास के लिए, प्रगति के लिये और निर्माण के लिये बने हैं।

श्री राम सरन—

मैं इस मामले में आपको पढ़ा सकता हूं। वैसे ही मखौल न समझ लेना। चौथी भाषा गुरुमुखी भी आपको पढ़ा सकता हूं। मैं निगम का मजाक करना चाहता था। खुशी होती, आप निगम की व्याख्या करने खड़े हो गये, किसी निगम का फायदा बताते तो खुशी होती। फायदा बताया नहीं, व्याख्या करने लगे। किसी भी निगम का फायदा बताते तमाम संघ हैं, फेडरेशन हैं। ये सारे निगम घाटे में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं घाटे में? रिछारिया जी बैठे हैं। सुनिये मेरी बात···मेरे यहां एक सहकारी चीनी मिल है, ननौता में? जिसका मैं काश्तकार हूं, मान्यवर, यहां गन्ना मिनिस्टर हैं और सहकारिता मंत्री हैं। दोनों सरकारें यहां हैं। यहां जितनी भी निगम हैं, चीनी मिलें हैं, घाटे में चल रही हैं। तो जब चीनी मिल घाटे में चल रही है तो वहां ननौता में इतना बड़ा गेस्ट हाउस क्यों बनवाने जा रहे हो। उस दिन भी स्पीच में मैंने कहा था, झांसी के सर्किट हाउस से बड़ा है ननौता का गेस्ट हाउस, चल रहा है घाटे में और गेस्ट हाउस जरूर बनेगा। क्या जरूरत है? क्यों इतना बड़ा गेस्ट हाउस बने? चलिये गुप्ता जी, शतरुद्र जी दिखवा दूंगा, इतना बड़ा गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा। इतना बड़ा और सुन्दर गेस्ट हाउस बना है कि रात में मिनिस्टर जाए तो एक बोतल की जगह दो पी लेगा क्योंकि बढ़िया गेस्ट हाउस है। इसके बारे में चेक करें। इस फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं। मैं जाता

हूं उस सहकारी चीनी मिल में तो एम0 डी0 साहब नहीं मिलते। कहां गये, साहब बच्चों को लेकर चले गये, दिल्ली चले गये, कहां गये, हरिद्वार चले गये, क्यों चले गये, कुम्भ चल रहा है। तेल किसका फूंक रहा है, किसानों का सरकार का या ओम प्रकाश रिछरिया का और एम0 डी0, घूम रहा है। क्यों नहीं पकड़ते हैं। क्या इनके बाप की गाड़ियां हैं यह। क्यों नहीं आप इस पर रोक लगाते। अगर मैं मिनिस्टर होता, और इस तरह की बात पाता तो सम्बन्धित अधिकारी को एक मिनट में सस्पेंड कर देता। आप हमारे कोआपरेटिव के महकमे के हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं भी फेडरेशन का चेयरमैन था ढाई साल रहा। प्रशासक भी रहा, चेयरमैन भी रहा। मेरे जमाने में आप देखेंगे, रिकार्ड उठाकर देख लें, जो 2–4 आज भी हैं, वही पुराने अफसर थे, जो बीमार चल रही थी, उसको हमने ऊपर उठाया, फायदे पर लाये, आपको फायदा दिया। मान्यवर, जब मैं उसका प्रशासक बना उस समय सेल थी 38 लाख और जिस दिन आपने हमें हटाया गवर्नर के आदेश से उस दिन एक महीने की 3 करोड़ 17 लाख की सेल थी। मैंने 38 लाख से 3 करोड़ 17 लाख तक सेल को पहुंचाया। सात नयी ब्रांचे खोली। 40 परसेंट बोनस भी दिया। जब भी उधर, मान्यवर, चला जाता हूं, वहां के कर्मचारी पैर पकड़ते हैं। जब मैं उस समय वहां गया, वहां 90 प्रतिशत लोकपति जी के आदमी उसमें थे, लेकिन मैं एक को भी नहीं हटाया था। रोजगार देना मुश्किल है, लेकिन छीनना बड़ी बुरी बात है। चाहे किसी के द्वारा रखे हों, हमने कहा किसी को नहीं निकालेंगे। हमने उन लोगों से कहा कि अगर मेहनत करके इसे फायदे पर लाओगे तो तुम्हारे रिश्तेदार में से एक–एक आदमी और रख लूंगा। आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये, लगातार फायदा वहां हुआ। अब वहां क्या स्थिति है, आप उसको देख लें। यहां भाई जमुना प्रसाद बोस जो बैठे हैं, तख्त पर बैठते थे, जब मिनिस्टर थे, रिक्शे पर बैठकर चले। आपके किसी मिनिस्टर का हाल पूछा जाय, हवाई जहाज से कम कोई नहीं चलता, रिक्शा तो दूर रहा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आप जमुना प्रसाद जी से कुछ सीख लें। कभी इनको कोई बदनाम नहीं कह सकता। नहीं सीखेंगे, अपना ही राग अलापेंगे, तो जब मिनिस्टर पद से उतरकर आयेंगे, तो जनता यही कहेगी कि लूट गया प्रदेश को। यही होता है और बहुतों के साथ हुआ है। कुछ आप करेक्टर को डेवलप करें। आप जमुना बोस से सीख लें। अपने कार्यकलापों, कारनामों को सुधारें। मान्यवर, हर निगम घाटे में। परिवहन मंत्री संजय सिंह चले गये, रोडवेज का हाल तो पूछिये मत। अगर इनकी बस में सहारनपुर से दिल्ली तक चला जाऊं, तो मेरा मुंह, कपड़े ऐसे हो जायें, जैसे हमारे भाई सीताराम निषाद बैठे हैं। मान्यवर, वह,अपना ऐसा रंग छोड़ेगी कि वहां बैठने पर संजय सिंह और सीताराम निषाद में फर्क ही नहीं नजर आये। सारा तेल आदि सीटों पर लगा रहेगा, कोई सीट नहीं मिलेगी, धुंवा छोड़ती हुई गाड़ी चलेगी पट–पट करके। सरकार मेरे हाथ में नहीं, सरकार आपके हाथ में है, हम आपसे जवाब तलबी करेंगे। हमारा यह जो सदन है, जवाब तलबी के लिये है। पदमा सेठ जो हमारे साथ एम0 एल0 सी0 रहीं, पुरानी हैं, मैं इनकी बहुत कद्र करता हूं। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ यह बात कह रहा हूं, सिर पर हाथ रख कर बोलो, भाई साहब जब कारनामें सुनती हूं, सिर फट जाता है. कब्जे में लोग नहीं आ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ अपने चीफ मिनिस्टर को आप लोग कहें। एक गड़बड़ी आप लोगों के सामने यह हो रही है कि आप लोगों को पावर कुछ नहीं दी हुई हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अपने पास, कल तक मुझे पता था 56 विभाग हैं, आज पता चला कि 65

विभाग अपने पास रखे हुए हैं। इतने मुहकमे अपने पास रखे हुए हैं। लाल प्रताप सिंह जो बैठे हैं, मिश्रा जी देवरिया वाले बैठे हैं, अनुभवी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और भी बहुत से अच्छे लोग हैं, अगर आप इनको एक-एक मुहकमा दें तो भी इनका काम अच्छा चले। एक तो मान्यवर, इनकी पुलिस ने नाक में दम कर रखी है। उसी को यह संभाल लें। आप 65-65 विभाग अपने पास रखे हुए हैं, आपको कौन सा शौक है, कोई आप अकबर बादशाह हैं। अकबर बादशाह ने भी बीरबल को बहुत सी पावर दे रखी थी। [2 बजकर 20 मिनट] यहां पर इस समय चौहान नहीं है। वह कभी भी खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि आपकी जो डिमान्ड है, उसे पूरा कर दिया जायेगा। ही-ही कर देता है। लेकिन जब इधर की तरफ उस बात को कही गई। (मुख्य मंत्री जी की ओर इशारा करते हुए) तो उन्होंने कह दिया कि हम इन्क्वायरी करवा देंगे। यदि ये लोग पूरे मिनिस्टर की हैसियत से बैठते तो काम कर सकते हैं, ये तो इन्होंने दिवान जी रख लिये हैं। अरे भाई, बंसी लाल के पास जाकर कुछ सीखो उन्होंने किस तरह से हरियाणा को डेवलप किया। सरदार प्रताप सिंह जी तो मर गये, उन्होंने पंजाब को डेवलप किया। बंसी लाल ने अपने पास मुहकमे नहीं रखे थे। सब को मुहकमे दे रखे थे और सबसे पूछता था कि आपका मुहकमा कैसा चल रहा है। इस प्रकार कन्ट्रोल होता है। लेकिन इन्होंने तो सारे मुहकमे अपने जेब में रखे हैं। 50-50 लोग हम एक दरवाजे पर खड़े रहते हैं यह कहने के लिए कि आपके मुहकमे में यह गलत काम हुआ है। क्यों आप ये भीड़ अपने दरवाजे पर करवाते हैं। क्यों न हम अलग-अलग दरवाजों पर खड़े रहें। जैसा कि माननीय श्री मुलायम सिंह कह रहे थे। भई 4 दरख्वास्तें कल जतो मेरा सिर दर्द करने लग मेंहूं जतो फिर 65 विभागों की फाइलें ये मुख्य मंत्री कैसे देखते होंगे। आज तक इन्होंने किसी भी फाइल पर यह नहीं लिखा होगा कि यह किया जाय। कह देते हैं ठीक है, देख लेंगे। इस तरह से काम नहीं होगा। काम का बटवारा किया जाय। कई योग्य लोग आपके यहां हैं। उनको आप मुहकमे दीजिए। माननीय श्री जय राम वर्मा जी यहां पर बैठे हुए हैं। इनके मरने के बाद भी इन पर कोई दोष नहीं लगा सकते हैं। यदि आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं तो सलाह तो अवश्य ले सकते हैं।

कल पुलिस का मामला यहां पर था। अब आप (श्री अरुण कुमार) ही बता दें कि आपके जिले में 23 जनवरी को 18 कारें जो कलकत्ता से चोरी होकर आई और 10-10 व 15-15 हजार में बिक गई, मैं नाम नहीं लूंगा, आप डरें नहीं। वे कारें किस-किस के घर में हैं। सी0 आई0 डी0 की आप जांच करवायें। जिसके वहां मिलें, उसे आप गिरोहबन्दी अधिनियम के अन्दर बन्द कर दो। ये वो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके घर में पुलिस नहीं घुस सकती है माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह बात को कहा। मैं ज्यादा न कहते हुए यह जो सप्लीमेन्टरी बजट आया है इसके विषय में कहना चाहता हूं कि यह 19 अरब रु0 का है। राम नरेश जी की सरकार में 15 अरब रु0 का पूरा बजट हुआ करता था, बनारसी दास जी की सरकार में 19 अरब रु0 का पूरा बजट था, आपका सप्लीमेन्टरी बजट 19 अरब रु0 का है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश पर रहम करो, इस प्रदेश की 12 करोड़ जनता पर रहम करो, उनके पैसे का दुरुपयोग मत करो, लूटो खसोटो मत। भाई अरुण कुमार सिंह "मुन्ना" बैठे हैं, यह कई जगह गये, मेरे क्षेत्र में भी गये, आप कुम्भ की हालत देख लो, क्या वहां की सड़कों पर, नागरिक सुविधाओं पर, लाइट पर ठीक खर्चा हो रहा है? जगदम्बिका पाल मेरा दोस्त रहा है

कभी किसी से उद्घाटन करा देते हैं, कभी किसी से, इसे धार्मिक लोगों के हाथ में देना चाहिये। कुम्भ कमेटी बनायी है, इसमें सहारनपुर और देहरादून इन दो जिलों के विधायकों को भी कमेटी में शिरकत कर लेते। पंत जी के जमाने में भी हुआ है, सारे विधायक मेम्बर रहे हैं कुम्भ कमेटी के। मैं चाहूंगा कि इस बजट को वापस ले लो, जो पहला सप्लीमेन्टरी पास किया है, उसी से काम चला लो, इन बचे हुए ग्यारह दिनों में कितना खर्चा कर लोगे? इसी के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, जो सप्लीमेन्टरी बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय राम सरन दास जी जो एक बहुत ही बुद्धिजीवी और विद्वान सदस्य हैं, उनके द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं। उन्होंने मुख्य रूप से दो बातों का उल्लेख किया, एक तो सप्लीमेन्टरी बजट नहीं आना चाहिये, वित्तीय अनुशासन की कमी है और दूसरे, धन का दुरुपयोग होता है।

मैं कहना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट लाना आवश्यक हो जाता है। यह तो प्रदेश की सरकार की बात है, मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहां बैठे हैं क्या उनको अपने घर के लिये ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है? भाई राम सरन दास जी भी अपनी घरवाली को घर खर्च के लिये बजट देते होंगे और जब पूरा नहीं हो पाता होगा, तो वह कहती होंगी कि अतिरिक्त बजट की जरूरत है जबकि वह बजट एक परिवार का होता है, घर का होता है। यह बजट तो पूरे प्रदेश का और विभिन्न विभागों का है। हम यह सोचकर चलते हैं कि इतने में फलां सड़क का निर्माण हो जायगा या अन्य विभाग का कार्य हो जायगा, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें पड़ती हैं और जब उसमें कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो या तो उसे अधूरा छोड़ दिया जाय या सप्लीमेन्टरी बजट रखा जाय, इसलिये यह आवश्यक हो जाता है। सप्लीमेन्टरी बजट किसी विकास कार्य के लिये या निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये रखते हैं। जैसा राम सरन दास जी ने कहा है। जैसा माननीय राम सरन दास जी ने कहा है कि सरकार को, विभागीय मंत्री को और प्रत्येक जन-प्रतिनिधि को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस विभाग में अनुपूरक बजट दिया जा रहा है वास्तव में उसका सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं। दुरुपयोग भी होता है, लेकिन शासन की मंशा उस क्षेत्र के कार्य को पूरा करने की होती है दुरुपयोग की नहीं। यदि इसका दुरुपयोग होता है तो दोनों पक्षों के हर एक जन-प्रतिनिधि की बराबर की जिम्मेदारी होती है कि वहां पर अंकुश लगाया जाय। हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन में सतर्क है। हमारे मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगण जागरूक हैं कि उनके विभाग का जो बजट है, उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। विकास के सारे कार्य पूरे हों।

सप्लीमेन्टरी बजट हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है कि जब उस विभाग के द्वारा बात सामने आ जाती है कि कितनी कमी पड़ती है उस कार्य को पूरा करने में जिसके लिये यह धन उपलब्ध कराया गया है तभी सप्लीमेन्टरी बजट के रूप में उसे यहां लाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पहले लेबर को जब रखा जाता था तो उसे 8 रु0 रोज के हिसाब से दिया जाता था लेकिन अब यह हो गया है कि उसे 10 रु0 रोज के हिसाब से दिया जायेगा। तो अब स्वाभाविक है कि मजदूरी बढ़ जाने से लेबरचार्ज भी बढ़ गया और जो काम का हिसाब 8 रु0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रति दिन की मजदूरी के हिसाब से लगाया गया था उसमें भी बढ़ोत्तरी आ जायेगी । तो इसीलिये अधिक मांग की जरूरत पड़ती है और इसीलिये सप्लीमेन्टरी बजट रखा जाता है । इन्हीं शब्दों के साथ में अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं और राम सरन दास ने जो बातें कही हैं वित्तीय अनुशासित के बारे में वह ठोस नहीं हैं, मैं कतई इसका समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि यह बात निराधार है । हमारी सरकार जागरूक है । जो भी बजट होगा उसका सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होने पावेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे बहुत अफसोस है कि इस समय संसदीय कार्य राज्य मंत्री नहीं हैं लेकिन उनका स्वभाव बन गया है, मैं कोई अच्छा शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन कहना पड़ता है कि वे लन्तड़ानी उड़ाया करते हैं । मैंने कहा था कि यह बजट, जैसे कि श्री राम सरन दास जी ने भी आरोप लगाये हैं कि जान-बूझ कर अपनी दलीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस बजट को लाये हैं । यह अनुपूरक बजट अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में इसकी जो प्रस्तावना है इसकी पंक्ति दो पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि "व्यय को ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक मांग पेश करनी पड़ती है जिसके लिये मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती ।"

अभी राम सरन दास जी कह रहे थे कि एम0 पीज0 को खुश करने के लिये जीपें दे दी गयी हैं लेकिन मैं तो यह भी कहता हूं कि केवल जीपें ही नहीं कुछ एम0 पी0 ऐसे हैं, जिसको घूस भी जा रही है । इसमें लिखा है कि जिला परिषद्, रायबरेली और सुल्तानपुर को विशेष भवन के लिये एक करोड़ रुपया दिया गया है । कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं जो कि खड़े हो कर कह दें अगर हिम्मत हो कि हमारे जिले में जर्जर भवन नहीं हैं जहां पर बच्चों को बाहर बैठा कर पढ़ना पड़ता है ? क्योंकि भवन की छत किसी समय भी गिर सकती है । क्या वे नागरिकों के बच्चे नहीं हैं ? लेकिन नहीं, कुछ खास बात है रायबरेली और सुल्तानपुर के बच्चों में जिसके लिये यह रुपया दिया जा रहा है । क्यों ? क्योंकि अरुण नेहरू और राजीव गांधी को खुश करना है, इसलिए यह रुपया केवल इन्हीं दो जिलों को दिया जा रहा है ।

मान्यवर, मुझे पता नहीं है कि आप किधर से विधान भवन में आते हैं लेकिन यदि उधर से आते होंगे तो आपने भी जरूर देखा होगा कि 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं गैर सहायताप्राप्त विद्यालयों के अध्यापक हतोत्साहित होकर लेकिन आप उनको सहायता नहीं दे रहे हैं । यहां ग्रान्ट इन ऐड की लिस्ट पर आपने उनको लिया हुआ है । आप जानते होंगे कि माननीय संकटा प्रसाद शास्त्री से लोग कहते हैं कि अमुक स्कूल को ग्रान्ट इन ऐड की लिस्ट में ले लें । मान्यवर, ज्वाला देवी दीक्षित बालिका विद्यालय उगू, उन्नाव को अनुदान की सूची पर लाने के लिये 2.66 लाख रुपये के अनुदान दिया गया । मान्यवर, सिब्ते रजी साहेब नहीं हैं, उन्होंने जायस के विद्यालय को मूल बजट दे दिया । मैं जानना चाहता हूं कि इसका आधार क्या है । बहुत से विद्यालय हैं जो ऐसे पड़े हैं । मान्यवर, लखनऊ का मेडिकल कालेज है, इसको बहुत पैसा दिया गया है , देना चाहिये, लेकिन जो यहां की व्यवस्था है, उस पर आपने ध्यान दिया है । मैं इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं । रिछारिया साहब बैठे हैं, उनका 8 मास का बच्चा मेडिकल कालेज में भर्ती हुआ और उसका परीक्षण किया गया तो मेनेजाटिस की बीमारी निकली, और जब 15 दिन बाद फिर टेस्ट किया गया तो दूसरी विम्टोरियां की बीमारी निकली, नई बीमारी आ गय

और परिणाम यह हुआ कि बच्चा इनके हाथ से चला गया। यह मान्यवर, वहां का कुप्रबन्ध है। कोई डाक्टर मरीज को नहीं देखता है और अगर हाउस जब के लड़के हों तो मरीज को देखने के लिये कोई नहीं है, लेकिन इस पर कोई चिन्ता नहीं प्रकट की गयी। मान्यवर, परिजन एवं समाज कल्याण का बजट पास हो गया, आंगन वाड़ी पर बहुत चर्चा हुई और वहां के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पुष्टिकारक प्रमाण किये गये और 5 करोड़ रुपया कान्टिन्जेंसी से लेकर उन पर खर्च कर दिया गया और अगर इसको खर्च न किया जाता तो मैचिंग ग्रान्ट न मिलती आपके पास गरीब हरिजन विद्यार्थियों को वजीफा देने के लिये पैसे की कीमत हो गयी, तो आपको पहले दशमोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को वजीफा देना था यह आंगनबाड़ी पर खर्च करना था। मान्यवर, दो मैदानी शून्य औद्योगिक जनपदों में भूमि एवं अवस्थापना की सुविधा के लिये ढाई करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, उद्योग शून्य जिलों की सूची बनायी गयी है, वह 5-7 साल पुरानी हो गयी है। जब से वह बनी है तब से बहुत डेवलपमेन्ट हो गया है और उसको पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कौन से मानक के आधार पर सुल्तानपुर को उद्योग शून्य जिला माना गया है और सीतापुर को नहीं माना गया है, बांदा को नहीं माना गया है। तो उन मानकों को पुनरीक्षित नहीं किया गया है, शून्य जिलों को परिभाषित नहीं किया गया है। मान्यवर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन हुआ। उसमें भाग लेने वाले लोगों को एक-एक कम्बल दिया गया है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कोई बढ़िया चीज भेंट की गयी होती, यह उनकी सेवा का प्रतिफल नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा है। उस साल की कीमत 450 रुपया है। मैं अगर उसको लोकपति जी के ऊपर डाल दूं तो वह भी नहीं बता पायेंगे कि इतने रुपये का है। यह मेरा आरोप है, अगर वह कह दें कि ठीक है तो मैं उसको वापस ले लूंगा। मान्यवर, मुझे समय का ध्यान है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालयों के लिये 45-46 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैं सीतापुर से निर्वाचित हूं सीतापुर में जो राज्य बीमा का अस्पताल है वहां न तो कोई डाक्टर है और न कोई स्टाफ है और न ही कोई व्यवस्था है। मेरी मांग है कि जो अनुपूरक मांग आप व्यय करेंगे उसमें सीतापुर जनपद में भी ध्यान देने की कृपा करें। अब पर्यटन का मामला है पर्यटन में भी आपने करीब-करीब डेढ़ करोड़ रुपया रखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप लोग सब कार से वाया सीतापुर से होकर दिल्ली जाते होंगे और अगर इस रास्ते से जाते होंगे तो सीतापुर पहुंचते-पहुंचते नदी के किनारे वहां पर एक पत्थर लगा हुआ है माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, वे साइड इमेनिटीज का पत्थर लगा हुआ है। आपने डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया है क्या उनके पत्थर की लाज आपको नहीं है। अगर नहीं है तो विश्वनाथ प्रताप जी दिल्ली चले गये उनके पत्थर को तुड़वा दीजिए। वे साइड इमेनिटीज के नाम पर जो बंगला बनना था वह क्यों रुका हुआ है। यह जो अनुपूरक अनुदान का बजट है यह पार्टी के कुछ लोगों को खुश करने के लिए रखा गया है मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय राम सरन जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने इस अनुपूरक अनुदानों को गौरपूर्वक देखा है और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश शासन को और इसके साथ ही मैंने अपने अंग्रेज और विद्वान राम सरन दास जी और माननीय गुप्त जी को सुना। मुझे

आश्चर्य हो रहा था जब राम सरनदास जी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने पढ़ा नहीं अगर पढ़ा होता इस अनुपूरक अनुदानों को तो यह न कहा होता कि 19 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगे हैं । मान्यवर, 13 अरब, 93 करोड़ 24 लाख 15 हजार का और जो पिछला अनुपूरक था उसको मिलाकर 19 अरब की मांग होती है तो जब ये शुरू में ही इस तरह की बात कह गये तो उससे लगता है कि कितना अध्ययन किया है उन्होंने इस अनुपूरक मांग का, और अभी माननीय गुप्त जी को मैंने सुना माननीय गुप्त जी को मैं श्रद्धा भी करता हूं और उनका सम्मान भी । उन्होंने एक बात कही कि उन्नाव के एक विद्यालय को जो लड़कियों का विद्यालय है, उनको क्यों रूपया दिया गया, नहीं दिया जाना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि नहीं दिया जाना चाहिए.....

(व्यवधान)

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि कृपया पुनः पढ़ ले इसमें लिखा हुआ है कि उस विद्यालय के नाम तथा अन्य ऐसे विद्यालयों को, जब अन्य लिखा हुआ है तो वह एक विद्यालय के लिए नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, एक ही विद्यालय का नाम क्यों लिखा गया अन्य के नाम भी लिखे जा सकते थे ?

(व्यवधान)

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सीतापुर का उल्लेख किया गया । माननीय गुप्त जी ने कहा, हमने पढ़ा है विशेष रूप से उद्योगों में एक सघन हथकरघा परियोजना बनायी गई है जिसमें अनुदान और ऋण पक्ष में दोनों मिलाकर 25 लाख रुपये की व्यवस्था अनुपूरक अनुदानों में की गई है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी व्यवस्था इसमें की गई है वह यह है कि वर्तमान शासन ने एक ऐसी समस्या का अन्त किया है जिसके लिये इस प्रदेश के शिक्षक इस शासन को कोटिशः धन्यवाद देंगे । 5, 6 लाख इस प्रदेश के शिक्षक जिनको हमारे विरोधी दल के लोग भड़काकर आन्दोलन कर रहे थे, उनकी सारी समस्याओं का निदान इन अनुपूरक मांगों में निहित है । ये लगभग 14 अरब रुपये की मांग हैं जिसमें से बेसिक स्कूलों के अध्यापकों का जनता पार्टी के शासनकाल से देय अवशेष था 1979 से आज तक का उसको देने की बात कही गई है और उनके महंगाई भत्ते वेतन आदि की इसमें व्यवस्था की गई है । उसके लिये 29 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो प्राथमिक विद्यालयों के इन अध्यापकों को मिलेंगे । इस प्रकार उनकी समस्याओं का अन्त हो जायेगा । इस तरह से अकेले प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को ही नहीं, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का जो अवशेष वेतन, बोनस, महंगाई भत्ता था, वह भी इसमें रखा गया है और उसके लिये 23 करोड़ 16 लाख रुपये का प्राविधान इन अनुपूरक अनुदानों में रखा गया है । इसके अतिरिक्त संस्कृत के अध्यापकों के साथ जो भी इस तरह के अवशेष थे उनको देने का भी प्राविधान किया गया है और उसके लिये 64,78,000 रुपये की व्यवस्था की गई है । एक तरफ तो मांग की जाती है कि अध्यापकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ जब इन अध्यापकों की समस्याओं का अन्त इस शासन ने किया है और उसके लिये धन की व्यवस्था की है तो उसका विरोध किया जा रहा है । मैं तो बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के तमाम अध्यापकों की तरफ से शासन को कि उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया है ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त भारत इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किया जा रहा है और उसके लिये जमीन ले ली गई है। उस जमीन का प्रतिकर देना है, मुआवजा देना है। अगर वह नहीं दिया जायेगा तो उधर बैठे हुये हमारे साथी नाराज हो जायेंगे कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। उसके लिये मान्यवर, 84 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। चीनी मिलों के सम्बन्ध में यहां पर बात कही गई। जो सुरक्षित क्षेत्र हैं उसके लिये एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 जी0 पी0 के तहत 1 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से ब्लाक कर्मचारियों की भी कुछ समस्यायें थीं, उनके कुछ देय अवशेष थे। उसके लिये 3 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, कानपुर में हड़ताल हुई थी। वहां पर गन्दगी हो गई थी। उसकी सफाई के लिये और दूसरी चीजों के लिये औषधि की आवश्यकता है। उसके लिये 8 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से सूखा ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है। मान्यवर, गर्मी आने वाली है, पानी का इन्तजाम करना है, शासन की घोषणा है कि गांव-गांव में पेयजल की सुविधा पहुंचाई जाय। उसके लिये 3 करोड़ 26 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से 1 हजार हैंड पाइप लगाने की भी व्यवस्था शासन ने की है जिस पर 3 करोड़ 86 लाख रुपये का प्राविधानित किया गया है। ये सब चीजें यदि देखी जायं तो ऐसी मदें इन अनुपूरक मांगों में हैं जो मानव कल्याण के लिये हैं और जिनके लिये आये दिन हमारे सदन में लगातार आवाज उठती रहती है। लेकिन जब आज यह कार्य पूरा किया जा रहा है तो पुनः सरकार की आलोचना कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरा प्रदेश इस शासन को साधुवाद देगा, धन्यवाद देगा क्योंकि अनेकानेक समस्याओं का निवारण इन अनुपूरक मांगों से किया गया है जिनको लगातार उस पक्ष के लोग दिखावे में जनता को गुमराह करते थे। शासन पक्ष के लोगों के मन में जनता के प्रति चिन्ता है, दर्द है और उसको दूर करने के लिये ही प्राविधान इन अनुपूरक मांगों में किया गया है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से शासन को और मुख्य मंत्री जी को और पूरे सत्ता पक्ष के सदस्यों को और सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूं। इस पूरे सदन के हमारे साथियों को यह बात देखनी चाहिये कि हमारे लाखों-लाख अध्यापकों का हित इन अनुदान मांगों से हुआ है उनको इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिये। हमारे निर्माण कार्य, किसानों की समस्यायें तथा जनता के हित के काम इन अनुदानों से पूरा होंगे इसके लिये हमारे साथियों को अनुदान की मांगों का समर्थन करना चाहिये। हमारे जो वक्ता बोलने वाले हैं वे भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि वास्तव में यह एक क्रांतिकारी कदम है। इन शब्दों के साथ में इन मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, अच्छी सरकार वह होती है जिसकी कथनी और करनी में भेद न हो लेकिन इस सरकार की कथनी और करनी में इतना भेद है कि जो यह कहते हैं वह करते नहीं हैं और जो करते हैं वह कहते नहीं हैं।

1985-86 का बजट रखते हुये माननीय तिवारी जी ने बजट में 262 करोड़ रु0 का लाभ दिखाया था। उसमें अगर लोकलेखा की आमदनी भी जोड़ दी जाय तो यह लाभ 495 करोड़ रुपये का होता है। एक तरफ 495 करोड़ का लाभ दिखाया गया है और दूसरी तरफ 19 अरब 6 करोड़ 88 लाख 28 हजार की मांग अनुपूरक बजट के रूप में की जा रही है। माननीय तिवारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो भी बजट स्पीच के पृष्ठ 35 पर उन्होंने कहा था कि आयोजनेतर व्यय में कमी की जायेगी और घाटे को पूरा कर लेंगे। यही बात माननीय वीर बहादुर जी के बजट भाषण के पृष्ठ 19 पर है कि कमी करके घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। इसी सत्र में दो बार अनुपूरक बजट द्वारा 19 अरब रुपये की अतिरिक्त माग की गयी है। इस सरकार का कोई वित्तीय अंकुश प्रशासन पर नहीं रह गया है। अगर वित्तीय अंकुश नहीं होगा तो इसी तरह से घाटा होता रहेगा और आयोजनेतर खर्च बढ़ने से जनता के ऊपर करों के रूप में बोझ बढ़ता जायेगा। कोई जन-कल्याणकारी सरकार कभी भी आयोजनेतर व्यय को बढ़ाने का कार्य नहीं करती है। यह सरकार निरंतर 1980 से इस प्रकार खर्च में वृद्धि करती जा रही है उसके पहले की सरकार के मुकाबले में आयोजनेतर व्यय बढ़ता जा रहा है। कहीं भी बजट के 12 प्रतिशत से अधिक अनुपूरक अनुदानों के रूप में नहीं मांगा जाता है। लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि यह 35 प्रतिशत कुल बजट का सप्लीमेंटरी के रूप में मांग रहे हैं। पिछले वर्ष माननीय तिवारी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था वह 54 सौ करोड़ का था और आज 19 सौ करोड़ अनुपूरक अनुदान के रूप में ला रहे हैं जो 35 फीसदी होता है। बजट का 12 प्रतिशत से ज्यादा किसी अच्छी सरकार को अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत नहीं करना चाहिये। इतना ही नहीं इसमें अनावश्यक खर्च बढ़ाने का काम किया गया है जिनको टाला जा सकता था जो खर्च आवश्यक नहीं थे उनको बढ़ाने का काम इसमें किया गया है। इस सरकार का वित्तीय नियंत्रण प्रशासन पर नहीं रह गया है जिनके कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है, इनके अधिकारियों पर इनका अंकुश नहीं रह गया है। जिन खर्चों को रोका जा सकता था यह नहीं रोक पाये। पिछले सत्र में भी इस बात पर बल दिया गया था और कहा गया था कि लाभकारी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और कहा था कि आयोजनेतर व्यय कम करेंगे लेकिन वह वह नहीं कर सके। इसका कारण यह भी है कि हमारी बहुत बड़ी पूंजी निगमों में लगी हुई है जो साढ़े 46 अरब करीब होती है जिससे लाभ होना चाहिये था 5 सौ करोड़ का लेकिन यह निगम हमें साढ़े 5 सौ करोड़ की चपत प्रतिवर्ष लगा रहे हैं। इतना बड़ी पूंजी इस गरीब प्रदेश की इनमें लगी हुई है और इनकी दयनीय स्थिति है, यह निरंतर घाटे में जा रहे हैं जिसमें 110 आई० ए० एस० अधिकारी जुड़े हुये हैं जिनका प्रबन्ध इनके हाथों में है। जहां पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारियों में तालमेल नहीं होगा वहां यही स्थिति हमेशा रहेगी। आप इन पर जिम्मेदारी छोड़ दीजिये और कहिये कि यदि आपकी यूनिट घाटे में चलेगी तो इसका दायित्व आप पर होगा और उसके लिये दंडित किया जायेगा।

इसी तरह साढ़े 12 करोड़ रुपया सहकारिता के लिये अनुपूरक अनुदानों में मांगा गया है। सहकारिता विभाग ने अभी तक चुनाव नहीं कराये। अभी इसी सत्र में सैकड़ों फर्जी बनकर समितियों का मामला उठा था तथा फर्जी उद्योग सहकारी समितियों के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया कि 7 सौ से अधिक ऐसी समितियां चल रही हैं तो क्या यह रुपया भी उन पर ही बरबाद किया जायेगा।

इसी तरह निगमों में आज जहां मैनेजमेंट अधिकारियों की आवश्यकता है वहां प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं। मैनेजमेंट अधिकारी होते तो उनको दायित्व सौंपा जाता कि उनका कोई भी उद्योग घाटे में होगा तो उनको जिम्मेदारी होगी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर जब पता चलता है कि निगम में घाटा है तो वहां से हटकर यह दूसरी जगह बैठे होते हैं। मान्यवर, आज निगमों की स्थिति है कि वह महंगाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चूंकि निगम उत्पादन से सम्बन्धित हैं, इसलिये जब उत्पादन में कमी होगी तो महंगाई

बढ़ेगी। आप देखें कि प्रदेश के निगमों में कुल साढ़े 46 अरब रुपये की पूंजी लगी है, उसमें अकेले 34 अरब 34 करोड़ रुपये विद्युत् परिषद् में लगे हैं। निगमों में घाटे को देखें तो कुल घाटा साढ़े 11 अरब है जिनमें साढ़े 8 अरब रुपये का घाटा केवल विद्युत् परिषद् में है। इसके बावजूद भी विद्युत् परिषद् को सवा चार अरब रुपये देने जा रहे हैं, तो इसका क्या औचित्य है ? जबकि विद्युत् परिषद् की प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा स्थिति को सुधारने का काम होना चाहिए था वरना निरन्तर घाटा बढ़ता जायेगा और फिर आप जनता पर नये कर लगाते जायेंगे। मान्यवर, आप विद्युत् परिषद् की नियमावली के नियम 61 को देखें जिसमें लिखा हुआ है कि एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेंट यानि वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को फरवरी माह में पेश करेगा जो कि प्रेस्क्राइब्ड फार्म में होता यथा उसमें आगामी वर्ष में बोर्ड में कितना खर्च होगा, कितनी पूंजी है, कितनी आय राजस्व से होगी, इससे राज्य सरकार को वह अवगत करायेगा। परन्तु यह प्रतिवेदन कभी भी सरकार के समक्ष समय से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसी प्रकार सूचना विभाग के बजट में आप देखें कि 83 लाख 21 हजार रुपये का अनुपूरक अनुदान देने का काम किया गया है और मैं बताना चाहता हूं कि सूचना विभाग ने केवल 3 लाख रुपये लेई पर खर्च किया जो फर्जी है। मैं पूछना चाहता हूं कि पोस्टर चिपकाने हेतु इतनी लेई क्यों बनायी गयी। कापियां छापी गयीं, कितनी छपी किसको वितरित की गयीं उसका कोई हिसाब नहीं है, वितरण का क्या मानक था, कोई हिसाब नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग आज उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग न होकर मात्र कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार विभाग हो गया है और फिर भी उसको वित्तीय अनुदान देने जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इनको जनता पार्टी के शासनकाल से प्रेरणा लेना चाहिए कि वर्ष 1977 से 1980 के बीच में एक मानक बनाने का काम किया गया था कि आयोजनेत्तर खर्चों को रोका गया जो कि 265 करोड़ 67 लाख रुपये सालाना के हिसाब से बढ़ा था। लेकिन इनके शासनकाल में, कांग्रेस के शासन में, 1984 से 1986 के बीच प्रति वर्ष आयोजनेत्तर खर्च 1322 करोड़ के हिसाब से बढ़ गये हैं, जो जनता पार्टी के शासन से पांच गुना अधिक है। तो यह कैसी सरकार है।

मान्यवर, आप जनता शासन काल के कामों को देखें तो गांवों में सड़कें बनीं, स्कूल बने जिनका फसला स्वयं जनता कर सकती है कि कितने विकास के काम जनता शासन में हुये और कितने कांग्रेस सरकार के समय में हुये हैं।

इसलिये आप इन आयोजनेत्तर खर्चों में कमी करने का काम करें और योजनागत खर्च करने का काम करें। मान्यवर, गन्ना विकास के लिये 64 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान के रूप में मांग किया है। गन्ना विकास की अनुदान

संख्या 12-13 को देखें तो मोटरगाड़ियों की खरीद, अनुरक्षण, पेट्रोल एवं महंगाई भत्ते पर ही अधिकांश खर्च किया गया है। इसलिये जो निगम महंगाई पैदा करने का काम करते हैं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते के नाम पर इतना खर्च करना अनुचित है।

निगमों ने सारे अनावश्यक खर्चे का बढ़ाने का काम किया है किया है। इस प्रकार इन्होंने वित्तीय अनुशासन-हीनता कायम करने का काम नहीं कर में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि वित्तीय अनुशासन कायम हो। आज सरकार का कोई वित्तीय अनुशासन अपने अधिकारियों पर नहीं रह गया है। यह नौकरशाह मनमाने ढंग से खर्च करने का कार्य करते हैं। उसके फलस्वरूप करों का बोझ जनता पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। 6 अक्तूबर, 1985 को मुख्य मंत्री जी ने, जब वह मुख्य मंत्री बने थे, एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि 9 महीने के अन्तर सभी विभागाध्यक्षों को अपना लक्ष्य पूरा करना होगा, वो लक्ष्य पूरा नहीं करेगा, उस अधिकारी को दंडित किया जायेगा। किन्तु यह 9 महीने तक तो बजट का पैसा ही जिलों में नहीं पहुंचा सके हैं, फिर काम कब होगा। रिछारिया जी इस डिबेट का जवाब देंगे, वह अपने जवाब में यह बताएं कि जो पैसा जिलों को नहीं पहुंचाया गया है, उसके लिए क्या वह उच्चाधिकारियों को दंडित करने का कार्य करेंगे। जो सरकार निकम्मी और भ्रष्ट अधिकारियों को दंड नहीं दे सकती है, अनियमितताएं करने वाले को दंडित नहीं कर सकती है, वह सरकार कभी जनहित में काम नहीं कर सकती है। स्थिति यह है कि अब मार्च चल रहा है 1986-87 का बजट पास हो रहा है, लेकिन अभी 1985-86 के बजट का ही पैसा सभी जिलों में नहीं पहुंचा है। अब जब पहुंचेगा तो कल ठेका होगा, कब सड़कों का निर्माण होगा? यह नहीं होगा और मार्च के अन्त में सब फर्जी बाउचर्स बनेंगे तथा ठेकेदारों और इंजीनियर्स की चांदी हो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी यह सारा पैसा खा जायेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि कम से कम आप इस साल तो जल्दी से जल्दी जिलों को बजट का पैसा पहुंचा दें, ताकि समय रहते जनहित में और विकास कार्यों में उसका सही सदुपयोग हो सके। आपने 5 अरब 04 लाख रुपया मांगा है। निरन्तर अनुपूरक मांग मांगने की क्या आवश्यकता है? यही इनकी कथनी और करनी में अन्तर है, जब बजट पेश करें तो लाभ का बजट रखें उसके बाद आप एक दम से 19 अरब का सप्लीमेन्ट्री बजट रखते हैं। संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा धनराशि का यह उत्तर प्रदेश का सप्लीमेन्ट्री बजट है। योजनागत खर्चों के लिए लेने का काम किया होता तो सारे सदस्य गम्भीरता से विचार करते, लेकिन महज फिजूलखर्ची पर यह खर्च किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री लाल प्रताप सिंह—

हमारे सामने से राम सरन दास जी और गुप्त जी चले गये, माननीय रामसरन जी ने मनोरंजन पैदा किया....

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—.

वास्तविकता से अवगत कराया है।

श्री लाल प्रताप सिंह—

यहां पर अवधी भाषा की एक बात, एक कहावत मुझे यहां पर याद आती है— नदी बही जाए, कलवारी छाती पीटे, यानी सरकार अच्छी काम कर रही है और वह यह देख नहीं पा रहे हैं, इनमें वह देखते बनता नहीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रैक्टिकल अर्थात् व्यवहारिक काम होते हैं, कभी कभी वह चीजें आ जाती हैं, जिनको हम पूर्वाभास नहीं कर सकते हैं, जो आकस्मिक आ जाते हैं। कभी-कभी ऐसे खर्चे जो एक दम से बहुत आवश्यक आ जाते हैं, उनको करना पड़ता है इन्हीं सब कामों को करने के लिए अनुपूरक बजट पेश करने की आवश्यकता पड़ती है। जहां कहीं भी हमारे देश के समान शासन प्रणाली है यूरोप और अमेरिका में भी ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों को मीट करने के लिए अनुपूरक बजट हमेशा पेश किये गये हैं और पेश करते रहेंगे। अभी माननीय गुप्ता जी ने बहुत सी बातें कही कि अनुपूरक बजट सबके सब दलीय हित में पेश किए गये हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दलीय हित कोई एक आप बताइए तो सही। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आज शिक्षा के नाम पर प्रोपगंडा यानी शिक्षा का बानर प्रोपगंडा ने ले लिया है, जो भी बात होगी, चाहे कितना ही सही बात हो, लेकिन उसको प्रोपगंडे के रूप में ही सामने लायी जायेगी, यह उचित नहीं है। अभी केन्द्रीय सरकार ने बोनस तय कर दिया, तो यह अलग से एक भार आया तो फिर उसको हमको कहीं से मीट करना ही होगा, इसलिए अनुपूरक मांग तो आयेगी ही। इस प्रकार की आकस्मिक स्थिति जो सामने आ जाती हैं, उसके लिए तो सरकार कुछ न कुछ करेगी ही। इसी प्रकार से पेट्रोलियम के दाम बढ़े, जब दाम बढ़े, तो खर्चा भी बढ़ा और जब खर्च बढ़ेगा तो अनुपूरक मांगे अवश्य रखी ही जायेंगी, इसमें कौन सी गलत बात है, और अभी जैसा कि माननीय वाजपेई जी ने टीचर्स के बारे में कहा, अब इनके बारे में भी हम अलग से अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करनी ही पड़ेंगी और माननीय गुप्ता जी कह रहे हैं कि ग्रांट नहीं मिलती है, इसलिए अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं है। आकस्मिक जरूरत सामने आयी, खर्चे हुए या खर्चे बढ़े, तभी अनुपूरक मांगें सम्मिलित की जाती हैं और जो सारी की मांगे अनुपूरक बजट के अन्तर्गत रखी गयी हैं, उसको माननीय मंत्री जी ने, जो स्वयं बड़े योग्य हैं, उसी योग्यता के साथ अलग-अलग खर्चे बताए और कहां-कहां, किन-किन चीजों की आवश्यकता पड़ी और कहां क्या विकास करना है और कहां ऐसी परिस्थितियां हैं या भविष्य में आ सकती हैं और उसे हमें पूरा करना होगा, सारी बातें सामने रखीं कि क्यों हम अनुपूरक

मांगे रख रहे हैं । तो इसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए थी कि यह सरकार अनुपूरक मांगें आवश्यकतानुसार लाकर प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहती है । इसके अलावा एक भी बात माननीय राम सरन जी व माननीय गुप्ता जी ने ऐसी नहीं बताई या कोई ऐसे सुझाव नहीं दिए जो रचनात्मक होते और उनसे हमें अपनी विकास की गति में सहायता मिलती, केवल प्रोपगंडे को ही सामने रखकर सारी बातें कहीं गयीं और अभी-अभी पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहीं गयीं, जिनके कहने की यहां जरूरत नहीं थी । इसलिए मैं बहुत ही साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर जरूरत होगी तो सख्त कानून बनेंगे और सख्त से सख्त कदम भी उठाए जायेंगे । और अगर आपका इरादा है कि इस देश और प्रदेश को प्रगति के पथ पर लाएं तो हमको माडर्न बनना पड़ेगा, आधुनिक बनना अवश्य पड़ेगा, लेकिन इसमें कठिनाईयां बहुत हैं और विरोध पक्ष बराबर हर मसले पर कठिनाईयां ही पैदा करता आ रहा है, और करता रहा है, विरोध आपने आज ही नहीं, हर मौके पर किया है, चाहे राज्यों के अधिष्ठाता का सम्मेलन हो, चाहे राष्ट्र मण्डल का सम्मेलन हो, हर जगह आपने विरोध किया है, केवल विरोध पक्ष में होने की वजह से विरोध करने का हक अदा किया है, प्रोपगंडा किया है, हकीकत को नहीं देखा है । यहां तक दिल्ली में ओलम्पिक खेल हुए इस खेल पर भी आपने विरोध किया, टेलीवीजन पर भी आप विरोध करते हैं यह हमारी साईन्स की एक उपलब्धि है, खासकर बूढ़ी महिलाएं जब पान खाना मनोरंजन की दृष्टि से इसे देखती हैं बच्चों को गोद में लेकर, तो स्वयं में कितना मनोरंजक होता है । इस पर भी आप विरोध करते हैं । तो मैं आपके केवल यह पूछना चाहता हूं कि दुनिया में आखिर कौन सी चीज है, जिस पर आपको विरोध नहीं है और कौन सी अच्छी चीज आपको दुनिया में नजर आती है, वही बता दीजिए, या केवल कुएं में जाना ही आपको अच्छा लगता है ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय राम सरन दास जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री गोपाल दास यादव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज अनुपूरक बजट पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । अभी माननीय सदस्य जो अनुपूरक बजट के बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन आज 20 तारीख है और 31 मार्च, जो है, अब केवल 11 दिन है, मान्यवर, जब अनुपूरक बजट लाना था, तो यह दिसम्बर के महीने में पास करवा सकते थे । यहां पर यह बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि आज अनुपूरक बजट जो है, केवल फारमल्टीज के तौर पर पास कराया जा रहा है और जो गरीब जनता का पैसा है, वह फजूल खर्ची की तरफ पानी की तरह बहा दिया जायगा । मैं मान्यवर, खेल-कूद के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, खेल-कूद जैसा कि आपको मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है और इस मद में 23,11,000 रुपये की धनराशि अनुपूरक अनुदान के रूप में मांगी गयी है । अब आप देखें कि आपके उत्तर प्रदेश का खेल-कूद का एसोसियेशन जो है, वह एक प्राइवेट संस्था है, जोकि पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जाता है । इस संस्था को कानपुर के कुछ पूंजीपति चलाते हैं । इस मद का जो पैसा है, वह ज्यादातर फजूलखर्ची में चला जाता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब

वहां पर टेस्ट मैच होता है, कानपुर में तो वहां पर बहुत भीड़-भाड़ हो जाती है और जो अनुदान का पैसा होता है, वह फजूल खर्ची में निकल जाता है। अगर वहां पर मैच देखने वालों पर टिकट लगा दिया जाय, तो इतनी भीड़-भाड़ भी नहीं होगी और अच्छा खासा पैसा उस टिकट से आ सकता है और आपको अनुदान देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मान्यवर, यह जो रुपया आप खेल-कूद के नाम पर करोड़ों की तादाद में देते हैं, उसे बीच वाले लोग खा जाते हैं। दूसरा खेल है मान्यवर, यू0 पी0 ओलम्पिक। यह भी एक प्राइवेट संस्था है। लेकिन सरकार इसको अनुदान देती है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष यह ओलम्पिक खेल का आयोजन एसोसियेशन की तरफ से हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर 20 खेलों का आयोजन हुआ था। लेकिन उस खेल में जो लोग आये थे, वे राष्ट्रीय स्तर के नहीं आये थे। यह जो आप करोड़ों रुपये इस खेल पर एक-दो जिलों में खर्च करते हैं, अगर आप इस खेल के मद में एक-एक लाख रुपया 56 जिलों में दे दीजिये, तो अन्य जिलों का स्तर बढ़ जाता। मान्यवर, यह खेल-कूद के नाम पर पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह नहीं करना चाहिए था।

अब मैं मान्यवर, आबकारी के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। मान्यवर, आबकारी के अन्दर करीब 20 करोड़ रुपया बकाया है और आज उसकी वसूली नहीं हो रही है। साल्वेन्सी उन लोगों के नाम पर है, जो ठेकेदारों के यहां पर शराब नापने का काम करते हैं और ये बड़े-बड़े अधिकारी उनके नाम पर उन्हें साल्वेन्सी करवा देते हैं। उनके नाम पर जो बड़े-बड़े कर्ज होते हैं, वह माफ कर दिये जाते हैं। तो मान्यवर, यह जो अनुपूरक अनुदान है, यह गरीबों की गाढ़ी-कमाई का पैसा जो है यह फजूल खर्ची के तौर पर, उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह अनुपूरक अनुदान न दिया जाय। मान्यवर, यह जो अनुपूरक अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी लाये हुए हैं, इसको समाप्त करें।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय लाल प्रताप सिंह के भाषण के बाद मैं तो आवश्यकता नहीं समझता था कि और कोई बात किसी माननीय सदस्य को कहने की गुंजाइश रह गयी है। मान्यवर, विरोधी पक्ष की तरफ से कटौती का प्रस्ताव तो आयेगा ही, वह चाहते हैं कि मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय और वह यह भी चाहते हैं कि सब जगह पर चिकित्सालय बन जायं, सारी सड़कें बन जायं, सारा स्टाफ भी पूरा रहे और पुलिस की व्यवस्था भी ठीक रहे। तो वह कौन सा तरीका होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता कि एक रुपये में सारी उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सड़कों की भारी कमी है। यह तो खैर थोड़ी सी बात है। अगर हम 100 वर्ष तक कोशिश करते रहें और अपने सीमित साधनों से सड़कों का निर्माण करते रहें, तो सारा बजट खर्च हो जायगा और सभी सड़कें नहीं बन पायेंगी।

[3 बजकर 20 मिनट]

सरकार ने एक करोड़ रु0 सड़कों के सम्पर्क मार्गों के लिए रखा। कोई भी आदमी इसको अनुचित कैसे कह सकता है। मैं तो कहूंगा कि 10 करोड़ रु0 का प्राविधान करना चाहिए था। इसी तरीके से चीनी मिलों के लिए है। रात दिन मेरे विरोधी मित्र शोर मचाते हैं कि चीनी मिलें समय पर भुगतान नहीं करती हैं, सही भुगतान नहीं करती हैं। सरकार ने एक करोड़ 94 लाख रु0 उनकी अंश पूंजी में विनियोजित कर दिया तब भी आपके लिए आपत्ति का विषय हो गया। मान्यवर, विकास के लिए कहा जाता है कि इन सारी चीजों को किया जाय, पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र का विकास किया जाय और प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाय फिर भी विरोध किया जाता

है। मुझे समझ में नहीं आता कि वह कौन सा कारण है और वह कौन सी सरकार होगी, ईश्वर का बनाया ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो इनकी इच्छा को भी पूरी कर दे, समाज की आवश्यकता को भी पूरी कर दे और बिना पैसे खर्च हुए सारे काम होते रहें। इसी तरह से मान्यवर, सिंचाई कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि नये स्रोत न हों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुविधायें हैं लेकिन वह भी पूरी नहीं हैं। अच्छी सिंचाई के लिए नई नहरें बनानी पड़ेंगी, नये ट्यूबवेल लगाने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि बिजली की कमी है और बिजली का अगर अधिक उत्पादन करना होगा तो अवश्य ही उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए मंत्री को भी व्यवस्था करनी होगी फिर जैसा कि माननीय लाल प्रताप जी ने कहा है कि क्या हम सोचते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, क्या हम सोचते थे कि महंगाई बढ़ेगी और अगर उनके लिए पैसे का प्रबन्ध न किया जाय तो कहेंगे कि सरकार दिवालिया हो गई। सरकार के पास साधन नहीं हैं इसलिए हमें अनुपूरक अनुदानों को लाना पड़ता है। कोई भी सरकार यह नहीं कह सकती कि 365 दिन के बाद उसकी पूरी आवश्यकतायें क्या होंगी, कितना रुपया उसको लगाना होगा, कितना खर्च होगा, इसका पूरा-पूरा अनुमान लगा ले। कुछ तो फेर-बदल होता ही रहता है इसलिए मैं पुरजोर शब्दों के साथ अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग के कारण ही अनुपूरक बजट लाया जाता है। वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग के बारे कुछ बातें मैं अपने गृह जनपद के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मान्यवर, इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री मारकंडे चन्द्र और श्री राम अवध को मुख्य मंत्री कोष से इन गरीब लोगों को, जिनके पास बड़े-बड़े मकान हैं, उनको 5 हजार रु० किराया मिलता है, उनको 5 हजार और 3 हजार रु० मुख्य मंत्री कोष से दवा के लिये दिया गया है। मान्यवर, वित्तीय संसाधनों का जिस तरह से दुरुपयोग किया जाता है यह आप देखें, श्री वीर बहादुर सिंह जो कि मुख्य मंत्री हैं और नेता सदन हैं उन्होंने अपने निजी फार्म में, अपने निजी ट्यूबवेल को अर्बन फीडर से कनेक्ट किया है। मुख्य मंत्री आवास पर 2 लाख 65 हजार रु० का खाना गया है सिर्फ एक होटल से लखनऊ के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बैंक की शाखायें जो घाटों पर चल रही हैं [×××]

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी, परिवार के लोगों को कुछ न कहें, जो कहना है सरकार को कहें। परिवार के लोगों को बिल्कुल न कहें। परिवार के लोगों की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री हरिशंकर तिवारी—

152 पेज पर आप देखें। गोरखपुर में राष्ट्रीय एलोपैथिक चिकित्सालय, हरनई के भवन निर्माण हेतु 8 लाख 64 हजार 600 रुपये दिया गया है, गोरखपुर में मेडिकल कालेज है, उसकी सीवर लाइन जाम है, गन्दगी इतनी फैली हुई है कि मरीजों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। छात्र-छात्राओं को रहने के लिये कोई जगह नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर उधर देख लिये होते तो अच्छा होता। जो रुपया उस गांव के अस्पताल पर दे रहे हैं, अगर उसको उस मेडिकल कालेज पर खर्च किया जाता तो जनता को बहुत राहत होती। आप देखें कि किस प्रकार से वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। स्कूलों के जर्जर भवन

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। गोरखपुर जनपद में 4 करोड़ 78 लाख रुपये का बेसिक शिक्षा अधिकारी ने घपला किया है। मैं चक नम्बर तक दे सकता हूं। 13 लाख 53 हजार 51 रुपये का फर्जी टाट-पट्टी और लोटा बाल्टी की खरीद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया है। आप देखें कि किस प्रकार से वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। गोरखपुर में जो हरिजन हैं उनकी जमीन को किस प्रकार से लिया जा रहा है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था, वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भूमि हड़पो और स्कूल हड़पो का नया सूत्र चलाया है, यानी 21 सूत्र हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय पूरा हो गया आप बैठें।

श्री हरिशंकर तिवारी--

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मैं आपका आभारी हूं और आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों पर बोलने का मौका दिया। मैं इसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। मान्यवर, अनुपूरक अनुदान इस बात का द्योतक है कि हमारे विरोधी दल के लोग इससे सहमत हैं, जिस माननीय विधायक ने आलोचना कराया, आलोचना का प्रस्ताव रखवाया है, राम सरन दास जी को पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। जो इन्होंने आलोचना का प्रस्ताव रखा है, इससे मालूम होता है कि विपक्ष इस बारे में सचेत व गम्भीर नहीं था। विपक्ष इन मांगों से सहमत है। मौन स्वीकृति दे दी है अनुपूरक मांगों को। मैं 2-3 बात और कहना चाहूंगा। हमारे सामने जो बातें रखी गयी हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे गुप्ता जी हों या राम सरन दास जी हों यह तो एक दिन का बजट नहीं बना सकते हैं, साल भर की तो बात छोड़िये। साल भर में 365 दिन में आंकड़ों में जितना फर्क पड़ जायेगा, इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है। महंगाई बढ़ी और मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई, अगर सरकार बढ़ी हुई मजदूरी न दिलाये तो आप विरोधी दल आन्दोलन करवा देंगे, रास्ता रोको आन्दोलन करा देंगे। आप कहेंगे सरकार पूरी मजदूरी नहीं दे रही है। मान्यवर, आप गन्ना का मामला ले लीजिये। गन्ने का पेमेंट इस साल अप-टू-डेट चल रहा है। इनको तकलीफ है कि गन्ने का पेमेंट क्यों ठीक चल रहा है, इनको एक मौका आन्दोलन करने का मिलता उसको सरकार ने गड़बड़ कर दिया गन्ना मूल्य देकर। जब श्रद्धेय राम सरन जी आलोचना कर रहे थे तो कानून व्यवस्था में फिजूल-खर्ची पर लम्बा-चौड़ी बात कही। अगर हिन्दुस्तान के इतिहास को कभी उल्टा जायेगा, तो हरिजनों को वोट देने का जो अधिकार लोकतंत्र में मिला था उसका हनन कर बूथ कैपचरिंग करके चुनाव जीतने का काम किसने शुरू किया? तो मान्यवर, उसके जवाब में भी शायद दल के संस्थापक का ही नाम आये। यह इस बात का द्योतक है कि हरिजनों के लिये हम इतने सचेत हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा करें। उनके लिये पुलिस दल को मजबूत बनाया है। उनके लिये पुलिस को साधन सम्पन्न कर रहे हैं। इन सब चीजों के लिये कहीं से तो पैसा चाहिये। आखिर में मैं एक बात चाहूंगा कि अनुपूरक अनुदानें इस बात की द्योतक हैं कि सरकार जितना ज्यादा काम कर रही है। सरकार जितना ज्यादा प्रगति का काम करेगी, उतना ही ज्यादा अनुपूरक अनुदानों की मांगें होंगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जितनी विरोधी दल के लोगों ने आलोचना की है अनुपूरक अनुदानों की, वे बतायें कि अनुपूरक अनुदानें कितनी हैं, उसके आंकड़े दे दें तो मैं मान लूंगा। मान्यवर, आप प्रशंसा करेंगे कि इस बार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जिला परिषद् की

सड़कों के लिये मरम्मत का प्राविधान पहली बार किया गया है। जिन प्राइमरी पाठशालाओं के लिये यह घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनकी मरम्मत के लिये प्राविधान किया है। मान्यवर, ऐसे-ऐसे काम हुए हैं। आप 1977 से 1980 तक उठाकर देख लें, जितनी सड़कें बनी हैं, केवल कागज पर बनी हैं और कांग्रेस ने 1980 से 1985 के बीच जमीन पर सड़कें बनाई हैं। इसलिये इन अनुपूरक अनुदानों का महत्व है। इसलिये राम सरन दास जी से निवेदन करूंगा कि यह जो अनुदानें हैं, उस पर आलोचना का प्रस्ताव वापस ले लें। आखीर में मैं आपका एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, सप्लीमेंटरी बजट लाने और फिर दो किस्तों में लाने के पिछले साल के बजट का दुरुपयोग हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई निकम्मी सरकार जो दिवालिया हो जाती है, वही सप्लीमेंटरी बजट की मांग करती है। यह पैसा इनका पैसा नहीं है, मान्यवर, कहीं केन्द्र सरकार का पैसा है, कहीं नीदरलैंड का पैसा है, कहीं बेल्जियम का पैसा है, कहीं बिडला का एल्मूनियम का पैसा है, कहीं काले धन का पैसा है। इनका पैसा नहीं है। लेकिन इनके अफसर फिजूलखर्ची और मंत्रियों की साज-सज्जा के लिये इन्होंने अनुपूरक अनुदानों की मांगें पेश की हैं। न इनके अन्दर चमड़े का सिक्का चलाने का दम है। जो भी विभाग अनुपूरक मांग रखता है, कहता है दैवी आपदा हो गयी, स्काई लैब गिर गया है, नसबन्दी का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, पुष्टाहार नहीं हो रहा है। पांच हार्स पावर बिजली माफी के लिये हो रहा है। ऐसी सरकार में दम नहीं है। मालूम होता है कि बिजली विभाग के पास जो बकाया है, वह विभाग घाटे में चल रहा है, लेकिन सरकार में दम नहीं है कि अधिक उत्पादन कराये। वह दम सरकार में कभी नहीं आया कि पांच हार्स पावर या उससे अधिक उत्पादन वाले के लिये कम से कम बिजली माफी दें। इनकी योजनाएं ऐसी चल रही हैं। टेहरी गढ़वाल परियोजना करोड़ों की परियोजना है, उस पर खर्च नहीं करेंगे। लेकिन आयोजनेत्तर, प्लान, डिजाइन, नक्शा ऐसी चीजों के लिये अनुपूरक अनुदान लाना चाहते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि पिछले साल का जो बजट या नारायण दत्त तिवारी के समय में जो पास हुआ था, वह कई जगह तो जिलों में गया ही नहीं। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि यह बजट किसी जगह ठीक से गया नहीं। अस्पताल बनना था, मुख्य मंत्री आ गये। पिछला बजट किसी विभाग के लिये गया ही नहीं। पता नहीं जनरल मैनेजर स्पेशल काम्पोनेंट प्लान देखते हैं, हरिजनों के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं है जो व्यवहारिक हो। चीनी नहीं मिलेगी, शराब जरूर मिलेगी, होली के पहले। यह इनकी सरकार का नजरिया है। दूरबीन के नाम पर पैसा खर्च करेंगे, खुद नहीं बनायेंगे। दूरबीन से नसबन्दी करने का प्रोग्राम इनका चल रहा है। जहां नसबन्दी होगी, वहां बिजली नहीं होगी। अस्पतालों में यह स्थिति है दवा नहीं मिलती है। फिर यह सप्लीमेंटरी अनुदान अस्पतालों के लिये क्यों ले आये? मान्यवर, रोटी, कपड़ा, मकान और दवा यह जनमानस की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। एक-एक विभाग सप्लीमेंटरी अनुदान मांगता है। मान्यवर, इनके निगमों की जो स्थिति है, उससे पूरा सदन अवगत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो निगम घाटे में होंगे, उनमें सुधार कर नियंत्रण कर उनका घाटा दूर करेंगे। सीमेन्ट कारपोरेशन घाटे में है। मान्यवर, 54 कारपोरेशन में से ज्यादातर निगम घाटे में चल रहे हैं। वहां बैठे आई0 ए0 एस0 मौज मार रहे हैं। क्या आप उस पर पुनः पैसा देने जा रहे हैं। रिछारिया जी जब जवाब दें, इसको बतायें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, प्रदेश में एक आदमी की औसत आमदनी बिड़ला के अल्मुनियम के सिक्के की स्थिति में मात्र 90 रु0 से ज्यादा नहीं है। आप सोचें 90 रु0 में आदमी क्या खायेगा, क्या पहनेगा। दरिद्रता की रेखा 45 प्रतिशत से ऊपर बढ़ती जा रही है। जब से इनकी सरकार आयी है, कांग्रेस की सरकार आयी, बराबर दरिद्रता बढ़ती जा रही है। डाक्टर लोहिया ने भी पार्लियामेंट में इस पर अपनी बहस में कहा था। रुपये का अवमूल्यन बिड़ला के अल्मुनियम के सिक्के की स्थिति में 3 आने या 20 पैसे के बराबर रह गया है। पैसे का यह अवमूल्यन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में काले जाली नोट चल रहे हैं, बनारस में चल रहे हैं, गोरखपुर में चल रहे हैं। तरह-तरह से नयी-नयी करेन्सी छाप दी जाती है। (इस समय 3 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए) रोज नये नये 2 रु0 के, 5 रु0 10 रु0 के नोट छप रहे हैं, क्या कलकत्ता इसको छापता है, या दिल्ली छापता है। उ0 प्र0 में धड़ल्ले से यह नये जाली नोट चल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप विराजें।

श्री यदुनाथ सिंह--

आप इस तरह की अनुदानें लाकर जो प्रदेश की जनता की किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसको ले रहे हैं और अफसरों की मौज मस्ती के लिए छोड़ रहे हैं। आप यदि किसान हितैषी बनना चाहते हैं, तो इसमें कोई योजनाएं लाते उनके लिये अनुदान मांगते।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप विराजें माननीय यदुनाथ जी।

श्री यदुनाथ सिंह--

आप घोषित करें कि जो 6 हार्स पावर की बिजली ट्यूबवेल को अलग से ले रखी है, उस पर मालगुजारी आदि न लें घोषणा करें, जो निजी बिजली कनेक्शन है। इन्हीं शब्दों के साथ जो आप सप्लीमेंटरी ला रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री बद्री सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक मांगें यहां पेश की हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और जो माननीय राम सरन जी ने यहां पर बातें रखी हैं, मैं घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि यदि कोई कल्याणकारी बात यहां पर रखी जाती है, कल्याणकारी बजट रखा जाता है, तो उसका भी विरोध पक्ष के बैठे हुए लोग हर रूप में विरोध करते हैं कटौती का प्रस्ताव आदि लाकर। मान्यवर, मुझे इस सम्बन्ध में एक किस्सा याद आ गया, उसे मैं बताना चाहता हूं। एक साहब थे, उन्होंने कोई कसूर किया। पूरे गांव ने यह तय किया कि इसकी पंचायत की जाय और उसमें फैसला लिया जाय कि कसूर किसका है। पूरे गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, सारे पंच इकट्ठे हुए और सारे पंचों ने एक स्वर से यह निर्णय लिया कि आपका दोष है, आपको दंड देना चाहिये। वह साहब अपने घर पहुंचे। उनकी श्रीमती जी ने उनसे पूछा कि पंचायत ने क्या फैसला किया किसी की जीत हुई? उन्होंने कहा मेरी, पत्नी ने कहा कैसे, तो उन साहब ने कहा कि सबने अपनी इस लिए कहा लेकिन मैंने किसी की न मानी इसलिये मेरी जीत हुई। यही हाल हमारे इस पक्ष के बैठे हुए लोगों का है। कोई बात

कही जायेगी, चाहे सारे प्रदेश की जनता कह रही हो कि प्रदेश के मुख्य मंत्री जी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन इनकी किसी की बात नहीं माननी है। वही हाल है कि सबकी सुनो, लेकिन किसी की न मानो मैं उस पक्ष के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार द्वारा जो कल्याणकारी बजट दिये गये हैं, वह प्रदेश के हित में हैं, आप लोग प्रदेश के विकास में अपना सहयोग दें। अनुपूरक बजट में जो मांगे पेश की गयी हैं वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं लाना चाहते हैं। एक तरफ तो आप मांग करते हैं कि हमारे उद्योग शून्य जिलों में उद्योग लगाये जायें और उनमें योजनाएं बनायी जायें लेकिन जब हमारी सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्राविधान करती है तो आप उनका विरोध करते हैं। इस प्रकार आपकी दोहरी नीति कैसे चलेगी। हमारे प्रदेश का विकास हो इसके लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी प्रयास कर रहे है। इसके अलावा चाहे वह सिंचाई का मामला हो, चाहे किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान का सवाल हो उन सबके लिए अनुपूरक मांगों में प्राविधान रखा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुपूरक अनुदानों को यदि देखा जाए तो पांच महीने में यही कुल मिलाकर उन्नीस अरब रुपये से भी अधिक हो गया है। इस तरह से देखा जाये तो एक महीने में यह लगभग चार अरब रुपये पड़ता है। यदि मुख्य मंत्री जी का यह मंत्रिमंडल बारह महीने और रहेगा तो इस प्रदेश का बंटाधार हो जायेगा। क्या हालत होगी यह कहना मुश्किल हो जायेगा? इसमें जो तमाम खर्चे दिखाये गये हैं वह इधर-उधर के हैं। खासकर अपनी पार्टी के हित में और कांग्रेस आई0 के जो बड़े-बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं इनके क्षेत्र में खर्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई भी ऐसा मद नहीं है जिसमें यह कहा जाये कि यह मद वाजिब है और जनता के हित में इसका उपयोग किया है। मैंने यहां पर यह भी देखा कि वृन्दावन में एक कुम्भ खोला गया है। पहले ही इतने कुम्भ थे जिनसे हम काफी परेशान हैं। इलाहाबाद में, अयोध्या में चित्रकूट में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं करीब 38 लाख रुपये से भी ज्यादा खर्च हुआ है। फिर जो दूसरे सम्प्रदाय के लोग हैं उनके जो मेले व उर्स लगते हैं चाहे वह मुसलमान हों, चाहे व हरिजन हों और चाहे कोई अन्य उनमें आप क्यों नहीं खर्च करते। आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत धर्म-निरपेक्ष है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आपने इलाहाबाद में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन किया परन्तु उनके नाम पर भी आप लाखों रुपये खा गये। हम लोग मानते हैं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है देश को आजाद करने में और उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है 22 लाख 93 हजार रुपये आपने साल में उन्हें दिये हैं। हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करते आ रहे हैं कि अगर आपको स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति प्रेम है और सम्मान है तो क्यों न आप उन्हें पूरे प्रदेश का बस का पास व रेल का पास फ्री कर देते। आपने जो यह पुस्तक दी है इसमें एक शीर्षक यात्रा-व्यय का दिया हुआ उसमें आपने 1 करोड़ 40 लाख रुपये का खर्चा दिखाया है। पेज नं0 109 है। फ्लड आपरेशन पर भी आपने खर्च किया है लेकिन प्रदेश में दूध किसी को नहीं मिला और तो और जो पोषित आहार मिलता है उसे भी आप हजम कर जाते हैं। आपके जो दुग्ध संघ हैं

उसमें भी आपने लाखों रुपया दिया है। लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपये से भी उसमें ज्यादा दिया है। इसी तरह से आपने यात्रा में 1 करोड़ 40 लाख रु0 से ज्यादा खर्च किया है। इतना ही नहीं, हमारा भूतपूर्व प्रधान मंत्री, जिनकी हत्या हो गयी, जिसके लिये आपके ही लोग जिम्मेदार हैं, उनके नाम पर भी लोगों ने पैसा खा लिया। करीब 564 हजार रु0 दंगा पीड़ितों के लिये लिया, दुनिया भर का लोगों ने खर्च किया है। गुप्त सेवा व्यय के नाम पर 500 हजार रु0 खर्च किया, पता नहीं गुप्त सेवा किसकी है। इसके अलावा आपने एक चूल्हा बनाया है, आपने कहा कि धुंआ रहित चूल्हा बनाया गया है, आपका यह चूल्हा कहां है? हो सकता है सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के घर में पहुंच गया हो, उसमें 1,550 हजार रु0 खर्च कर डाला। आपने चूल्हे के नाम पर भी पैसे का दुरुपयोग किया और आप इसके लिये अनुदान मांग रहे हैं।

राज्य कर्मचारियों के लिये आपने कहा। आपके सचिवालय में राज्य कर्मचारी हैं, उनके रहने के लिये ठिकाना नहीं है, लेकिन आपने पता नहीं कहां बनाया है राज्य कर्मचारियों के लिये आवास। जो छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं, उनके लिये रहने का ठिकाना नहीं है। विधान सभा के पास इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, उसमें अगर बना दें तो छोटी तनख्वाह वाले लोगों को भी रहने का ठिकाना हो जाय। कई जगह स्कूलों के लिये देने की बात है, आप पता नहीं कहां दे रहे हैं। 19 अरब रु0 आप ले रहे हैं, हम लोगों का अनुभव है कि हर जिले में स्कूलों के पास अपने भवन नहीं हैं, बच्चों के पास बैठने के लिये टाट-पट्टी नहीं है और आप यह 19 अरब रु0 ले रहे हैं। सुल्तानपुर में के0एन0डी0 स्कूल के लिये एक लाख रु0 दिये जायेंगे, यह तो मैंने सुना है, गोरखपुर में भी सुना है कि कोई स्कूल है या अस्पताल है, उसमें 20 लाख रु0 खर्च हो रहा है। यह तो वही बात हुई कि "अंधरा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपने को देय", इसलिये सारा जो 19 अरब रु0 का खर्च है, वह अपनी पार्टी के हक में और जो मंत्री हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में, खर्च किये हैं, वह जनता के हित में नहीं है, इसलिये मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं और माननीय राम सरन जी के सुझाव का समर्थन करता हूं।

*मुख्य मंत्री (वीर बहादुर सिंह)---

मान्यवर, अभी यहां पर माननीय सदस्यों ने जो द्वितीय अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उस पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। यह अनुपूरक अनुदान इसलिये प्रस्तुत किये जाते हैं कि जब कभी कोई कार्य करना है और उस काम को करना जरूरी है या ऐसा होता है कि भारत सरकार से जो पैसा मिल जाता है, उस पैसे के लिये पहले मालूम भी नहीं रहता है कि कितना पैसा मिलेगा, कभी सूखा कभी बाढ़, उसके लिये भी सदन को स्वीकृति लेनी पड़ती है। साथ ही साथ महंगाई भत्ता देना पड़ जाता है, उसके लिये भी देना पड़ता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो देखी जायेंगी तो माननीय सदस्यों का भ्रम दूर हो जायगा। जो यहां पर दिखाया गया है। 1393·24 करोड़ रुपया, इसमें यह चीज देखनी है कि ये मद कौन-कौन से हैं, इसमें एक मद है करीब 900 करोड़ रु0 की जो कि रिजर्व बैंक से लेन-देन का लेखा है। हम रेजर्व बैंक से पैसा लेते हैं और जमा करते हैं, फिर लेते हैं और फिर जमा करते हैं, यह हिसाब-किताब देखना होता है और इसे रखना पड़ता है। यह 900 करोड़ निकल गया। इसके अतिरिक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत सरकार से और अन्य स्रोतों से प्राप्तियां हैं 211·9 करोड़ रु0 की। इसमें 92·17 करोड़ रु0 की महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी शामिल है। तो यह सब चीजें हैं जो नान-प्लान की हैं। 105 करोड़ रुपया यह फूड डिपार्टमेन्ट को एडवान्स के रूप में दिया गया है गल्ला आदि खरीदने के लिये यह पैसा एडवान्स में दिया गया है। यह यह भी नान-प्लान है।

कौन-कौन से आइटम ऐसे हैं जो कि आवश्यक थे। राम सरन दास जी कह रहे थे कि यह रुपया पानी में बहा दिया गया। आप देखेंगे कि इसमें और भी हैं कि कर्मचारियों को और शिक्षकों को हमें जो देना था, इसके अलावा भारत सरकार के कर्जे का भुगतान करना पड़ा जो कि हम रोक नहीं सकते थे। 10 करोड़ रु0 स्टेट बैंक के कर्जे का भुगतान किया गया। यह सब चीजें ऐसी हैं जिसके लिये कहा जाता है कि पैसा कहां गया। कहा जाता है कि यह पैसा कहां जायेगा और कहां खर्च होगा।

इसमें दिया हुआ है कि 200·45 करोड़ रुपया को प्लान के लिये रखा गया है इसमें सबसे बड़ी मद है विद्युत् परिषद् की जो कि 46 करोड़ रुपये की है जिससे अनपारा और टांडा की जो योजनायें बनायी जा रही हैं, उसके लिये यह है। वाटर सप्लाई की स्कीम के लिये 18·43 करोड़ रु0 है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने के लिये 3·2 करोड़ रुपया रखा गया है। इसी तरह से शारदा सहायक प्रणाली पर 4 करोड़ रु0 दिया जा रहा है। अगर शारदा सहायक परियोजना का पानी न होता तो आज जो पूर्वान्चल के जिले हैं जिसके लिये कहा जाता था कि यहां पैदावार कम होती है वहां आज शारदा सहायक के बन जाने से पैदावार इतनी बढ़ गयी है कि सरप्लस एरिया बन गया है। इसको ऐसा कह देना कि पानी में फेंका जायेगा, यह ठीक नहीं है।

देहरी की योजना के लिये 18 करोड़ रु0 है और विश्व बैंक की सहायता से 13·00 करोड़ रु0 है। राष्ट्रीय सहायक विकास निगम को 7·18 करोड़ रु0 दिया जा रहा है जो कि बहुत जरूरी है। और भी बहुत सी छोटी-छोटी चीजें हैं बहुत से विभागों की। संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के लिये 5 करोड़ रु0 रखा गया है। संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान यह एशिया का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। हमारे यहां इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इसके लिये हमें जापान से सहायता मिल रही है। यहां जो इक्यूपमेन्ट्स लगेंगे वह जापान से आ रहे हैं 35 करोड़ रुपयों के।

(इस समय 3 बज कर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लगभग 35 करोड़ रुपये के जापान से मिल रहे हैं, तो इतना बड़ा काम हुआ है। बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, कहा गया कि यह रुपया पानी में फेंका गया, तो इसको ठीक नहीं समझता। बहुत से काम हैं, जिनको करना बड़ा आवश्यक है। यह कहा गया कि प्लान और नान-प्लान में जो दिया गया है, यह बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कहा गया कि जो इलाहाबाद में फ्रीडम फाइटर्स का जो सम्मेलन हुआ और जो राजनैतिक पीड़ित थे, उनके लिये कम्बल या चादर दी गयी, उसकी कीमत 450 रुपया है। इनको मालूम भी नहीं है, चादर केवल 150 रुपये की है, 450 रुपये की नहीं है। जब तक जानकारी न कर लें, तब तक कोई बात हाउस में कह देना अच्छी बात नहीं है। सदन में माननीय सदस्यों को जानकारी से बात बोलनी चाहिये। इससे कोई फायदा नहीं है। माननीय सदस्य जो यहां पर आते हैं उनसे आशा की जाती है कि वह चिन्तन करेंगे, मनन करेंगे तब कोई बात यहां पर कहेंगे। सड़क पर चलते हुए सुन लिया और हाउस में कह दिया और कह दिया कि हाउस में बोल दिया है। ऐसा

काम करना चाहिये जिससे हमारे प्रदेश का फायदा होगा जिन काम के लिये जनता ने चुना है, उसे करना चाहिये। यह जो अन्डरटेकिंग्स हैं, इनमें सबसे बड़ा विद्युत् बोर्ड है हमारे लिये बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इतना बड़ा ढांचा है और इससे जो आशा थी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। अभी तक जो इस पर इन्वेस्टमेंट हुआ है वह 4,300 करोड़ रुपये का हुआ और 855·84 करोड़ का घाटा हुआ है। कैसे इसमें सुधार लाया जाये, इस पर हमको सोचना है। मान्यवर, इसी प्रकार से सीमेंट कारपोरेशन, परिवहन निगम और वस्त्र निगम हैं और जो भी सार्वजनिक उद्योग हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा और यही कारण है हम इनकी समीक्षा करा रहे हैं, सुधार कैसे लाया जाये। इसके बारे में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो इसकी समीक्षा कर रही है और जो संस्तुतियां देगी, कि कैसे सुधार हो सकता है, उस पर अमल किया जायेगा। जिस तरह से घाटा हो रहा है, यह बढ़ता रहेगा, तो सरकार सुधार करना चाहती है और काफी काम किया जा रहा है और जो निर्णय लिया जायेगा, उससे जानकारी हो जायेगी। हमारा जो परिव्यय है, वह ज्यादा बिजली पर, सिंचाई पर और जो पीने के पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिये हो रहा है। खासतौर से जो हरिजन और आदिवासी हैं और लोग हैं, जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें उठाने के लिये कठोर कदम उठाया गया है। आप देखेंगे जो हमने परिव्यय रखा है, इस पंचवर्षीय योजना में खासतौर से इस प्रकार के क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा काम करना है, इनमें ज्यादा सफलता मिल रही है, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके लिये हम बहुत से कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उसका अधिक से अधिक पैसा हरिजनों के लिये और आदिवासियों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जो पिछड़े लोग हैं, समाज में सबसे पीछे हैं और कमजोर हैं, उनको उठाने के लिये खर्च किया जा रहा है। विरोधी पक्ष के लोग हरिजनों के नाम पर बहुत सी बातें उठाते रहते हैं। हरिजनों को उठाने वाले आप नहीं और अगर कोई रहा है तो यह कांग्रेस सरकार रही है। जो भी कार्य किया गया है, उसमें उनको काफी राहत मिली है और हम इस ओर तेजी से काम कर रहे हैं। बराबर उठाया जाता है कि उन पर अत्याचार हुये हैं, बहुत से हरिजन मारे जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि यह किस आधार पर बोलते हैं, कोई आंकड़ा है कि इस प्रदेश में कितने हरिजन बसते हैं, कितनी आबादी है और इनमें से कितने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, आपको पता है? मान्यवर, कुल 2 करोड़ 10 लाख हरिजन थे 1978 में और अब उनकी संख्या बढ़कर 2 करोड़ 65 लाख हो गयी। मान्यवर, यह कहा गया कि बड़ा हरिजनों के ऊपर अत्याचार होता है लेकिन माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि आज तक हरिजनों पर जो अत्याचार या अपराध दर्ज हुए प्रति एक लाख पर 18 हरिजन और दूसरे वर्ग के लोगों और जाति के लोगों पर एक लाख पर 190 तो एक लाख पर केवल 18 हरिजनों पर अपराध हुए और दूसरी जाति के लोग या और जाति के लोग हैं, उन पर एक लाख पर 190 तो आप खुद देख लें क्या हो रहा है।

(मेजों की थपथपाहट)

आप इसको तो देखते नहीं हैं और केवल हरिजन-हरिजन करते हैं। तो मान्यवर, कोई बात करिये तो सारे तथ्यों को देखते हुए करिये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यह कहा जाता है कि हरिजनों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक लाख पर 15 से 18, महाराष्ट्र में एक लाख पर 15 से 16, बिहार में

एक लाख पर 15 से 20, गुजरात में एक लाख पर 20 से 25, राजस्थान में एक लाख पर 20 से 30 और मध्य प्रदेश में एक लाख पर 50 से 70 तो यह स्थिति है। बार-बार हाउस में लगातार जब से यह विधान सभा चल रही है रोज कोई न कोई सवाल हरिजनों का उठता है। तो इसलिए मान्यवर, मैंने यह बिन्दु उठाया कि आपको इन तथ्यों की जानकारी हो ताकि भविष्य में जब बोलें तो जानकारी करके बोलें, ऐसे न बोले। खासतौर से माननीय राजेन्द्र गुप्त जी जब बोलते हैं तो लगता है कि बहुत हरिजन प्रेमी हो गये हैं, तथा मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। मान्यवर, यह देखा जा रहा है कि हरिजनों के लिए हर तरह से प्रतिदिन कैसे उनको ऊपर उठाया जाय। उनकी आर्थिक दशा, उनकी सामाजिक दशा और उनकी राजनीतिक दशा सुधारने के लिए और साथ ही साथ आपने देखा होगा जो परिव्यय रखा गया है, हरिजनों को उठाने के लिए रखा गया है उनको बढ़ाने के लिए काम किया गया है।

इसके अलावा मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे शहर हैं, जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहां आज पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या हो गयी है खास तौर से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी पीने की बहुत समस्या है इसलिए हमारा यह प्रयास होगा कि हम पानी पीने की समस्या का समाधान करें और इसलिए काफी आगे हम काम करने जा रहे हैं तभी हम समस्या का समाधान कर पायेंगे। मान्यवर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल ने कल एक बिन्दु उठाया मैंने उसका जवाब इसलिए नहीं दिया, आज जब मैंने अखबार पढ़ा तो उन्होंने कहा कि बहुत मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मान्यवर, आपको अधिकार है कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप है, विधायक के ऊपर, मन्त्री के ऊपर या किसी के ऊपर तो लोकायुक्त के पास जाइये, अपना जो तरीका है वह तरीका इस्तेमाल करिये, जैसा होगा वैसा कार्यवाही किया जायेगा।

मान्यवर, हाउस में आकर किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई बात कहना, मैं कहता हूं कि क्या उनके चरित्र का हनन नहीं होता है। इसलिये मान्यवर, किसी का चरित्र हनन करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होता। वह चाहे कोई भी सदस्य हो....

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें....।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि नेता विरोधी दल ने किसी का नाम नहीं लिया था....

श्री उपाध्यक्ष--

वे कहां नाम ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

(मुख्य मन्त्री के बैठ जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह संसदीय परम्परा है कि जब नेता विरोधी दल बोल रहे हों, नेता सदन बोल रहे हों तो उनके बोलते समय कोई भी माननीय सदस्य रुचि प्रकट कर सकता है, स्पष्टीकरण मांग सकता है। जैसे मैं खड़ा हूं और मुख्य मन्त्री जी ईल्ड कर जाते हैं तो मेरी

बात सुन ली गई। यह आपकी दृष्टि पर भी निर्भर करता है। लेकिन मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किरनपाल सिंह खड़े हुये और मुख्य मन्त्री जी ने ईल्ड नहीं किया तो क्या किसी दूसरे सदस्य को उन्हें टोकने का अधिकार है कि आप बैठ जायं ?

श्री उपाध्यक्ष--

किसी को अधिकार नहीं है, मुझको अधिकार है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि किसी माननीय सदस्य को किसी के बारे में कोई बात कहनी हो तो उसके लिये लोकायुक्त बना हुआ है। आपको पूरा अधिकार है। आप वहां जायं, जांच-पड़ताल करायें।

(श्री भगवान दीन कुशवाहा के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

उसके खिलाफ कार्यवाही अवश्य होगी। यह कहना उचित नहीं है कि फलां मन्त्री भ्रष्ट हैं, फलां मन्त्री अपराधी हैं, ठीक नहीं है। जब तक आपके पास कोई तथ्य न हों और तथ्य हों तो लोकायुक्त के पास जायं। जांच कर ली जायेगी। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री के खिलाफ एक छोटी सी बात आयी थी। मामला कोर्ट में गया और उस पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो क्या आप यह चाहते हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी छवि धूमिल हो। उनकी छवि धूमिल करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। यही कारण है कि बिना तथ्यों के कोई बात आप कहते हैं और वह अखबारों में भी छप जाती है तो कहा जाता है कि ऐसे कौन लोग अपराधी हैं। तो यह बात ठीक नहीं है।

माननीय राम सरन दास जी एक बात कह रहे थे। उन्होंने कई बातों की तरफ संकेत किया। एक बात उन्होंने यह कही कि यह पैसा खर्च नहीं हो पायेगा और इस पैसे को नहीं लेना चाहिए। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। यह पैसा 31 मार्च तक पूरा का पूरा खर्च हो जायेगा। इसलिये हमने यह इसके द्वारा बता दिया कि किन-किन मदों में यह पैसा खर्च होगा। एक बात उन्होंने यह कही कि इससे फर्जी बिलों का भुगतान होगा। ऐसा नहीं होगा। प्रतापगढ़ के ट्रैक्टर के कारखाने के बारे में उन्होंने कहा कि एक करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। मान्यवर, वह ट्रैक्टर का कारखाना है, खर्च तो करना ही पड़ेगा। कमिश्नरों के बंगले बनाने के सम्बन्ध में उन्होंने बात कही। विकेन्द्रीकरण की जो योजना है उसमें यदि हम कमिश्नरों को सुविधा नहीं देंगे तो काम नहीं हो पायेगा। वहां पर मीटिंग्स के कमरे बनाने की बात है जहां बैठकर कुछ बैठक करके निर्णय लिये जा सकें। इसी तरह से नहर के लिये कहा गया कि नहरें नहीं बन रही हैं, पैसा दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा यह कहा गया कि जो निगम हैं वे घाटे में चल रहे हैं। मान्यवर, उनमें सुधार हो रहा है। आपने कहा कि जीप दे रहे हैं आप जानते हैं यह अस्पतालों के लिये है पी0 एच0 सी0 के लिये उनमें बिना जीप के आप ही कहते हैं काम नहीं होता है। तो एक तरफ आप शिकायत करते हैं कि जीप नहीं है तो जब जीप दी जाती है तो क्रिटिसाइज करते हैं।

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी जब बोलते हैं तो उन्हें हमेशा सुलतानपुर और रायबरेली ही दिखाई देता है दूसरी जगह नहीं दिखाई देती। जहां पिछड़ापन रहेगा वहां आपको मालूम होना चाहिये काम होना चाहिये, वह पिछड़ा हुआ एरिया है।

(व्यवधान)

आपने कहा कि उद्योग शून्य जिलों की सूची ठीक नहीं है उसे पुनरीक्षित

किया जाय। तो यह भारत सरकार बनाती है। तो जो उद्योगहीन जिले हैं उसमें फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, झांसी, पहाड़ी जिलों में भी अल्मोड़ा

(व्यवधान)

आदि सारे जिले हैं आपको यह बुरा कैसे लगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको शंका है वह नहीं होनी चाहिये।

जो नान-प्लान की मदों को प्लान में बताने की बात कही गयी है वह ठीक नहीं है इसकी आपको शंका नहीं होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि अनुपूरक अनुदानों को पास करेंगे।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हुये हैं हर बार यह अनुपूरक अनुदान मांगते हैं। इस बार भी 4 अरब 21 लाख रुपया मांगा है। माननीय मुख्य मंत्री आपके ऊपर यह बहुत बड़ा कलंक होगा। इनकी तो कोई हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने की नहीं तो यह हटा दिये जायेंगे। गोरखपुर विकास मंडल निगम द्वारा खांडसारी यूनिट चल रही है, धान की मिल बनाई गयी है लेकिन गन्ना किसानों का 4 लाख रुपया बकाया है ...

श्री उपाध्यक्ष--

आप भाषण कर रहे हैं या स्पष्टीकरण करा रहे हैं?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय श्रीपति मिश्र और माननीय बलराम सिंह यादव वहां घोषणा करके आये थे कि गन्ना किसान के लाभ के लिये गन्ने के दाम बढ़ायेंगे। आप राइस मिल चलायें या न चलायें लेकिन गन्ना के दाम देने के लिये अनुपूरक मांगों में कोई रुपया नहीं मांगा गया है। अगर उसके लिये भी मांग लिये होते तो अच्छा होता लेकिन वह इसमें कहीं नहीं दिखाई देता है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि वह स्पष्टीकरण दे दें।

(श्री शतरुद्र प्रकाश और मित्रसेन के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, मैंने मित्रसेन जी को बुला लिया है। आप इनके बाद बोल लीजिये।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, जब वह बोल रहे थे तो मुझे दो बातें सुनने को मिली एक तो आयुर्वेदिक संस्थान के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह लखनऊ में कौन सा नया संस्थान खुला है? और दूसरा राजनीतिक पीड़ित लोगों के संबंध में तो वे कौन लोग हैं? यह बता दें?

* श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं भी मान्यवर, पूछ लूं अगर आप आज्ञा दें तो। मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे, कल जब यहां पर नेता विरोधी दल बोल रहे थे, मंत्रि परिषद् के सदस्यों के बारे में उन्होंने कुछ कहा तो मैंने बीच में कहा था कि उसमें भी कुछ लोग हैं जो जेल जा सकते हैं। उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आप भी जा सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार मुझे बन्द करना चाहती है तो मान्यवर, इनको सही-सही कहना चाहिये कि मुझको जेल भेज रहे हैं, किस दफा में और कब जेल भेज रहे हैं। मुझे चिन्ता नहीं है जेल जाने में लेकिन किसी मुख्य मंत्री को इतनी गैर जिम्मेदार बात नहीं करनी चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश को झूठे ही भ्रम हो गया है, मैं उनको क्यों जेल भेजूंगा ? आपको जेल में नहीं भेजूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो मुख्य मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, कि उनके मंत्रियों की चरित्र-हत्या करते हैं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह चरित्र हत्या कौन कर रहा है । यह सरकार अपने मंत्रियों द्वारा चरित्र हत्या करवा रही है । मान्यवर, लोकायुक्त की तीन रिपोर्टें इनके पास रखी हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि सतर्कता सचिव के पास 1982, 1983 और 1984 की रिपोर्टें आ गयी हैं, इनके सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट है, इसलिये क्या मुख्य मंत्री जी उन रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखेंगे जिससे इनका पर्दाफाश हो जायेगा । मान्यवर, इन्होंने संदेह की दीवाल खड़ी कर दिया है और उत्तर प्रदेश का नागरिक संदेह व्यक्त कर रहा है । यदि मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं है तो रिपोर्ट को क्यों छिपा रहे हैं ? मेरा आरोप है कि इनके मंत्री, विधायक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिये लोकायुक्त की रिपोर्टों को यह सदन के पटल पर नहीं रख रहे हैं। रिपोर्टें आ गयी हैं तो उनको आप सदन के पटल पर कब रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी 45 मिनट बोले और कह दिया कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे । स्वास्थ्य विभाग में कहा कि 76 लाख रुपये की जीपें खरीदेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में जीपों की क्या आवश्यकता है ? इस पर कहा कि आवश्यकता है, जरूरत है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह एम्बुलेन्स तो हैं नहीं, इन जीपों का आप क्या करेंगे ? यह फिजूलखर्ची है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें, एक-एक करके अपनी बात कहें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि लोकायुक्त की 1982 से 1984 तक जो रिपोर्टें आ गयी हैं उनको आप कब तक सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

[4 बज कर 20 मिनट]

श्री हुकुम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रघुबर दयाल वर्मा का कहना है कि सरकार के पास लोकायुक्त की रिपोर्ट आयी है और उनको पेश नहीं किया, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको बताना चाहता हूं कि सरकार के पास मंत्रियों के विरुद्ध लोकायुक्त की कोई रिपोर्ट नहीं है और जब सरकार के पास आयेगी तो अवश्य पेश की जायेगी और उस पर अवश्य विचार किया जायेगा । रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया है । लोकायुक्त आपत्ति रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजते हैं और जब सरकार के पास रिपोर्ट आती है तो उस पर कैबिनेट द्वारा विचार किया जाता है तब रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की जाती है । यह प्रक्रिया पूरा होने पर रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं चुनौती देता हूं। कल आप अपने यहां सतर्कता सचिव को बुला लें और उनसे पत्रावली मंगा लें। उनसे जान लें तो स्पष्ट हो जायेगा कि रिपोर्ट वह दे चुके हैं और यह उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि मेरी बात गलत निकलेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरी पूरी जानकारी है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं और जानबूझकर उसको छिपाया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं इसके लिये विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ देता हूं।

श्री हुकुम सिंह—

मैं भी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के खिलाफ इस मामले को लेकर विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, दोनों अपना-अपना दे दीजिये।

1985-86 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 26,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 26,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की शिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 59,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 59,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 3-उद्योग विभाग (खाने तथा खनिज)

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 4,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 4,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4 उद्योग विभाग
(ग्राम्य एवं लघु उद्योग)

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,53,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,53,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग
(भारी एवं मध्यम उद्योग)

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 13,44,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 13,44,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग
(लेखन सामग्री और मुद्रण)

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

मैं, मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 1,43,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 1,43,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 7—ऊर्जा
विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7—ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 46,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 46,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 2,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 2,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि राज्य मन्त्री (श्री शिव बालक पासी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 2,79,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 2,79,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि)

कृषि राज्य मन्त्री (श्री शिव बालक पासी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 6,30,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 6,30,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11-खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत 1,06,33,66,000 रुपया की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 1,06,33,66,000 रुपये की अनुपूरक

मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या--12 गन्ना विकास विभाग

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 1,84,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 1,84,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 4,23,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 4,23,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या--14 गृह विभाग (कारागार)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह) --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,89,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1695-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,89,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस)

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 2,60,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 2,60,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग

वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशनें तथा अन्य व्यय)

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशनें तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 28,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शनें तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 28,57,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 4,39,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 4,39,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 20,33,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 20,33,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,50,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,50,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 10,53,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985 86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 10,53,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 35,31,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 35,31,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 77,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 77,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985–86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री राम नरेश शक्ल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,10,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,10,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 69,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अन्तर्गत 69,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,03,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,03,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग

ग्राम विकास मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अन्तगत 2,01,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 2,01,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,67,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग के अंतर्गत 1,67,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 4,75,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 4,75,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 12,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 12,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूंकि अनुदान संख्या 35—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अंतर्गत 72,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 72,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग)

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेत-राम गंगवार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,20,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,20,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,67,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,67,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदानसंख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 46-वन विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत 50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46--वन विभाग के अन्तर्गत 50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग
(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग
(कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 37,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 37,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग
(राज्य लाटरी)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछा रिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 4,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 4,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग
(लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 14,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 14,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 11,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 11,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की शिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 36,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत 36,16,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 60,90,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 60,90,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 42,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 42,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,92,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,92,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत 2,75,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत 2,75,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 63—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 2,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 2,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 81,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 81,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 10,57,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 10,57,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 26,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 26,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव

करता हूं कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 1,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 1,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)--

श्रीमन्, मैं आप की अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,68,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,68,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 से लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 5,73,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 5,73,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह

प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,61,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 1,61,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण (संचार साधन) के अन्तर्गत 16,17,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण (संचार साधन) के अन्तर्गत 16,17,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 37,66,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 37,66,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग के अन्तर्गत 83,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग के अन्तर्गत 83,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 28,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग

वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 28,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 80-स्पोर्ट्स विभाग

वन राज्य मन्त्री (श्री जफर अली नकवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80-स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 23,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 80-स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत 23,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,41,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,41,39 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से एवं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82-क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रतियां बांट दी जायं ।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, अनुसूची खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986

31 मार्च, 1986 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1986 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1985-86 के लिये 13,93,24,15,000 रुपयों का दिया जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो, 31 मार्च, 1986 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 13,93,24,15,000 रुपये (तेरह अरब तिरान्नवे करोड़ चौबिस लाख पन्द्रह हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उनका विनियोग 31 मार्च, 1986 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 में देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	आबकारी विभाग	राजस्व	26,15	..	26,15
2	आवास एवं नगर भूमि विभाग	राजस्व	14,66	..	14,66
		पूंजी	45,00	..	45,00
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	4,80	..	4,80
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	2,06,53	..	2,06,53
		पूंजी	47,33	..	47,33
5	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	2,66,98	..	2,66,98
		पूंजी	10,77,50	..	10,77,50
6	उद्योग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	1,43,22	..	1,43,22
		पूंजी	1	..	1
7	ऊर्जा विभाग	पूंजी	46,00,00	..	46,00,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8	कार्मिक विभाग	राजस्व	2,24	..	2,24
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	1,63,77	..	1,63,77
		पूंजी	1,15,88	..	1,15,88
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	2,53,24	..	2,53,24
		पूंजी	3,77,40	..	3,77,40
11	खाद्य तथा रसद् विभाग	राजस्व	1,33,66	2,64,00	3,97,66
		पूंजी	1,05,00,00	10,50,00	1,15,50,00
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	1,84,85	..	1,84,85
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	35,00	..	35,00
		पूंजी	3,88,00	..	3,88,00
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	2,89,08	1,54	2,90,62
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	2,40,06	..	2,40,06
		पूंजी	20,00	..	20,00
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	28,57	..	28,57
17	गोपन विभाग	राजस्व	5,00	..	5,00
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	4,21,06	6	4,21,12
		पूंजी	18,00	..	18,00
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	17,46,68	..	17,46,68
		पूंजी	2,86,84	..	2,86,84
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	2,50,95	..	2,50,95

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	10,53,74	..	10,53,74
22	नगर विकास विभाग	राजस्व	33,31,30	..	33,31,30
		पूंजी	2,00,00	..	2,00,00
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	64	..	64
		पूंजी	76,72	..	76,72
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	2,10,26	..	2,10,26
26	नियोजन विभाग	राजस्व	1	..	1
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	8,14	..	8,14
		पूंजी	61,00	..	61,00
29	न्याय विभाग	राजस्व	73,90	25,33	99,23
		पूंजी	29,43	..	29,43
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	2,01,16	..	2,01,16
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	27,38	..	27,38
		पूंजी	1,40,00	..	1,40,00
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	2,66,16	..	2,66,16
		पूंजी	2,09,61	..	2,09,61
34	पशुधन विभाग	राजस्व	12,80	..	12,80
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	पूंजी	72,81	..	72,81
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	2,20,07	..	2,20,07

उत्तर प्रदेश विधान सभा

40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	2,67,28	28	2,67,56
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2,00,00	..	2,00,00
46	वन विभाग	राजस्व	50,01	32	50,33
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	..	6,13,20	6,13,20
		पूंजी	1,00,00	9,33,65,80	9,34,65,80
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	37,77	..	37,77
		पूंजी	1	..	1
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	4,50,00	..	4,50,00
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	14,65	..	14,65
52	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	11,99	..	11,99
53	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1	..	1
55	विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग	राजस्व	36,16	..	36,16
56	शिक्षा विभाग	राजस्व	60,85,28	6	60,85,34
		पूंजी	5,00	..	5,00
57	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	42,28	..	42,28
58	श्रम विभाग (सेवा योजन)	राजस्व	1,92,68	..	1,92,68
61	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	2,75,02	84	2,75,86

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	5
62	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	1,00	..	1,00
63	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	2,98	..	2,98
64	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	81,28	..	81,28
65	सतर्कता विभाग	राजस्व	..	21	21
66	सहकारिता विभाग	राजस्व	21,04	..	21,04
		पूंजी	10,36,67	..	10,36,6
68	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	26,70	..	26,70 7
70	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	1,90	..	1,90
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2,68,19	..	2,68,19
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	पूंजी	5,73,59	..	5,73,59
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	पूंजी	43	..	43
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	25,00	..	25,00
		पूंजी	1,36,25	..	1,36,25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	16,17,28	..	16,17,28
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	82,45	..	82,45
		पूंजी	36,84,00	2,11	36,86,11
78	सूचना विभाग	राजस्व	83,21	..	83,21
79	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	28,17	2	28,19
80	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	23,11	..	23,11
81	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	4,41,39	..	4,41,39
82	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	10,00	..	10,00
	योग ..	राजस्व	1,85,81,62	9,05,86	1,94,87,48
		पूंजी	2,54,18,76	9,44,17,91	11,98,36,67
	कुल योग ..		4,40,00,38	9,53,23,77	13,93,24,15

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 अनुसूची खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985–86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985–86 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मेजों की थपथपाहट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से दो सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं । पहली बांदा जनपद की तहसील नरैनी में रसिन बांध के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की और दूसरी इटावा जेल जेलर तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा की गयी पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य के लिए श्री सूर्य प्रताप शाही व श्री औसान सिंह को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार हुई हैं । शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी ।

बांदा में भीषण ओलावृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

[दिनांक 21-2-1986 को जनपद बांदा में ओलावृष्टि हुयी जिसका प्रभाव निम्न प्रकार रहा :--

	तहसीलें--					
	बांदा	बबेरू	नरनो	करवी	मऊ	योग
1--प्रभावित गांवों की संख्या	निल	58	59	60	215	392
2--प्रभावित जनसंख्या	..	55302	70854	62580	134269	323005
3--कुल प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 में0)	..	12395	12585	9280	28311	62571
4--क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (हे0 में)	..	12395	10002	9280	28311	59988
5--प्रभावित पशुओं की संख्या	..	29494	25318	72000	..	1,26,812
6--मनुष्य जीवन हानि	..	..	..	..	..	..
7--पशु जीवन हानि	..	2	5	..	..	7
8--क्षतिग्रस्त मकान	..	..	..	..	..	..
(क) पूर्ण रूप से						
(ख) आंशिक रूप से	..	240	38	..	..	278
9--प्रभावित परिवार	..	7617	33100	9000	28496	77213

ओले का सबसे अधिक प्रभाव तहसील बबेरू व नरैनी में रहा है। तहसील नरैनी के 44 ग्रामों में तथा बबेरू के 9 ग्रामों में 75 प्रतिशत या उससे अधिक फसल को नुकसान हुआ है।

यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नरैनी तहसील के पहाड़पुर ग्राम में 1 व्यक्ति का पैर टूट गया है और कई व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं हैं। जानवरों को भी चोटें आयीं हैं। फसलों के सड़ने के कारण महामारी फैलने के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है फिर भी मुख्य चिकित्साधिकारी को सतर्क कर दिया गया है। ओला पड़ने के कारण किसी के गांव छोड़ने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ओला प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं ;

		लक्ष्य
1—हस्तम सम्पर्क मार्ग	5 कि0मी0	10,943 मानव दिवस सृजित तथा 839 कुन्टल खाद्यान्न वितरण
2—खमौरा-पिडखर मार्ग	3 कि0मी0	22927 मानव दिवस सृजित तथा 1719 कुन्टल खाद्यान्न वितरण
2—तिंदुही-रहुसत मार्ग	3 कि0मी0	4922 मानव दिवस सृजित तथा 389 कुन्टल खाद्यान्न वितरण

उक्त के अलावा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड महुआ, बिसन्डा, कमासिन, बबेरू में कार्य चल रहें हैं और कुछ नये कार्य प्रारम्भ करने हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। मालगुजारी, तकावी व अन्य कृषि देयों की वसूली नियमानुसार स्थगित कर दी गई है। सिंचाई शुल्क में छूट देने आदि के बारे में भी सिंचाई विभाग को कहा गया है। तहसील नरैनी व बबेरू के असहाय/भूमिहीन कृषकी मजदूर लघु/सीमान्त कृषकों को 1,65,345 रुपये की अहेतुक सहायता तथा बबेरू में 25000 रुपये की तकावी वितरित की जा चुकी है और वितरण कार्य जारी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओलावृष्टि के अलावा जनपद के अतिवृष्टि व पाले से भी माह दिसम्बर, जनवरी व फरवरी में क्षति पहुंची है जैसा कि निम्न-लिखित तालिका से स्पष्ट होगा—

तहसीलें:—

	बांदा	बबेरू	नरैनी	करवी	योग
	1	2	3	4	5
1—प्रभावित गांवों की संख्या, अतिवृष्टि दिनांक 7-2-1986 पाला दि0 21-2-1986 से 28-2-1986	258	..	..	..	258
2—प्रभावित गांव की संख्या, पाला दिनांक 22-2-86	..	1	..	..	1
3—प्रभावित गांवों की संख्या, पाला 2-1-1986 से 9-1-1986 13-2-1986 से 14-2-1986	..	..	98	..	98
4—प्रभावित गांवों की संख्या, पाला 25-12-1985 से 20-1-1986, 28-1-1986 से 14-2-1986, 21-2-1986	..	..	..	350	350

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	1	2	3	4	5
अतिवृष्टि/पाला से प्रभावित					
1—प्रभावित जनसंख्या	366902	100	123448	289939	780889
2—कुल प्रभावित क्षेत्रफल (हे0 में0)	17305	15	17988	60940	96248
3—क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्रफल (हे0 में)	17305	15	8994	60940	87254
4—पशुओं की प्रभावित संख्या	..	40	47571	..	47611
5—मनुष्य जीवन हानि	..	..	..	..	..
6—पशु जीवन हानि	..	..	..	..	..
7—क्षतिग्रस्त मकान	..	..	..	..	..

राहत बजट से 20.50 लाख रुपये तथा तकावी हेतु 6 लाख रुपये की धनराशि दी गई है। जिले की समस्याओं के प्रति शासन सजग है।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, जो वक्तव्य यहां पर माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह दर्शाया गया है कि बांदा जनपद में ओलावृष्टि से सबसे अधिक प्रभाव तहसील नरैनी के 44 ग्रामों में तथा बबेरू के 9 ग्रामों में 75 प्रतिशत या उससे अधिक फसल को नुकसान हुआ है। यह स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है।

मान्यवर, जो नुकसान 75 प्रतिशत से भी ज्यादा हर जगह हुआ है। आपने 20 लाख 50 हजार रुपया इतनी बड़ी दैवी आपदा से राहत देने के लिए दिया है। यह 11 लाख की प्रभावित आबादी में प्रति व्यक्ति दो रुपये के हिसाब से पड़ता है और इसमें से आपके कर्मचारी भी खा जायेंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ओला वृष्टि के कारण पूरे जनपद को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए बजट से अधिक धन उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री गौरीशंकर--

मान्यवर, यह वक्तव्य में स्पष्ट दर्शाया गया है कि राहत बजट से 20 लाख 50 हजार रुपये की व्यवस्था करायी गई है और 6 लाख रुपये तकावी की व्यवस्था कराई गई है। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धन की व्यवस्था कराने में कोई समस्या नहीं है। चूंकि वहां पर विभिन्न परियोजनाओं में धन दिया गया है। आठ सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने के लिए धन दिया गया है। इस बात को देखते हुए कि यहां पर काफी क्षति हुई है, सारी सुविधायें दी जा रही हैं। जहां-जहां माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करायेंगे, नियमानुसार उसकी व्यवस्था करा दी जायेगी।

(इस समय 5 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता डा० कृष्णवीर सिंह कौशल पुनः पीठसीन हुए)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 75 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है और करीब तीन लाख से भी ज्यादा जनता प्रभावित हुई है। क्षेत्रफल भी उन्होंने दिया है। तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पर लगान सिंचाई आदि देयों से जनता को मुक्त कर देंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मालगुजारी, तकावी व अन्य कृषि देयों की वसूली नियमानुसार स्थगित कर दी गई है। सिंचाई शुल्क में भी छूट देने के लिये सिंचाई विभाग को लिख दिया गया है।

श्री जमुना प्रसाद बोस--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बांदा जिले में नौ सौ गांव प्रभावित हुए हैं और यह भी स्वीकार किया है कि आठ लाख बीघा कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है लेकिन माननीय मंत्री जी ने केवल 20 लाख रुपये की सहायता दी है जो प्रति व्यक्ति 2 रुपये पड़ता है और इसमें से आधा पैसा तो सरकारी मशीनरी खा जाएगी। इस प्रकार यह एक रुपये एक आदमी पड़ता है इसलिए क्या माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि बांदा जनपद में ओला वृष्टि के कारण जो क्षति हुई है उसके लिए कम से कम एक अरब रुपये की धनराशि देने का कष्ट करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री बोस जी स्वयं शासन में रह चुके हैं और एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं। उन्हें बहुत बड़ा अनुभव भी है। जब कभी दैवी आपदा होती है तो उसमें जिलाधिकारी

की रिपोर्ट ली जाती है । जिलाधिकारी ने स्वयं कहा है कि 75 प्रतिशत क्षति हुई है । इसीलिए मान्यवर, राहत कार्य के रूप में वहां पर 8 सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है और 20 लाख 50 हजार की धनराशि भी दी गई है । यदि जिलाअधिकारी और पैसे की मांग करते हैं तो मान्यवर, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की नीति और मानक है उस हिसाब से सुनिश्चित करा दिया जायेगा और जो पैसा कम पड़ेगा दे दिया जायेगा । स्वयं माननीय सदस्य सतुष्ट हो जायेंगे काफी सम्पर्क मार्गों का निर्माण हो रहा है और उनमें भी पैसा जा रहा है और राहत के काम कर रहे हैं । आपके स्टेटमेन्ट में भी आया है । उसमें 23 गांव के 386 व्यक्तियों का उपचार कराया, 1000 टीके जानवरों को लगाये गए हैं, कोई भी संक्रामक रोग नहीं फैला है । माननीय सदस्यों को संतुष्ट होना चाहिए कि शासन की तरफ से काफी जागरुकता दिखाई गई है । हम कोशिश में हैं कि कोई भी व्यक्ति राहत कार्य से वंचित न रह जाय ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र में राहत कार्य के अन्तर्गत काम के बदले अनाज देने की जो योजना चलायी जा रही है, उसे क्या जून, 1986 तक चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मैंने निवेदन किया कि 8 सम्पर्क मार्ग हैं, नाम जानना चाहते हों तो समय लगेगा, जैसे ही बन जायेंगे, इनकी लम्बाई भी दी हुई है, पांच-पांच किलो मीटर के हैं, चार-चार किलोमीटर के हैं, जब इनकी लम्बाई पूरी हो जाएगी, कार्य हो जायगा तो 1986-87 तक चालू रखने का क्या औचित्य है ? अगर फिर भी राहत कार्य पूरा नहीं होगा तो कोई और योजना या परियोजना चलाई जाएगी ।

श्री शिरोमणि भाई--

इन्होंने बताया है कि कुल 392 गांव प्रभावित हुए हैं, जो राहत कार्य शुरू करने की बात कही है, वह केवल नरैनी में कही है, चूंकि सभी गांव बबेरू नरैनी, करवी और मऊ इससे प्रभावित हैं, तो सब गांवों में राहत कार्य न करने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर--

माननीय सदस्यों को कतई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, जो तहसील प्रभावित हुई हैं, जो गांव प्रभावित हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के जो मानक हैं, हर प्रभावित व्यक्ति को राहत दिलाई जाएगी, किसी को वंचित नहीं रखा जायगा ।

श्री राम सजीवन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मन्त्री जी ने बताया कि तीन सड़कों पर काम शुरू किया जा रहा है । लाखों लोग भुखमरी के कगार पर हैं, 14-15 लाख की आबादी है बांदा की, 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं । मैं जानना चाहता हूं कि केवल तीन सड़कों का काम चलाने से आप, लोगों को भुखमरी से नहीं बचा पायेंगे । हर क्षेत्र में चारों तरफ जब काम देंगे तब शायद लोग भुखमरी से बचा सकेंगे । क्या पूरे जिले में, हर क्षेत्र में, हर तहसील में, जो-जो प्रभावित हैं, साथ-साथ काम शुरू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मैंने निवेदन किया था पुनः कहना चाहूंगा कि सारे तथ्यों का परीक्षण कराने के बाद जो मानक हैं और जो क्षेत्र प्रभावित हैं, वहां के लोगों के लिए सुनिश्चित कर लिया जायगा कि भुखमरी से कोई न मरें । तीन सड़कों की बात आपने कही, हमने तीन के बजाय आठ सड़कें कर दी हैं, फिर भी यदि भुखमरी रहती है या कोई समस्या है तो और भी परियोजनायें शुरू करने पर

विचार करेंगे और इस बात को देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी से न मरे और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचा दी जाय ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

ओला से बुन्देलखण्ड के कई जिले प्रभावित हुए हैं, केवल बांदा ही नहीं बल्कि ललितपुर, झांसी और जालौन भी प्रभावित हुए हैं और कहीं भी राहत का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो क्या मंत्री जी राहत कार्य को तुरन्त प्रारम्भ करवा देंगे, और भविष्य में आगामी खरीफ की फसल के लिए खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां क्या आप वहां मुफ्त दिलाने का व्यवस्था करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि इन सारी बातों का उत्तर आ चुका है ।

श्री गौरी शंकर—

शासन की स्पष्ट नीति है कि किसी भी जनपद में जहां 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई हो, वहां का जिलाधिकारी इस बात के लिए अधिकृत है कि तीन महीने तक वसूली को वह अपने अधिकार से रोक सकता है । इसके आगे भी यदि वसूली को रोकने की आवश्यकता होती है तो वह इसके लिए शासन को लिखता है । धनराशि में छूट प्रदान करने की बात हुई तो वह प्रस्ताव बना कर भेजता है, उस पर शासन विचार कर लेता है । यह बात पूरे प्रदेश के लिए लागू है इसके अन्दर चाहे जो जनपद हों, जहां-जहां दैवी आपदा आती है, भगवान न करे कि कहीं आये परन्तु जहां भी दैवी आपदा आती है उनके लिए जो मानक निर्धारित हैं उनके अनुरूप हम राहत के कार्य सुनिश्चित करते रहेंगे ।

इलाहाबाद के मोहल्ला नया कटरा स्थित काष्ठ कला संस्थान की जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य—

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)

[वर्ष 1919 में राजकीय काष्ठ कला संस्थान, इलाहाबाद को 16.85 एकड़ भूमि अध्याप्त करके दी गयी थी, जिसमें विवादित भू खण्ड संख्या 348/4 (क्षेत्रफल 2 बिस्वा) भू खंड संख्या 348/4 (क्षेत्रफल 2 बिस्वा) तथा भू खंड संख्या 349 (क्षेत्रफल 7 बिस्वा) ग्राम बेली उपरहार परगना चायल, इलाहाबाद भी सम्मिलित बतायी जाती है । 1391 फसली के नान जेड ए खतौनी में तथा वर्तमान खतौनी में श्रेणी 8 में श्रीमती सत्यवती देवी पत्नी श्री चिन्तामणि पान्डे का नाम बतौर मौरूसी काश्तकार दर्ज है । इस आधार पर यह कहना निराधार है कि इलाहाबाद के जिला सरकारी वकील (सिविल) श्री चिन्तामणि पान्डे ने इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम पट्टे के आधार पर अंकित है । भू खंड पर मकान का निर्माण इस समय नहीं हो रहा है, चहारदीवारी अवश्य बनी हुई है । यह कहना भी गलत है कि लेखपाल से

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लेकर जिलाधिकारी तक जिला सरकारी वकील सिविल को हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा यह बात वर्तमान जिलाधिकारी के संज्ञान में लायी गयी है कि यह भूमि राजकीय काष्ठ कला संस्थान की है और इस संबंध में उन्होंने एक प्रतिवेदन संबंधित कुछ अभिलेखों की नकल के साथ जिलाधिकारी को हाल में प्रेषित किया है जिसका परीक्षण करके जिलाधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जायगा कि यह भूमि राजकीय काष्ठ कला संस्थान की है अथवा राजकीय अ स्थान की है। यदि यह भूमि राजकीय काष्ठ कला संस्थान की प्रमाणित होती है तो श्रीमती सत्यवती देवी के पक्ष में किए गए पट्टे को निरस्त करने की वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस घटना से संस्थान के छात्रों अध्यापकों तथा स्थानीय जनता में कोई रोष व्याप्त नहीं है।]

श्री विक्रमादित्य पान्डेय--

मेरा सीधा आरोप था कि डी0 जी0 सी0, इलाहाबाद ने उच्चाधिकारियों से सांठ-गांठ करके राजकीय काष्ठ कला केन्द्र की भूमि को हड़प रहे हैं। लेकिन जो माननीय मुख्य मंत्री जी का स्टेटमेन्ट है, वह साफ नहीं है। फिर भी जो सूचना मेरे पास है उससे यह मालूम होता है कि कुल 13 किस्म के विवाद हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे बतायेंगे कि जो विवादित भूमि है वह क्या 1391 फसली के पूर्व यह राजकीय काष्ठ कला संस्थान, इलाहाबाद के कब्जे में थी ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, वक्तव्य में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि 16.85 एकड़ भूमि अध्याप्त करके दी गयी थी, जिसमें विवादित भू-खंड संख्या 348/2 (क्षेत्रफल 4 बिस्वा) भूखंड 348/4 (क्षेत्रफल 2 बिस्वा), तथा भू-खंड संख्या 349 (क्षेत्रफल 7 बिस्वा) यह सारी भूमि एक्वायर की गयी थी। 1391 फसली के नाम जेड ए, खतौनी में तथा वर्तमान खतौनी में श्रेणी 8 में श्रीमती सत्यवती देवी पत्नी श्री चिन्तामणि पान्डेय का नाम बतौर मौरूसी काश्तकार के दर्ज है। यह कहना निराधार है कि इस भूमि पर चिन्तामणि पान्डेय ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा यह बात वर्तमान जिलाधिकारी के संज्ञान में लायी गयी है

(5 बजकर 20 मिनट)

और प्रतिवेदन में अभिलेखों की नकल दिया और कहा कि हमारी जमीन है और हमको दे दी जाये और बीच में उन्होंने बाउन्डरी बना ली और कुछ कार्य कर रहे थे और जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया, जिलाधिकारी ने इमारत के निर्माण का कार्य बन्द करवा दिया और मामला उनके यहां पर विचाराधीन है। सारे का सारा रिकार्ड देखने बाद जब यह सब हो जायेगा कि यह भूमि किसकी है, उसी को दे दी जायेगी। अगर काष्ठ कला संस्थान की निकलेगी तो निश्चित रूप से उनको दे दी जायेगी।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय--

मान्यवर, वहां के डी0 जी0 सी0 बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लेखपाल से लेकर डी0 एम0 तक उनके इस गलत कार्य में लिप्त हैं और आपने बताया कि जिलाधिकारी के सामने सारी बात है और इसका परीक्षण करने के बाद तय किया जायेगा कि जमीन किसकी है। ऐसी परिस्थिति में जब जिलाधिकारी पर भी आरोप है तो क्या आप इस मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी से करायेंगे ?

श्री गौरीशंकर--

माननीय सदस्य की आशंका निर्मूल है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शासन की सदाशयता के ऊपर

शंका करने की बात नहीं है। हमारे कलेक्टर इस मामले को देख रहे हैं और देखने के बाद इस बात को सुनिश्चित कर दिया जायेगा कि किसकी जमीन है। जहां तक किसी उच्च अधिकारी से जांच का सवाल है, अगर सदन सहमत है तो रेवेन्यू विभाग के सेक्रेटरी या श्रम विभाग के सेक्रेटरी से जांच करवाई जा सकती है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इलाहाबाद के मध्य में कटरा मुहल्ला है और यह जमीन 1919 से आज तक काष्ठ कला संस्थान के पास थी। 4 साल पहले श्री पान्डे ने इस जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया, फर्जी तरीके से और आई0 टी0 आई0 के प्रिंसिपल ने अनेक बार दरख्वास्तें दीं, जिलाधिकारी को भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने बीचोबीच में कब्जा किया है और इमारत बनवा रहे हैं। मान्यवर, यह 25 लाख की जमीन है, सरकारी जमीन है और डी0 जी0 सी0 भी सरकारी व्यक्ति हैं, उन्होंने यह गड़बड़ी की है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आई0 टी0 आई0 के प्रिंसिपल ने जिलाधिकारी को कब प्रार्थना-पत्र दिया और उस पर कलेक्टर ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इस बात की जानकारी शासन स्तर पर नहीं है कि प्रधानाचार्य ने कब प्रार्थना-पत्र दिया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले के प्रकाश में आने पर डाइरेक्टर सेवायोजन वहां गये थे और 28-2-86 को अभिलेखों की नकलें वगैरह प्रस्तुत की गयी और 15-3-86 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसका परीक्षण जिलाधिकारी स्तर पर हो रहा है और आवश्यक निर्णय लिया जायेगा, जिसके लिए वह सक्षम हैं और कलेक्टर को एक ही बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो सूचना दी है उनका मसला यह है कि आधार विवाद का केवल यह है कि वर्तमान अभिलेखों में श्रीमती सत्यवती देवी की श्रेणी 8 में प्रविष्टि देनी है अथवा उसके स्थान पर उचित श्रेणी में काश्तकार का नाम अंकित होना चाहिए। केवल इन 2 चीजों पर जो देखना चाहते हैं जो रिकार्ड है उसमें सत्यवती का नाम अंकित किया गया है यह कैसे किया गया है यह जानकारी की जा रही है अगर फर्जी तरह से दर्ज किया गया है तो काष्ठ कला संस्थान को दे दी जायेगी। अब मान्यवर, डी0 जी0 सी0 की बात कही गयी। मान्यवर, इसका जल्दी ही निर्णय होने की आशा है अगर इनकी गलती है तो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी 2 बिन्दु मुख्य रूप से आये हैं एक तो यह आया है कि एक नहीं अनेकों बार जिलाधिकारी के संज्ञान में यह बात लायी गयी कि गलत काम हो रहा है तो माननीय मंत्री जी, इस बिन्दु पर जांच करायें कि पहली बार किस जिलाधिकारी के सामने यह मामला संज्ञान में लाया गया और क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? अगर यह बात सामने आती है कि जानबूझ कर मामला टाला गया है तो क्या जिलाधिकारी जो रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? दूसरा जो शासन की तरफ से जवाब आया उसमें कहा गया कि कोई भवन नहीं निर्माण हो रहा है और यहां कहा गया कि वहां पर भवन निर्माण हो रहा है तो यह जो दो बातें विरोधी आई हैं तो इस सम्बन्ध में मैं आश्वासन चाहता हूं कि क्या आप मुख्यालय से किसी व्यक्ति को भेजकर इसको दिखवाने की कृपा करेंगे कि मकान बन रहा है या नहीं बन रहा है ? अगर बन रहा है तो क्या ? मकान बनवाना रुकवायेंगे और जो बन गया है उसको गिरवायेंगे ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जैसे ही यह मामला संज्ञान मे लाया गया जिलाधिकारी ने उसमें तुरन्त कार्यवाही की यद्यपि यह भूमि जो रिहायशी परियोजना के लिए पट्टा है वह ऐप्रूव हो गयी थी। पट्टा जिस नाम के तहत दिया गया था, जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया पट्टे को इक्जीक्यूट नहीं किया गया। यह निश्चित सूचना है कि उस पर कोई कान्स्ट्रक्सन नहीं हो रहा है। इस प्रकरण को कलेक्टर के संज्ञान में डायरेक्टर ट्रेनिंग ऐण्ड इम्पलायमेन्ट के जरिये से लाया गया। वर्तमान जिलाधिकारी के संज्ञान में कब लाया गया यह सूचना उपलब्ध नहीं है यदि आपकी अनुमति होगी तो इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता---

इनका प्रश्न यह है कि कलेक्टर के संज्ञान में यह बात कब आई और क्या इस पर निर्माण कार्य हो रहा है? यदि हां, तो उसे रुकवा दिया जाय?

श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कितना समय स्टडी में लगेगा और क्वेश्चन आफ लिमिटेशन में भी यह बाते देखने की है इन दो बिन्दुओं पर भी आप अपना व्यू देखें।

श्री गौरी शंकर--

जिलाधिकारी से जो सूचना प्राप्त हुई, उन्होंने यह कहा कि अभिलेख उन्हें उपलब्ध करा दिये गये हैं और उन अभिलेखों का परीक्षण हो रहा है और बहुत ही जल्दी इस पर डिसीजन हो जायेगा।

श्री जवाहर सिंह यादव--

मान्यवर, यह जमीन इस समय कटरा ममफोड़गंज में 1 हजार रुपया प्रति गज के हिसाब से बिक रही है और उप डी० जी० सी० ने 13 हजार रुपया बिस्वा में लेकर उसे अपनी औरत के नाम लिखवा लिया। नवम्बर 1982 में डी० जी० सी० ने कलेक्टर से मिलकर और बड़े-बड़े अधिकारियों को घूस देकर अपनी औरत के नाम उस जमीन का पट्टा करवा लिया। दिसम्बर, 1985 में उसने उस जमीन पर निर्माण कार्य कराने की अनुमति भी प्राप्त कर ली और उसके अनुसार अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के कागजातों पर कलेक्टर के दस्तखत नहीं हुये हैं। माननीय मंत्री महोदय सवाल का जवाब देने का सारा समय फाइल पढ़ने में लगा देते हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि प्रथम बार जो पट्टा 1982 में दिया गया था सत्यवती देवी के नाम से, उस पत्रावली को डी० जी० सी० ने गायब करवा दिया है और दूसरा सवाल यह है कि...

श्री अधिष्ठाता---

एक बार में एक ही प्रश्न करें।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, यह कहा गया कि कलेक्टर ने और दूसरे कर्मचारियों ने रिकार्ड ही गायब कर दिया। मान्यवर, यदि रिकार्ड गायब कर दिया गया होता तो डिप्टी डाइरेक्टर, ट्रेनिंग ऐण्ड इम्पलायमेन्ट को कैसे यह रिकार्ड मिल जाता। इसलिये उनकी यह बात सत्य से परे है। उसी बीच में यह मामला आया था कि राजकीय आस्थान की जो जमीन है...

श्री जवाहर सिंह यादव--

देखिये मान्यवर, मतलब की बात नहीं बता रहे हैं।

श्री गौरी शंकर--

तीन हजार वर्ग फुट की जमीन अधिकतम 30 वर्ष तक देने का प्राविधान है।

श्री जवाहर सिंह यादव--

जिसके जुरिडिक्शन के अन्तर्गत यह जमीन आती है उसके लिये जो प्रार्थना-पत्र दिया गया था, उससे सम्बन्धित पत्रावली ही गायब करवा दी गई और जो नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में दरख्वास्त दी गई उसके बारे में आप कहते हैं कि...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न पूछ लें।

श्री जवाहर सिंह यादव--

क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि यह 1919 में स्कूल के नाम 16.87 एकड़ जमीन पट्टे में दी गई थी तो क्या उस जमीन को आज नपवाने की कोशिश की गई कि उसके कब्जे में कितनी जमीन है?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं और माननीय सदस्य ने आक्रोश में बोल दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन जो फैक्ट है (व्यवधान) इन्हीं सारी बातों के होते हुये जैसा कि माननीय गुप्ता जी, माननीय रेवती रमण सिंह जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जिन बिंदुओं को लेकर प्रश्न किया था, इन सारी बातों का परीक्षण करा लेंगे कि किस स्तर से यह जमीन मारूसी पट्टे के रूप में उनके नाम कर दी गई। इन सारे तथ्यों की जांच श्रम सचिव से हम करा लेंगे और उसके बारे में माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि इस स्तर के अधिकारी से जांच हो जायेगी। तब फिर प्रश्न नहीं रह जाता है। जो रिपोर्ट होगी उसे सदन में रख दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पट्टा ऐप्रूव हो गया। ऐप्रूव किसने किया। दूसरी बात यह है कि नजूल की जमीन का पट्टा हो गया। तो किसने ऐप्रूव किया और कैसे पट्टा हो गया यह तो कानूनी तरीके से पट्टा करा दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिसने ऐप्रूव किया और पट्टा किया है उसके ऊपर आप कार्यवाही करेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

जांच में यह बिन्दु भी आ जायेगा।

श्री गौरी शंकर--

जांच में यह बिन्दु आ जायेगा।

प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत नहरों हेतु अध्याप्त भूमि के मुआवजे के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 14 मार्च, 1986 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या--1, (नत्थी ख) पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस विधान सभा में मैंने एक सवाल किया था तो उस का जो उत्तर शासन की ओर से दिया गया उससे इस बात की पुष्टि हो गयी कि यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। बजाय इसके कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करती उनका दृष्टिकोण उसको दबाने का लगा। सवाल यह था कि 1981-82, 1982-83 में प्रतापगढ़ जिले में नहरें बनाई गयी और उसके लिये जमीन एक्वायर हुई। उसके लिये प्रतिकर के

भुगतान में करीब 83 लाख का घपला हुआ। उस समय भी सवाल किया गया था जिस पर एक विशेष जांच दल द्वारा जांच कराई गयी उससे भी यह पुष्टि हो गयी कि 43 लाख का गलत ढंग से भुगतान किया गया। 1983 में इसकी जांच कराई गयी और सम्बन्धित भूमि अध्याप्ति अधिकारी 1 जनवरी, 1986 को रिटायर हो गये। तो तीन वर्ष तक सरकार ने जानबूझ कर इस मामले को टाला ?

दूसरी बात यह हुई कि इसी बीच पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गयी उसमें संज्ञेय अपराध होने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और न कोई कार्यवाही उनके खिलाफ की गयी। इससे इस बात की पुष्टि हो गयी कि सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहती है। जिम्मेदारी इसमें जो दी गयी उसमें किसी चपरासी को दंडित किया गया और क्लर्क अथवा अमीन को दंडित कर दिया गया। जो पूरे मामले का सरगना था उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। तो इन बातों का माननीय मंत्री जी पहले जवाब दे दें, तो हम आगे फिर बात करेंगे ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

आधे घंटे की चर्चा है पहले माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कह लें, उसके बाद उत्तर दे दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसके बाद माननीय सदस्य बोलेंगे। माननीय मंत्री जी पहले यह बतला दें तो उससे सवाल करने में फायदा होगा। मैंने पूरी भूमिका रख दी है।

श्री अधिष्ठाता--

आधे घंटे की चर्चा है इसमें जो प्रकाश माननीय सदस्य डालना चाहते हैं डाल लें, उसके बाद में माननीय मंत्री जी से पुछवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पहले माननीय मंत्री जी बता दें जो मैंने पूछा है उसके बाद स्पष्टीकरण पूछना होगा तो पूछ लेंगे यह नियमों में है।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय गुप्त जी के उस दिन तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में विस्तार पूर्वक तथा अन्य माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में विस्तार-पूर्वक बताने का प्रयास किया था। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण में राजस्व परिषद् की ओर से जांच आरम्भ हुई। जैसे ही इस तरह की अनियमिततायें प्रकाश में आई तो राजस्व परिषद् ने तत्परता बर्ती और एक विशेष लेखा दल वहां भेज कर जांच कराई और साथ ही साथ कलेक्टर को भी जब यह सूचना मिली तो उन्होंने भी कलीमुरादपुर और आशीपुर से जांच कराई। इसके अतिरिक्त राजस्व परिषद् ने भी इस प्रकरण की जांच कराई। तो इसको अलग-अलग समझने की आवश्यकता है। कलीमुरादपुर में 52148.66 रुपये की तथा आशीपुर में 10301.88 पैसे की गड़बड़ी सामने आई। इस पर तुरन्त एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी। तो यह जिलाधिकारी का प्रकरण आया और जो यहां से जांच दल गया उसने भी इस सब प्रकरण की जांच की जो वित्तीय अनियमिततायें हैं वह इस प्रकार से हैं :--

1--32,880.32 रुपये के गबन के प्रकरण हैं,

2--2,44,615.40 रुपये के अधिक भुगतान के प्रकरण हैं,

3--24,85,604.67 रुपये के अधिक भुगतान के प्रकरण हैं,

4—19,63,650.95 रुपये के अनियमित भुगतान के प्रकरण हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो बिन्दु मैंने उठाये हैं, उनका जवाब मैं चाहता हूं ।

श्री गौरी शंकर—

जो एफ0 आई0 आर0 का संदर्भ दिया है तो उसी में मैं कह रहा हूं कि अभिलेखों से जो संबंधित मामले थे उनमें काटपीट की गयी है, किस के हस्ताक्षर हैं, इन सब का एक्सपर्ट से परीक्षण कराने की बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है और मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे तीन बिन्दुओं का साफ-साफ जवाब दें—एक तो जानबूझकर मामले को लिंगर आन किया गया जिससे वह रिटायर हो गये, तो लिंगर मामले को क्यों किया गया ? दूसरे एफ0 आई0 आर0 के बाद संज्ञेय अपराध थे तो मुल्जिमों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही क्यों नही की गयी ? तीसरा प्रश्न है कि यह चीजें सिद्ध होने के बाद भूमि अध्याप्ति अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही किया है ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं संक्षेप में जवाब दे रहा हूं । एक तो हस्ताक्षरों में भिन्नता थी ।

दूसरे जब एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी तो एफ0 आई0 आर0 के बाद गड़बड़ियों की सूचना जैसे ही मिली तो राजस्व परिषद् के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू हो गयी और श्री बी0 डी0 शर्मा, तत्कालीन, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र देने हेतु नियुक्ति विभाग को सितम्बर 1983 में लिख दिया गया । दो साल छानबीन में लगे । न्याय विभाग ने 21-2-84 को यह परामर्श दिया कि आरोप पत्र को पुनरीक्षित किया जाय । क्योंकि जिलाधिकारी और लेखादल द्वारा अलग-अलग जांच जो हुई थीं उनमें कहीं कंट्राडिक्शन न हो जाये, इसलिये ला विभाग ने कहा कि आप उसका परीक्षण करा लें । नियुक्ति विभाग ने सचिव, राजस्व परिषद् से मार्च, 1984 में आरोप पत्र पुनरीक्षित करने को कहा । 10 अक्तूबर, 1985 को कलेक्टर प्रतापगढ़ ने पुनः आरोप पत्र भेजा । इसी बीच विशेष लेखा दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी थी जिसका समावेश आरोप पत्र में किया जाना आवश्यक था, अतः 10 दिसम्बर, 1985 को नियुक्ति विभाग ने सचिव, राजस्व परिषद् से यह कहा कि वह विशेष जांच रिपोर्ट को भी सम्मिलित करें । दिनांक 4 जनवरी, 1986 को आडिट रिपोर्ट का समावेश करते हुए आरोप पत्र उपलब्ध कराने हेतु कहा गया । दिनांक 13 जनवरी, 1986 को यह आरोप पत्र नियुक्ति विभाग में प्राप्त हुआ तथा 27 जनवरी, 1986 को श्री शर्मा पर तामील कर दिया गया । श्री शर्मा 31 जनवरी, 1986 को सेवा निवृत्त हो गये । इस प्रकार श्री शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही करने में शिथिलता नहीं बरती गयी, बल्कि राजस्व परिषद् ने 14 अप्रैल, 1983 को ही श्री शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा था परन्तु किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उसे दंडित करने हेतु पूरे साक्ष्य की भी आवश्यकता होती है । इसलिये प्रारम्भिक आरोप की जांच विशेष लेखादल से कराई गई तथा उसकी रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद पुनरीक्षित आरोप-पत्र श्री शर्मा को दिया गया । इस प्रकार आप देखें कि विशेष लेखा दल की आख्या प्राप्त होने के बाद श्री शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही करने में कहीं कोई विलम्ब नहीं हुआ है । दूसरी बात आपने लिपिक वगैरह की की है, जिसको निलम्बित किया गया या सेवा से बाहर किया गया है, श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, श्री माता प्रसाद, श्री चिन्तामणि सिंह, श्री लाल बहादुर

दुबे, श्री वीरेन्द्र कुमार तथा श्री श्रीकान्त आदि प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। श्री बी0 डी0 शर्मा का आरोप-पत्र दिया जा चुका है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है। रिटायर होने के चार वर्ष तक यह प्राविधान है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ समुचित कार्यवाही की जा सकती है, सब मामला यदि सिद्ध हो जाये तो कार्यवाही अभी बाद में भी हो सकती है। सब मामले की विवेचना हो रही है और गम्भीरता से हो रही है। शीघ्र ही वह परीक्षण करने के बाद अपना निर्णय देंगे। मैं एक वकील होने के नाते भी कहूंगा कि जब तक आई0 ओ0 की पूरी तरह से इस बात का समाधान नहीं होता, तब तक वह किसी को अरेस्ट करने के लिए नहीं लिखते हैं। अब आप यह कह सकते हैं कि साधारण आदमी के खिलाफ तो कार्यवाही कर दी जाती है, किन्तु बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। तो विभागीय अधिकारी की जांच चल रही थी और विभाग ने इसे गम्भीरता से लिया था और रिटायर होने के चार वर्ष बाद भी परीक्षण हुआ है, आगे दण्डात्मक पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी और यदि आरोप यह सिद्ध हुआ कि गबन हुआ है तो उस धनराशि की रिकवरी भी नियमानुसार इस अधिकारी से सुनिश्चित कर ली जायेगी। शासन की ओर से इसमें किसी भी प्रकार की कहीं कदाशयता इन्वाल्वड नहीं है।

श्री मित्रसेन--

मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, गुप्त जी ने तीन बिन्दुओं पर स्पष्ट राय आपसे जाननी चाही है कि अब भी मंत्री जी इस विषय में कितना समय और लेंगे कि कार्यवाही हो जाये ?

श्री गौरी शंकर--

मंत्री और शासन की ओर से समय नहीं लिया जा रहा है। शासन ने पहले भी इसे गम्भीरता से लिया था अब आपने विशेष तौर से ध्यान आकर्षित किया है, जिसके लिये शासन आप लोगों का आभारी है, तो इसको हम और अधिक गम्भीरता से लेंगे और तत्परता बरती जायेगी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन सन्दर्भित अधिकारी तथा कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लेना बाकी है, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा, कार्यवाही की जायेगी, चाहे वसूली की हो या अन्य कोई दण्डात्मक कार्यवाही हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

शासन की ओर से यह नारा दिया जाता है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ सजग है, लेकिन जो तथ्य मंत्री जी ने दिया है, उससे शासन की नीति और शैली का पता चलता है। मंत्री जी ने कहा जब तक आई0 ओ0 का पूरा समाधान नहीं हो जायेगा, तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। मंत्री जी भी वकील हैं और मैं स्वयं भी ला ग्रेजुयेट हूं, इसलिए मंत्री जी की बात को एकदम गलत कहने की भी हिम्मत भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का उत्तर बे बुनियाद है और जिसे जरा भी विधिक ज्ञान होगा, उनको इस पर लज्जा आयेगी। लाल प्रताप जी मुस्करा रहे थे, जब मंत्री जी उत्तर दे रहे थे। तो क्या अब आप इस सारे मामले में उस हल्के के डी0 आई0 जी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे ? क्या आप इस आशय की जांच कराने के लिये तैयार हैं कि आई0 ओ0 द्वारा यह मामला जानबूझकर टाला गया है जबकि इसमें तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये थी ? जिन अधिकारियों ने इसको जानबूझकर टाला, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? और इसकी जांच राजस्व परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा कराने का आश्वासन देंगे ? इस मामले में एक अधिकारी को उसके रिटायरमेंट का लाभ मिल जाय इसलिये एक के बाद

दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी जांच करायी गयी। तो इन दोनों बिन्दुओं की जांच आप करायगे और जो तथ्य सामने आयें उसके अनुसार जिन्होंने जानबूझकर देरी की, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, आपने आरोप लगाये कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी जांच करायी गयी और जानबूझकर देरी की गयी। तो मान्यवर, इस मामले में हम निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी बात सुन लें, मैंने यह कहा है कि इस प्रक्रिया में जानबूझकर, कदाचार की नीयत से जांच में देरी की गयी। जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच को लम्बे समय तक खींच कर उनको रिटायरमेंट का मौका दिया। तो क्या इस कदाचार की जांच करवायेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इस मामले में हम परिणाम पर पहुंचने वाले हैं। अब परिणाम सामने आ गया है और बहुत ही जल्दी आगे की कार्यवाही करा दी जायेगी। मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि उनका मंतव्य है कि जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको सख्त दंड दिया जाय। आप इसमें सहयोग करें तो मैं आभारी हूंगा। हम परिणाम पर पहुंच गये हैं, अब और इसमें विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा कि कृपा करके इस पर ज्यादा जोर न दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सरकार मेरी बात मानने के लिये तैयार नहीं है। इस मामले में कदाचार की नीयत से जानबूझ कर, प्रक्रिया का बहाना लेकर, उसको आवरण लगाकर जांच कराने में विलम्ब किया गया है। इसकी जांच करवाने के लिये आप तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर/अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
20 मार्च, 1986

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 201 पर)

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

महोदय,

श्री हरिदत्त शर्मा, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुरजननगर, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद द्वारा बरती गयी लापरवाही तथा उसके फलस्वरूप मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी की मृत्यु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अधोलिखित तथ्यों को आपके समक्ष रख रहा हूं :—

1—यह कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी दो एक दिन से ज्वर से पीड़ित थी और हरिदत्त शर्मा की चिकित्सा में थीं ।

2—यह कि दिनांक 4 मई, 1985 को उपर्युक्त चिकित्सक ने निर्णय लिया कि वह मेरी धर्मपत्नी को बोतल चढ़ायेंगे । श्री वीरेन्द्र सिंह केमिस्ट के यहां से औषधि और उसके चढ़ाने का पूरा सेट मंगाकर उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को इन्ट्रावीनस बोतल चढ़ाई ।

3—यह कि कुछ ही बूंद तरल पदार्थ मेरी धर्मपत्नी के शरीर में गया था कि उनको भीषण कम्पन और तड़पन शुरू हो गयी । मेरी धर्मपत्नी ने बार-बार आग्रह किया कि डाक्टर साहब तुम मेरे बेटे हो, मुझे बचाओ मुझे दवा मत चढ़ाओ, मुझे दवा सूट नहीं कर रही है ।

4—उपर्युक्त चिकित्सक ने मेरी तड़पती हुई धर्मपत्नी की जान बचाने के के लिए कोई प्रयास नहीं किया । कोई विलोम औषधि का प्रयोग नहीं किया बल्कि मेरी सेविका को निर्देश दिया कि तुम रोगियों के हाथ पैर दबा कर बैठो और कह गये कि ढाई बजे फिर आयेंगे ।

5—रोगिणी को बांह से सुई निकाल लेने के उपरान्त उन्हें कुछ शान्ति मिली है ऐसा समझा गया किन्तु उनका देहावसान हो गया था ।

6—श्री हरिदत्त शर्मा करीब एक घंटा बाद पुनः आये । आकर उनके शरीर की गर्मी देखी स्टेथस्कोप लगाया और उनको मृत घोषित कर दिया ।

7—इसके पश्चात् श्री हरिदत्त शर्मा ने वह प्लास्टिक की बोतल मय तरल पदार्थ व पानी चढ़ाने के सम्पूर्ण सेट को समेटकर अपने कब्जे में ले लिया और चलते बने ।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य विशेष रूप से विचाराधीन हैं :—

1—कि वह रोगिणी सब भोज्य व पेय चीजें मुख से लेकर पचा रहीं थी तो उन्हें बोतल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी ।

2—बोतल चढ़ाने से पूर्व यह बताना आवश्यक था कि द्रव्य क्या है और इसकी कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी हो सकती है ।

3—बोतल में कोई पीली औषधि भी इन्जेक्ट की गयी थी ।

4—जब दिये जाने वाले द्रव्य की विपरीत को काबू पाने के लिए कोई विलोम तैयार तथा उपस्थित नहीं था तो वह बोतल नहीं चढ़ानी चाहिए थी ।

5—सुरजननगर और उसके निकटस्थ भी आक्सीजन उपलब्ध नहीं है । ऐसी दशा में बोतल चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए थी ।

6—बोलत चढ़ाने का अवशेष औषधि और सम्पूर्ण साधन श्री हरिदत्त शर्मा ने बड़ी सजगता के साथ गायब कर दिया ।

7—मेरी धर्मपत्नी को दी जाने वाली औषधियों का कोई नुस्खा या ब्यौरा मेरे पास नहीं छोड़ा गया ।

8—मेरी धर्मपत्नी की मृत्यु दूषित औषधि के कारण हुई या हवा के बुलबुले के नस में प्रवेश से हुई ।

9—श्री हरिदत्त शर्मा ने मेरी पत्नी के जीवन बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और उनके द्वारा की गयी अवहेलना के कारण मेरी धर्मपत्नी की मृत्यु हुई ।

अतः आपसे विनती है कि मेरी धर्मपत्नी के मृत्यु के कारणों को यथोचित जांच कराकर ऐसी व्यवस्था की जाय कि :

1—जहां पर ग्लूकोज या सेलाइन के कुप्रभाव का विलोम उपलब्ध न हो और आक्सीजन भी उपलब्ध न हो वहां इस घातक विधि को अनाड़ी चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

2—मुझे इस बात का श्री हरिदत्त शर्मा संतोष करायें कि वह औषधि एवं सेलाइन सेट मेरी व्यक्तिगत सम्पत्ति होते हुए भी श्री शर्मा उसे क्यों उठाकर ले गये और मेरे मांगने पर उसे मुझे वापिस क्यों नहीं किया ताकि मैं उसका केमिकल एक्जामिनेशन करा पाता और अपनी धर्मपत्नी की मृत्यु का वास्तविक कारण जान सकता जिसका मुझे पूर्ण नागरिक अधिकार है ।

3—इस बात की व्यवस्था की जावे कि जब तक इस प्रकार के कुअवसरों को पूरी रोकथाम एवं विलोम के साधन उपलब्ध एवं उपस्थित नहीं हों तो ग्रामीण अंचलों में सेलाइन तथा अन्य इन्ट्रावीनस औषधियों का प्रयोग न किया जाय, साथ ही श्री हरिदत्त शर्मा की अज्ञानता और लापरवाही के कारण मेरी धर्मपत्नी की मृत्यु के लिए हरिदत्त शर्मा को दंडित किया जावे ।

विनती और आशा है कि इस कांड को यथोचित और समाधान कारक जांच के बाद, इस प्रकार के दुष्कांडों के द्वारा रोगियों को मरने से बचाया जा सके ।

भवनिष्ठ,

ह0/कीर्ति सिंह विनीत,
ग्राम व पो0 सुरजननगर,
जिला मुरादाबाद ।

दिनांक 5 जून, 1985

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा बजट भाषण में की गयी घोषणाओं एवं तत्विषयक कार्यवाही का विवरण

घोषणा	कृत कार्यवाही
डाक्टरों को रु0 1800–2400 का ग्रेड दिया जाना	पी0 एम0 एच0 एस0 डाक्टरों को रु0 1840–2400 का स्पेशल ग्रेड शासनादेश सं0 6020 सेक 3/5–7 (97)/81–टी सी0–4, दिनांक 14–10–1982 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ।
संयुक्त निदेशकों को 2050–2600 रुपये का स्केल दिया जाना	संयुक्त निदेशकों को रु0 2050–2500 का वेतनमान शासनादेश सं0 6020 सेक 3/5–7(97)/81-टी0 सी0–4, दिनांक 14–10–1982 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है ।
प्रधानाचार्य, नर्सिंग स्कूल कानपुर का वेतनक्रम 1800–2400 रु0 किया जाना	शासनादेश सं0 2314/16–13–82–एन (71)/82, दिनांक 11–6–82 द्वारा प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर, के पद का वेतनमान रु0 800–1450 को पुनरीक्षित करके वेतनमान रु0 1660–2300 कर दिया गया है ।
साधारण तौर पर डेन्टल डाक्टरों का वेतनक्रम 1300–1900 रुपये, सेलेक्शन ग्रेड 1250–2050 रु0 किया जाना	दन्त चिकित्सकों को दस वर्ष की सेवा के बाद रु0 1250–2050 का वेतनमान दिनांक 1–7–82 से शासनादेश संख्या 4061/चिकि0–चार–डी 14/81, दिनांक 2–8–84 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । शासनादेश सं0 825/चिकि0 चार–डी–14/81 टी0 सी0, दिनांक 16–3–85 द्वारा दन्त चिकित्सक के 6 पदों पर रु0 1300–1900 का नया सेलेक्शन ग्रेड वैयक्तिक रुप से स्वीकृत किया जा चुका है ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर ।)

अनुक्रमांक	यू0 जी0 सी0 वेतनमान	पदनाम	यू0जी0सी0 वेतनमान के लिए अर्ह पदधारकों की संख्या	यू0जी0सी0 वेतनमानों में निर्धारित वेतन पाने वाले पदधारकों की संख्या	अवशेष
1	2	3	4	5	6
1	1,500–2,500	प्रोफेसर	12	11	1
2	1,200–1,900	एशोसियेट प्रोफेसर	46	35	11
3	700–1,600	असिस्टेंट प्रोफेसर	47	25	22
		योग ..	105	71	34

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

राम प्यारे सुमन,

संसद सदस्य (लोक सभा)

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश शासन ।

लखनऊ ।

अकबरपुर, फैजाबाद ।

दिनांक 14-9-85

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वितीय सत्र 1985 सातवें बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-24 के सन्दर्भ में लें जिसमें सदन के पटल पर यह कहा गया है कि वर्ष 1979 में उक्त प्रतिष्ठान में वेलफेयर अटेंडेंट का पद सृजित किया गया था । वेलफेयर अटेंडेंट का पद रिक्त नहीं है इस पद के विरुद्ध सहायक वेलफेयर अटेंडेंट कार्यरत है और वहीं यह भी कहा गया कि वेलफेयर अटेंडेंट के पद पर कोई नियुक्ति प्रस्तावित नहीं है ।

मान्यवर, जब यह स्वीकार कर लिया गया कि सम्बन्धित पद वर्ष 1979 म सृजित किया जा चुका है और यह भी स्वीकार किया गया कि उक्त पद पर सहायक वेलफेयर अटेंडेंट कार्यरत है तो अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि वह पद रिक्त है क्योंकि पद सृजित है और पूर्व में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा था और वह व्यक्ति (त्रिवेणी वर्मा) पद से त्यागपत्र देकर दिनांक 23-2-83 से पहले ही चले गये और उक्त रिक्त पद पर सहायक वेलफेयर अटेंडेंट द्वारा कार्य लिया जाना स्वीकार किया गया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्बन्धित पद पर सम्बन्धित वेलफेयर अटेंडेंट को पदोन्नति अभी तक नहीं की गयी, तो सम्बन्धित प्रश्न के प्रश्न में यह पूछा जाने पर कि क्या पद रिक्त है, का उत्तर सत्य व स्पष्ट न देकर यह कहा जाना कि उक्त पद पर नियुक्ति प्रस्तावित नहीं है का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि पद रिक्त नहीं है और न यही हो सकता है कि नियुक्ति प्रस्तावित नहीं है क्योंकि जब किसी भी विभाग में जब कोई पद सृजित हो जाता है और कोई नियुक्ति उक्त पद पर हो जाती है तथा किन्हीं कारणों से अर्थात् पदोन्नति द्वारा अथवा त्याग पत्र देने अथवा स्थानान्तरण द्वारा यदि पद रिक्त होता है तो नियुक्ति के न प्रस्तावित होने का उत्तर नहीं बन सकता ।

अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि पद रिक्त है उस पर नियुक्ति होनी चाहिये और जानबूझ कर उस पर नियुक्ति किसी अपने व्यक्ति की करने के इरादे से ऐसा उत्तर सदन के पटल पर दिलवाया जा रहा है ।

मान्यवर, संलग्न पत्र (1 से 5 तक) का अवलोकन करें जिसमें सन्दर्भ संख्या 56-90/अ0 क0/पी0 एल0 ओ0/85, दिनांक 19-8-85, जो मुख्य अधिशासी द्वारा प्रतिष्ठान के कार्यरत श्रमिक श्री हरिश्याम सिंह, रिलर, सिफ्ट (ए) को सम्बोधित है जिसमें श्री हरिश्याम सिंह ने एवार्ड संख्या 5/81 के वाद बिन्दु संख्या 11 के आधार पर उक्त पद पर अपनी नियुक्ति की मांग की है।

मान्यवर, उस पत्र में भी प्रतिष्ठान के मुख्य अधिशासी ने यह कहीं नहीं कहा है कि वेलफेयर अटेंडेंट का पद प्रस्तावित नहीं है बल्कि यह कहा है कि उक्त एवार्ड वाद बिन्दु संख्या 11 में विभागीय प्रोन्नति के सम्बन्ध में लिखा गया है। इस प्रकार उन्होंने भी पद के रिक्त व उस पर नियुक्ति का होना स्वीकार किया है। हां, इतना जरूर सही है कि मुख्य अधिशासी ने अपनी बुद्धि की प्रखरता को दिखाते हुए सम्बन्धित श्रमिक को उक्त पद पर इसलिए प्रोन्नति न करने की बात कही है क्योंकि अभी प्रतिष्ठान में दूसरे विभाग में कार्यरत है जबकि सम्बन्धित एवार्ड में वाद बिन्दु संख्या 11 के दूसरे पैरा में "यदि प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक किसी उच्च पद के लिए अन्य प्रकार के पात्र एवं उपयुक्त हों तो उसे नियुक्ति में वरीयता देने में सेवायोजकों को कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अतएव भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों में तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस प्रकार सम्बन्धित प्रतिष्ठान में मुख्य अधिशासी द्वारा एवार्ड के उपरोक्त निर्णय की जो व्याख्या की गयी है वह किसी प्रकार भी सत्य प्रमाणित नहीं होती है।

अतः मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उचित होगा कि मेरे इस पत्र, संलग्न वाक्य एवं विधान सभा में दिये गये सम्बन्धित उत्तर पर सचिव विधि की राय ले ली जाय और जब तक विधि विभाग द्वारा अपनी राय न दे दी जाय तब तक उक्त पद पर कोई नियुक्ति न करने का आदेश देने की कृपा करें क्योंकि मुख्य अधिशासी द्वारा किसी अपने व्यक्ति को नियुक्त करने की मंशा प्रतीत होती है।

धन्यवाद।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह0

(राम प्यारे सुमन)

पी0 एस0 यू0 पी0-2 वि0 सभा- 11-7-86 -813 (पा0 डी0) 1